




उत्तराखण्ड शासन



सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005

की धारा 4 के अन्तर्गत
मैनुअल (1 से 17 तक)

कार्यालय

मुख्य कृषि अधिकारी

हरिद्वार

वर्ष— 2019–20

Email ID- caohar-agri-ua@nic.in
Phone No.- 01334-239034

—:: प्राकथन ::—

- 1— सरकारी विभागों के सम्बन्ध में अब तक सूचनायें गुप्त रखी जाती थी, ये नियम ब्रिटिश शासन काल से बने हुए थे। जनता सूचना से वंचित रहती थी। इस बावत संविधान संशोधन द्वारा जनता को सूचना का अधिकार देकर बहुत पुराने समय से बने सरकारी नियमों को बदला गया तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से जनता को लाभ होने की आशा है।
- 2— इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है कि मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न विषयों की जानकारी को एक निर्देशिका में समेटा जायेगा। जिससे सम्बन्धित सूचनायें जनता को उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।
- 3— यह निर्देशिका समस्त जनता/जन प्रतिनिधि/कार्यालय /मण्डलीय कार्यालय/निदेशालय/ मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी स्तर पर सूचनायें मांगी जाने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने में सहयोगी और उपयोगी होगी।
- 4— हस्त पुस्तिका के प्रारूप में जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जा रहा है।
- 5— परिभाषायें/शब्दावली के विषय में जानकारी विभिन्न अवसरों पर सूचना अधिनियम के लागू होने के बाद समय के साथ-साथ प्राप्त होती जायेगी। क्योंकि किसी नई चीज के लागू होने पर शुरूआत में कुछ कठिनाइया आती है और समय आगे बढ़ने पर परिभाषायें और शब्दावली स्वतः स्पष्ट होती जायेगी।
- 6— हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए समर्पक व्यक्ति का नाम जनपदस्तर— श्री रमाकान्त त्रिपाठी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, हरिद्वार, इकाईस्तर—श्रीमती ऋतु कुकरेती जुयाल, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार, हरिद्वार इकाई के लिये जबकि श्री रमेश प्रसाद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी इकाई के लिये, समर्पक अधिकारी होंगे।
- 7— हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क – इस सम्बन्ध में सामान्य सदस्यों के लिये निर्धारित प्रपत्र के साथ शुल्क **10.00** रुपया प्रति आवेदन निर्धारित कर सूचना मांगी जा सकती है। तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

—:: मैनुअल-1 ::—

(संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य)

2.1:- लोक प्राधिकरण/संगठन के उद्देश्य:- कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तर पर जनपद के समस्त कृषकों को उच्च गुणवत्ता के कृषि निवेशों यथा— बीज, रसायन, कृषि यंत्र आदि अनुदान पर उपलब्ध कराना तथा खरीफ एवं रबी में विभिन्न फसलों की जानकारी गोष्ठियों के माध्यम से देना, कृषकों को कृषि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण कराना तथा नई कृषि तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है।

2.2:- लोक प्राधिकारण/संगठन का मिशन/विजन:- जनपद स्तर पर कृषि कार्यों में कृषकों को बीज वितरण, उन्नत कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में जनपद को आत्मनिर्भर बनाना संगठन का मिशन है तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा० कलाम, के अनुसार सन् 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो विजन है, उसी विजन को हकीकत में तब्दील करने को कृषि विभाग द्वारा सन् 2020 तक कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना तथा उपलब्ध कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाना तथा जनपद को जैविक जनपद बनाने का विजन है।

2.3:- लोक प्राधिकरण/संगठन के कर्तव्य:- शासन/विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जनपद में कृषि कार्यक्रमों को संचालित कर कृषकों की सहायता करना, उनको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खेती की जानकारी देना, सरकारी कार्यक्रमों का कृषकों में प्रचार-प्रसार करना संगठन का मुख्य कर्तव्य है। साथ ही साथ कृषि विभाग में जनपद स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के हितों की देखभाल करना तथा उनका उत्साह बढ़ाना तथा उनके देयकों का भुगतान करना भी संगठन का कर्तव्य है।

2.4:- लोक प्राधिकरण/संगठन के मुख्य कृत्य:- विभाग से प्राप्त बजट से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे, कृषि यंत्रीकरण, बायोकम्पोस्टिंग कार्यक्रम, जल संभरण, कृषक महोत्सव, बीज ग्राम, एन०एफ०एस०एम०, नमसा, आदि योजनाओं के अन्तर्गत प्रमाणित तथा आधारीय खरीफ/रबी/जायद के बीजों का वितरण, आतंमा योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शन, कृषक पुरस्कार कार्यक्रम, जिला योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में मृदा परीक्षण, मिनिकिट वितरण, सिंचन क्षमता में वृद्धि करना आदि कर कृषकों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को सफल बनाना मुख्य कृत्य हैं।

2.5:- लोक प्राधिकरण/संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची तथा उनका सक्षिप्त विवरण:- कृषि विभाग द्वारा जनपद में कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवाये प्रदान की जा रही है।

1—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

योजना वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 तक शतप्रतिशत केन्द्रपोषित थी तथा वर्ष 2015–16 से 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है।

योजना के उद्देश्य—

- 1—कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- 2—कृषि जलवायुवीय स्थितियों तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकासखण्डों और जनपद हरिद्वार के लिए कृषि योजनायें तैयार करना तथा उनका निष्पादन सुनिश्चित करना।
- 3—यह सुनिश्चित करना कि जनपद की कृषि योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं की फसलों, प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाय।
- 4—महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुये उत्पादन में वृद्धि करना।
- 5—कृषि संवर्गीय क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि करना।

2– नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM)

योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के फण्डिंग पैटर्न पर आधारित है। योजनान्तर्गत चावल व गेहूँ के अतिरिक्त मोटे अनाज एवं दलहन उत्पादन कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि वर्ष 2019–20 में भी संचालित है।

1— एन0एफ0एस0एम0 चावल – के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के 06 विकासखण्डों, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, रुडकी, भगवानपुर एवं नारसन का चयन किया गया है।

2— एन0एफ0एस0एम0 गेहूँ – के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के 06 विकासखण्डों, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, रुडकी, भगवानपुर एवं नारसन का चयन किया गया है।

3— एन0एफ0एस0एम0 दलहन/तिलहन – के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के 06 विकासखण्डों, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, रुडकी, भगवानपुर एवं नारसन का चयन किया गया है।

4— एन0एफ0एस0एम0 वाणिज्यिक फसलें (गन्ना)– जनपद हरिद्वार के 06 विकासखण्डों, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, रुडकी, भगवानपुर एवं नारसन का चयन किया गया है।

कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिशन एकजीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

योजना अन्तर्गत लक्ष्य वर्ष 2019–20 में चावल के अंतर्गत 33407 मैटन, गेहूँ के अंतर्गत 151428 मैटन, मक्का के अंतर्गत 602 मैटन तथा दलहन के अंतर्गत 283 मैटन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के घटक—

1— **कलस्टर प्रदर्शन**— कलस्टर प्रदर्शन के लिये मैदानी क्षेत्रों में 100 है० के कलस्टर चयनित करने की व्यवस्था है। चयनित कलस्टर क्षेत्र में किसानों को चावल, गेहूँ दलहन के कलस्टर समूह प्रदर्शन हेतु रु० 9000.00 प्रति है०, मोटे अनाज हेतु रु० 6000.00 प्रति है० तथा फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन हेतु रु० 15000.00 प्रति है० की दर से राज सहायता देय है।

2— **बीज वितरण**— किसानों को धान, गेहूँ के उन्नत प्रजाति के बीजों पर अनुदान (जो फसल बीज प्रजाति 10 वर्ष से कम अवधि की है उन पर अनुदान 50 प्रतिशत या 2000.00 रु० प्रति कु० जो भी कम हो एवं जो फसल बीज प्रजाति 10 वर्ष से अधिक अवधि की है उन पर अनुदान 50 प्रतिशत या 1000.00 रु० प्रति कु० जो भी कम हो) देय है। धान एवं मक्का की संकर बीज प्रजातियों पर रु० 10000.00 या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। मोटे अनाज के उन्नत प्रजाति के बीजों पर रु० 3000.00 प्रति कु० अनुदान दिया जा रहा है। दलहन के उन्नत प्रताति के बीजों पर अनुदान की अनुमत्य सीमा रु० 5000.00 प्रति कु० या 50 प्रतिशत जो भी कम हो, निर्धारित की गयी है।

3— **पौध एवं मृदा प्रबन्धन**— किसानों को इसके अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों, पौध रक्षा रसायनों एवं खरपतवारनाशी के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु० 500.00 प्रति है० जो कम हो का अनुदान अनुमत्य है।

4— **कृषि यंत्र वितरण**— धान, गेहूँ मोटे अनाज एवं दलहन की फसलोत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जैसा कि पृथक–पृथक यंत्रों के लिये सुनिश्चित है, अनुदान उपलब्ध है।

5— **सिंचाई यन्त्र वितरण**— इसके अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई हेतु जल संवहन पाइप, जल पम्प, स्प्रिंकलर सैट्स एवं मोबाइल रेन गन मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जो कि विभिन्न यंत्रों हेतु अलग–अलग निर्धारित है, किसानों के लिए अनुदान की सुविधा पर उपलब्ध है।

3— राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

(अ) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)—

योजना 90:10 के अनुपात में केन्द्रपोषित है।

योजना के उद्देश्य—

1— कृषकों के फार्मिंग सिस्टम की सभी समस्याओं का निदान कराते हुए समग्र उत्पादन एवं आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

2— कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण।

3— सभी कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु जोड़ना एवं सुदृढ़ करना।

4— कृषि प्रबन्ध व्यवस्था में सबलीकरण हेतु कृषक समूहों का गठन करना।

5— योजना का क्रियान्वयन संबंधित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं कृषक समूहों आदि के द्वारा कराना।

कार्यक्रम की मर्दें—

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य विकास संबंधित क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन प्लान तैयार की जाती है तथा भारत सरकार से कार्य योजना अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रांश प्रदेश सरकार को भेजा जाता है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक समूहों का गतिशीलनस स एवं पुरुसरि एवं प्रोत्साहन, कृषक पुरुस्कार वितरण, किसान मेले/फल-सब्जी प्रदर्शनी, प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण, सूचना तकनीक के इलेक्ट्रोनिक माध्यम का उपयोग, कृषक वैज्ञानिक संवाद, फील्ड-डे गोष्ठी, फार्म स्कूल संचालन, कम्प्यूनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/समूहों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं।

(ब) सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)

भारत सरकार द्वारा 2014–15 से कृषि यंत्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक 97 कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना हो चुकी है। जिसके द्वारा कृषक स्वय एवं कृषक समूह के अन्य सदस्य भी खेती से सम्बन्धित कार्य (जुताई, बुआइ, सिंचाई, स्प्रेयर, कटाई, आदि) समय से कर अतिरिक्त आय भी सृजित कर पा रहे हैं।

मिशन के उद्देश्य—

- 1—लघु एवं सीमांत कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुँच बढ़ाना।
- 2—कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना, जिससे सीमान्त एवं लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।
- 3—सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह तैयार करना।
- 4—प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना।
- 5—प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।

(स) सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (SMSPL)—

यह योजना 90:10 फंडिंग पैटर्न पर संचालित की जा रही है।

- 1—योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को एक एकड क्षेत्रफल के लिए धान्य फसलों के प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित बीजों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- 2—आधारीय एवं प्रमाणित बीजों की व्यवस्था केन्द्र अथवा राज्यों के बीज निगमों के माध्यम से की जाती है।
- 3—कृषक प्रशिक्षण— बीजोत्पादन कार्यक्रम से जुड़े किसानों को एक-एक दिवसीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण, पहला प्रशिक्षण बुआई के समय, दूसरा फूल आने के समय तथा तीसरा फसल कटाई के समय दिया जाता है, ताकि किसानों को तत्कालीन आवश्यक शस्य कियाओं की जानकारी हो सके।
- 4—भण्डारण के लिये टिन की बुखारियों का वितरण— 20 कुंतल की बुखारी क्रय पर अनु0जाति—जनजाति के किसानों को 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 3000 प्रति और अन्य किसानों को 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 2000 प्रति अनुदान की व्यवस्था है। 10 कुंतल की बुखारी पर उक्तानुसार आधा अनुदान देय है।

4—राष्ट्रीय संपोषकीय कृषि मिशन (NMSA)—

राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में समन्वित फसल पद्धति के प्रोत्साहन एवं जल उपयोगिता के उपायों को अपनाकर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना है।

योजना के उद्देश्य—

- 1—स्थान विशेषिक समेकित कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायिक परिवेश के अनुकूल बनाना।
- 2—समुचित मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- 3—मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म एवं मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग एवं उर्वरकों का न्यायिक प्रयोग द्वारा स्वारूप्य प्रबन्धन।
- 4—अधिक फसल उत्पादन के सिद्धान्त को सुदृढ करने के उद्देश्य से समुचित जल प्रबन्धन से जल की उपयोगिता को बढ़ाना।

5— अन्य मिशनों यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन आदि के संयोजन से कृषकों की क्षमता विकास करना।

योजना के घटक—

(अ) रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास) कार्यक्रम –

इसके अन्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु जनपद में 06 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें उद्यान आधारित कृषि पद्धति, पशुपालन आधारित कृषि पद्धति, दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि पद्धति, वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली एवं कृषि वानिकी आधारित कृषि पद्धति में कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु ₹0 196.70 लाख की योजना का अनुमोदन किया गया है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धक (सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट (SHM))

1— नयी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, पहले से स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण हेतु सुदृढ़ीकरण तथा प्रसार अधिकारियों/ कर्मचारियों को पॉर्टेबल मृदा परीक्षण किट आदि उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

2— मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दो वर्ष में हर कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है, जिससे पोषक तत्वों की कमी के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके।

3— मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अन्तर्गत जनपद के सासंद आर्दश ग्राम गोर्वधनपुर विकासखण्ड खानपुर में ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना पी०पी०पी० मोड में की गयी है।

5— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)—

1— योजना 50 प्रतिशत केन्द्रपोषित है। प्रीमियम पर कृषक अंश को कम करते हुए शेष प्रीमियम धनराशि पर 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

2—योजना का कियान्वयन एग्रीकल्वर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत 10 बीमा कम्पनियों के सहयोग से किया जा रहा है।

योजना की विशेषतायें —

1— योजना में केवल उन्हीं फसलों को शामिल किया जाता है, जिनके संबंध में कम से कम 10 वर्षों के लिये फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उत्पादकता के पूर्व ऑकडे उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता के अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त संख्या में फसल कटाई प्रयोग किये जाते हैं।

2— बीमा से आच्छादित फसलें, खरीफ मौसम में चावल तथा रबी मौसम में गेहूँ।

3— किसानों की पात्रता— संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान।

4— अनिवार्यता के आधार पर— ऋणी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और जो वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि फसल ऋण ले रहे हैं।

5—स्वैच्छिक आधार पर— संसूचित फसल उगाने वाले अन्य किसान जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं।

6— कवर किये गये जोखिम एवं अपवाद— व्यापक जोखिम बीमा अनिरोध जोखिम के कारण होने वाले उत्पादकता में क्षति को कवर करने के लिए मुहैया कराया जायेगा जैसे:—

- प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली गिरना।
- तूफान, ओला, चकवात, टाईफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनेडो आदि।
- बाढ़, जल प्लावन एवं भू—स्खलन।
- सूखा, शुष्क अवधि
- कृषि / रोग इत्यादि।

6— प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) (Per Drop More Crop)

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है। जनपद स्तर पर सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्रोतों का आंकलन कर योजना तैयार करना तभा प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से योजना का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा पर झाँप मोर कॉप माइक्रोइरिगेशन एवं अदर इन्टरबोंसन कार्यक्रम संचालित किया किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत जल संचयन हेतु बहुउद्देशीय टैंक, चेकडेम, कच्चे एवं पक्के जल संचय तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई नाली, हौज, परम्परागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार तथा विस्तार, कृषकों द्वारा निजी भूमि पर डीप एवं सैलो टूयवैल की स्थापना पर अनुदान आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामूहिक सिंचाई आदि को बढ़ावा देना व जल संरक्षण तकनीकों प्रैक्टिस एवं कार्यक्रमों आदि हेतु कार्यशाला आदि द्वारा जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। योजना के मुख्य घटक :—

- 1— Accelerated Irrigation Benefit Programme (ए0आई0बी0पी0)— सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग
- 2— पी0एम0के0एस0वाई0 (हर खेत को पानी)— सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग
- 3— पी0एम0के0एस0वाई0 (पर झाँप मोर कॉप)— उद्यान एवं कृषि विभाग
- 4— पी0एम0के0एस0वाई0 (जलागम विकास)— जलागम प्रबन्ध निदेशालय

7— प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना :— यह योजना जनपद में उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या 231(1)/XIII-1/2019-1(04)2019 दिनांक 08.02.2019 से लागू की गयी है।

योजना का उद्देश्य— 1—देश के सभी किसानों को प्रत्यक्ष आय सम्बंधि सहायता दिये जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिये भारत सरकार द्वारा केन्द्र से शत—प्रतिशत सहायता के साथ(पी0एम0किसान) योजना वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ की गयी है।

2—यह योजना किसानों को उनके निवेश एवं अन्य जरूरतों के लिये एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगा, जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

3—यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चुंगल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिये सक्षम बनायेगी और उनके लिये सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

8— प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना :—

योजना का उद्देश्य :— यह योजना जनपद में उत्तराखण्ड शासन के कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या 1355/XIII-1/2019-1(10)2019 दिनांक 14.08.2019 से लागू की गयी है।

मुख्य विशेषताएः— 1— कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से संचालित की जायेगी।

2— पेंशन निधि प्रबन्धन और पेंशन भुगतान के लिये एल0आई0सी0 जिम्मेदार होगी।

3— यह स्वैच्छिक तथा योगदान आधारित पेंशन योजना है।

4— योजना में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कम से कम 3000.00 रु0 प्रत्येक माह पेंशन प्राप्त होगी।

5— सभी लघु एवं सीमान्त किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है तथा जिनकी कुल कृषि योग्य भूमि 2 है0 तक है तथा जो अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं योजना में पंजीकृत किये जा सकते हैं।

6— वर्तमान भूमि व्यवस्था में भूमि कानूनों के अनुसार कृषि भूमि के मालिक है।

7— किसान परिवार का कोई भी सदस्य जो अपात्रता की श्रेणी में ना आता हो

9— परम्परागत कृषि विकास योजना—

राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेट के अन्तर्गत जैविक कृषि के माध्यम परम्परागत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है। योजनान्तर्गत जनपद में कृषि विभाग को 51 कलस्टरों का आवंटन किया गया है।

योजना के उद्देश्य—

1. प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. उपज कीटनाशक मुक्त हो जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देना।
3. उत्पादन आगत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेषित करना।

10— राज्य सैक्टर (अनु0 जाति, जनजाति योजना)

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष जनपद के विकास खण्डों से पृथक—पृथक एस0सी, एस0 टी0 की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। 2019–20 में विकास खण्ड लक्सर में ग्राम ब्रह्मपुर, खानपुर में ग्राम शेरपुरबेला एवं विकास खण्ड रुडकी से मूलदासपुर माजरा एवं नारसन से ग्राम नगलाचीना चयनित किये गये हैं।

11—जिला योजना

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यों को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सम्मिलित न हों। योजना में मुख्यतः कृषि यंत्रीकरण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

2.6:- लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रंसंग:- संगठन/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय का गठन विभागीय पुर्नगठन के आधार पर सितम्बर 2003 में शुरू हुआ इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणनु अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिंगल विण्डो सिस्टम के रूप में में पुर्नगठित किया गया।

2.7:- लोक प्राधिकरण संगठन के विभिन्न स्तरों पर संगठन का ढॉचा:-

1— जिला स्तर पर:-

- 1— मुख्य कृषि अधिकारी विभागीय आहरण वितरण अधिकारी।
- 2— कृषि रक्षा अधिकारी।
- 3— प्रभारी, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बहादराबाद हरिद्वार।

2— इकाई स्तर पर:-

- 1— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार।

2— ब्लॉक स्तर पर(06 विकासखण्ड):—

1— सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—1 (विकासखण्ड प्रभारी)

2— सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2 (बीज भण्डार प्रभारी)

3— न्याय पंचायत स्तर पर(46 न्याय पंचायत)—

1— सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग—2 (न्याय पंचायत प्रभारी)

2.8:- लोक प्राधिकरण/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षाएँ :- कृषि विभाग जनपद स्तर पर शासन/विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में जन सहयोग की अपेक्षा करता है। क्योंकि बिना जन सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल होना असम्भव है। और जन सहयोग के आभाव में कार्यक्रमों की गुणवत्ता संदेहास्पद रहने की संभावना है।

2.9:- जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि और व्यवस्था:- जनपद स्तर पर जनसहयोग प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रतिवर्ष रबी, खरीफ प्रारम्भ होने पर जिला स्तरीय गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। जिसमें जनपद के समस्त जन प्रतिनिधियों एवं कृषकों से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

2.10:- जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था:- जनता से शिकायते प्राप्त करने के लिए जनपद स्तर, कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई स्तर पर, विकासखण्ड स्तर एवं न्याय पंचायतस्तर पर स्थापित कार्यालयों में कृषकों की शिकायते प्राप्त की जाती है तथा उनके निराकरण के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में मोबाइल/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/जनपद हैल्प लाइन पर विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होने पर उनका ऑनलाइन ही निराकरण किया जाता है।

—:: मैनुअल— 2 ::—

(अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य)

पदनाम— मुख्य कृषि अधिकारी

शक्तियाँ:-

- 1— जनपद में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं तैनाती के संबंध में।
- 2— लघु दण्ड निन्दा, टाइम स्केल में वेतन बृद्धि रोकना, असावधानी या आज्ञाओं का उल्लंघन किये जाने के कारण सरकार को पहुँचायी गई आर्थिक क्षति को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से वेतन से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।
- 3— जनपद के बाहर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति करना।
- 4— अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों का 42 दिनों तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्राधिकृत चिकित्सक को प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत करना।

- 5– जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 एवं वर्ग-2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आदि की दण्ड एवं प्रशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना तथा कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के दण्डन का अधिकार, संबंधित सेवा के नियमों के अन्तर्गत।
- 6– जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 एवं वर्ग-2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आदि की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि पर संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना।
- 7– लिपिक वर्गीय /वैयक्तिक सहायक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि स्वीकर्ता प्राधिकारी।

कृषि विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप जिला स्तर पर पूर्व की व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए कृषि विभाग के समस्त अनुभागों में जिला स्तर पर अच्छा समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य कृषि अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रखा गया है। जिला स्तर पर कृषि विभाग के समस्त कार्यकर्ताओं योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं संचालन की जिम्मेदारी विभिन्न अनुभागों के विभागीय अधिकारियों यथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की होगी। उपरोक्त कृत्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु मुख्य कृषि अधिकारी के निम्नलिखित दायित्व निश्चित किये गये हैं।

- 1– मुख्य कृषि अधिकारी जिले में कृषि विभाग का नोडल अधिकारी होगा।
- 2– मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर कृषि विभाग का आहरण वितरण अधिकारी होगा।
- 3– मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों यथा उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों आदि की उपलब्धता विभिन्न संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित करायेगा।
- 4– कृषि विभाग भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियमों, विनियमों आदेशों को क्रियान्वित करायेगा।
- 5– जिले में कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि हेतु कार्य योजना बनायेगा एवं उसको क्रियान्वित करेगा।
- 6– उत्तरांचल भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 11 एवं उसके अधीन नियमावली के प्रस्तर 4(3), 10, 12 एवं उप प्रस्तरों के प्राविधानों के अंतर्गत मुख्य कृषि अधिकारी निदेशक, कृषि का नामित अधिकारी होगा एवं निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के विहित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- 7– जिला स्तर पर संकलित समस्त योजनाओं की प्रगति, सूचनाओं को संकलित करेगा एवं संयुक्त कृषि निदेशक/निदेशक, कृषि को समय-समय पर प्रेषित करेगा।
- 8– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार समस्त कच्चे कार्यों का अंतिम तकनीकी अनुमोदन प्रदान करेगा।
- 9– अपने क्षेत्राधिकार में चलने वाली प्रत्येक भूमि संरक्षण इकाई की प्रतिमाह दो परियोजना का स्थलीय निरीक्षण तथा उसका शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना।
- 10– अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण करना तथा लेखा अभिलेखों के रखरखाव पर विषेश ध्यान देते हुए रोकड़ बही का सत्यापन करना।
- 11– ₹0 5.00 लाख तक की संरचनाओं की प्राविधिक स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करना तथा उससे अधिक धनराशि की संरचनाओं पर नियमानुसार उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करना।
- 12– अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों का सम्प्रेक्षण कराना।
- 13– जिला स्तर पर बजट संबंधी सम्पूर्ण कार्यदायित्व से संबंधित सूचना संयुक्त कृषि निदेशक/कृषि निदेशक को प्रस्तुत करना।
- 14– मुख्य कृषि अधिकारी अपने कार्यालय में समस्त तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों तथा अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के समुचित रखरखाव एवं कर्मचारियों के देयकों का समय से निस्तारण करना।

- 15— जिले में कृषि कार्यक्रमों से संबन्धित योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 20 प्रतिशत सत्यापन करना।
- 16— जिले के अन्तर्गत बीज/उर्वरक अधिनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य दायित्व का निर्वहन करना।
- 17— सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा० सं०-१०७ /सी०ए००/ कृषि/ ०३/रिट-२(2) ०२, दिनांक ३ जनवरी, २००४ के परिषिष्ट-१ के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायित्व का निर्वहन करना।

कृषि रक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:-

- 1— अपने जिले में समस्त कृषि रक्षा कार्यों को दक्षता एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण का कार्य।
- 2— कीटनाशी दवा एवं कृषि रक्षा यंत्रों की व्यवस्था तथा कार्यस्थलों पर यथासमय पूर्ति करना।
- 3— जिले में कीटनाशी रसायन गुणों की रक्षा तथा मिलावट व अनियमित ब्रिकी को रोकना।
- 4— जनपद में कार्यनित की जा रही विभिन्न योजनाओं में यथा-जैविक खाद आदि के संचालन में सक्रिय सहयोग।
- 5— जनपद में कृषि रक्षा गोदमों का लेखा व अन्य रिकार्ड का माह में एक बार अपने लेखा कर्मचारियों द्वारा जाँच कराना तथा लेखा नियमों के अनुसार रिकार्ड को दुरस्त कराना और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजना।
- 6— खण्ड के कृषि रक्षा कार्यों का शत प्रतिशत मौके पर निरीक्षण तथा उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।
- 7— जनपद के समस्त कृषि रक्षा योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 50 प्रतिशत सत्यापन करना एवं दी गई अनुदान की राशि का स्वयं सत्यापन करना कृषि रक्षा रसायनों की बैलेंस शीट व अन्य लेखा रिपोर्ट को यथा समय भेजना।
- 8— कृषि रक्षा रसायनों संबन्धी आय व्ययक का समुचित रूप से हिसाब रखना तथा उसका समय से सदुपयोग करना एवं देय समय में भुगतान की व्यवस्था करना।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्य एवं दायित्व—

जनपद हरिद्वार में भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के दो पद (कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार रिथित बहादराबाद एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी स्थित लंढौरा) सृजित किये गये हैं। जिसके कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:-

- 1— उत्तराखण्ड भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को कार्य हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है जिसके कारण इकाई स्तर पर सभी कार्यों के लिए कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ही उत्तरदायी हैं।
- 2— इकाई के समस्त परियोजनाओं का प्रारूप अधिनियम के अनुसार तैयार करना, मुख्य कृषि अधिकारी से उनका अनुमोदन प्राप्त करना।
- 3— इकाई के समस्त परियोजनाओं के कार्यों का निष्पादन, मापन, सत्यापन तथा भुगतान की व्यवस्था कराना एवं समस्त देय धनराशि के अभिलेखों के रख-रखाव का प्रबन्ध कराना।
- 4— इकाई के प्रत्येक उप इकाई की प्रतिमाह दो-दो परियोजनाओं का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना तथा पक्के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री की व्यवस्था करना।
- 5— इकाई स्तर पर कराये गये कार्यों से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों को पूर्ण कराना तथा भुगतान सुनिश्चित कराना।
- 6— इकाई के समस्त तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को विभागीय निर्देशानुसार पूर्ण कराना तथा सभी कर्मचारियों के स्थापना/सेवा विषयक अभिलेखों का रख-रखाव करना।
- 7— इकाई स्तर पर कराये गये समस्त कार्यों का प्रगति विवरण तथा अन्य सूचनाएं मुख्य कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करना।
- 8— इकाई को आवंटित समस्त धनराशि को वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करना तथा उससे सम्बन्धित सूचना प्रेषित करना।
- 9— भूमि संरक्षण कार्यों पर व्यय की गई धनराशि का अभिलेख तैयार करना एवं लाभार्थी से वसूली के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित करना।

सिंगल विण्डो सिस्टम

सिंगल विण्डो सिस्टम के उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वानिकी पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रचुर सम्भावनायें हैं। राज्य में मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में केवल कृषि में पर्याप्त विविधता है, अपितु उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी अन्तर है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी देने उन्नत एवं नवीनतम कृषि निवेशों को उपलब्ध कराये जाने तथा वैज्ञानिक कृषि को अपनाते हुए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रयास किये जाते रहे हैं, किन्तु उपलब्ध मानव संसाधनों का सही उपयोग न होने के कारण किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यों के संचालन हेतु राज्य के गठन से पूर्व चली आ रही व्यवस्था में विकासखण्ड स्तर तक ही कृषि कर्मचारी उपलब्ध थे तथा इनके द्वारा मुख्य रूप से सामान्य कृषि के कार्य, कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण / जलागम प्रबन्धन से सम्बद्धित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा था। इस व्यवस्था में कार्यों का पृथक—पृथक संचालन कृषि कर्मचारियों द्वारा विकासखण्ड स्तर से किया जा रहा था, जिस कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित लाभ कमियों के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहे थे। नई व्यवस्था के मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है—

1. वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता को देखते हुए कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश की कृषि का एक नवीनकृत, प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्थायी सक्षम तंत्र विकसित करना।
2. पूर्व ढाँचा किसानों से दूर हो रहा है। ऐसा ढाँचा विकसित करना जो किसानों के मध्य रहकर कार्य कर सके।
3. क्षेत्र स्तर पर कृषकों के मध्य पूर्व व्यवस्था में कृषि विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न अनुभाग (सामान्य कृषि, कृषि रक्षा एवं भूमि संरक्षण) कार्य कर रहे थे, उन्हें एकीकृत कर सिंगल विण्डो सिस्टम का रूप दिया गया है।
4. कृषि विभाग के समस्त घटकों जैसे—बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण, कृषि विपणन एवं अन्य रेखीय विभागों का न्याय पंचायत, स्तर पर परस्पर समान्जस्य बनाते हुए किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान एक स्थान पर सुनिश्चित करना।
5. पर्वतीय क्षेत्र में बाजार की सबसे बड़ी समस्या है। जिस कारण कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः उचित बाजार व्यवस्था हेतु सरकारी/गैर सरकारी उपकरणों को किसानों एवं किसान संगठनों से जोड़ना।
6. आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कृषक हित में करना।
7. उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश की उपलब्धता न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करते हुए देय अनुदानों का लाभ कृषकों तक सुनिश्चित करना।
8. कृषकों की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकतानुसार योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
9. कृषकों को जैविक खेती एवं स्थानीय रोजगार परक एवं नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
10. प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की क्षति का सही मूल्यांकन कर त्वरित सूचना उपलब्ध कराया जाना।
11. जल संरक्षण/नमी संरक्षण हेतु सहभागिता के आधार पर स्थानीय कृषकों आधुनिक तकनीकी के अनुरूप जागरूक किया जाना।

12. कृषकों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं का निदान हेतु कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों का सीधा सम्बन्ध बनाया जायेगा। ताकि लैब टू फील्ड एवं फील्ड टू लैब के पैर्टन पर तथा ट्रैनिंग एण्ड विजिट के आधार पर कार्य किया जा सकें। इसके लिए न्याय पंचायत स्तरीय कृषि केन्द्र को सुदृढ़ किया जायेगा। वहां पर जो कर्मचारी तैनात होगा, वह कृषकों की जिन तकनीकी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेगा और जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पायेगा उनके लिए विकासखण्ड इकाई जनपद अथवा निदेशालय से सम्पर्क समस्याओं का समाधान करेगा। जो समस्यायें प्रयोगशालाओं कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित होंगी उनका समाधान सम्बन्धित विशेषज्ञों से सीधा सम्पर्क कर करेगा। जिसके लिए न्याय पंचायत प्रभारी/सहायक कृषि अधिकारी को संचार माध्यम से सक्षम बनाया जायेगा किसान कॉल सेन्टर / टॉलफ़ी नम्बर के माध्यम से भी कृषकों के समस्याओं का समाधान करेगा।

13. न्याय पंचायत प्रभारी की मोबिलिटी बनाने हेतु वह न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सप्ताह में दो गांवों का नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार भ्रमण करेगा, ताकि उन गांवों से सम्बन्धित कृषि एवं औद्योगिक आदि के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में दक्षता तकनीकी इनपुट लेकर कार्य को एकसन ओरियन्टेड बनाकर नालेज ट्रांसफर का कान्सेप्ट वास्तविक रूप से लागू हो सकें। इसके लिए न्याय पंचायतवार व ग्रामों की संख्या के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी रोस्टर तैयार करेगा।

14. न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी के पास मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण एवं बीज शोधन की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध रहेगी।

15. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग- 2 के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती न्याय पंचायत स्तर पर की गयी है, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों, विश्वविद्यालय, शोध केन्द्रों कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृषकों के मध्य सम्पर्क कृषक/प्रचार-प्रसार सहायक की सहायता ली जायेगी।

16. प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को रोस्टर तैयार करते हुए कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसके लिए कर्मचारी निश्चित तिथि को कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु जायेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्याय पंचायत मुख्यालय पर कृषक दिवस का आयोजन किया जायेगा जहां आवश्यकतानुसार कृषि से सम्बन्धित सभी रेखीय विभागों/अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा कृषकों की तकनीकी एवं अन्य समस्याओं को समाधान करेंगे तथा योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

कृषि विभाग के मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश यात्रा कार्यक्रमों की स्वीकृति एवं यात्रा भत्ता बिलों के प्रतिहस्ताक्षरण संबन्धी अधिकारों का प्रतिनिधियान।

कृ०सं०	अधिकारी का नाम	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति अधिकारी	यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं यात्रा बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण अधिकारी
1	2	3	4
1	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशक	कृषि निदेशक
2	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक	मण्डलायुक्त	कृषि निदेशक
3	मुख्य कृषि अधिकारी	जिला पंचायत अध्यक्ष/जिलाधिकारी/मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन जिला पंचायत अध्यक्ष/जिलाधिकारी
4			यात्रा भत्ता बिलों का

			प्रतिहस्ताक्षरण मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक करेंगे।
5	जनपद मुख्यालय स्तर पर / तहसील / विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग के समस्त श्रेणी-2 के अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी।

नोट: समूह-ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में आकस्मिक अवकाश/यात्रा कार्यक्रम अनुमोदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।

2 समूह-क एवं ख के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश की सूचना निदेशालय को भी प्रेषित की जायेगी।
कृषि विभाग के मण्डल स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी अधिकार।

कृ०सं०	पदनाम	स्थानान्तरण के स्तर	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के मण्डलान्तर्गत समूह ग एवं घ के समस्त कर्मचारी।	मण्डलान्तर्गत संयुक्त कृषि निदेशक स्थानान्तरण नीति के आधार पर अनुभाग के अन्दर स्थानान्तरण के सक्षम प्राधिकारी होंगे।	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण कृषि निदेशक, उत्तरांचल के स्तर से किये जायेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि/भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत/वाहन/कम्प्यूटर क्रय/साईकिल क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार।

कृ०सं०	श्रेणी	स्वीकृता अधिकारी	अभिलेख के रख रखाव का स्तर
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी	कृषि निदेशक	वित विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर।

अवकाश स्वीकृति हेतु प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकार:-

कृ०सं०	वर्ग का नाम	परिसीमायें (अर्जित/चिकित्सा अवकाश)	स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी
1	2	3	4
1	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3	सम्पूर्ण, देय अवकाश की सीमा तक	कार्यालयाध्यक्ष
2	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
3	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
4	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2	6 सप्ताह तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
5	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	विभागाध्यक्ष
6	राजपत्रित अधिकारी	1. 60 दिन तक का अर्जित अवकाश	विभागाध्यक्ष

		2. 90 दिन तक का चिकित्सा अवकाश 3. सेवानिवृत्ति/सेवारत मृत्यु होने पर अर्जित अवकाश लेखे में संचित पूर्ण अवकाश की स्वीकृति	
7	निदेशालय में कार्यरत समूह ग, घ के अधिकारी/कर्मचारी	सम्पूर्ण देय अवकाश	विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी
8	सहायक लेखाकार/प्रधान लिपिक	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
		6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
9	लेखाकार/प्रशासनिक अधिकारी	6 सप्ताह तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
		6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	निदेशक विभागाध्यक्ष
10	अधीनस्थ कर्मचारियों में कार्यरत अन्य समस्त समूह ग व घ के कर्मचारी	सम्पूर्ण अवकाश	कार्यालयाध्यक्ष

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य सहायक, का जॉब चार्ट

मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी:-

1. अधिष्ठान के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ अनुभाग में बैठकर कार्य निष्पादन कराना।
2. पर्यवेक्षीय उत्तरदायित्व के साथ-साथ मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी संसद, विधान मण्डल के प्रश्न कर्मियों के लम्बित पावनों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे, कोर्ट कैसेज एवं अन्य विशेष रूप में सौंपें गये प्रकरणों को स्वयं देखेंगे।
3. अनुभाग में डाक प्राप्त होने पर तात्कालिक संदर्भों को समान्य से पृथक कर उनमें पताका लगाकर निस्तारण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
4. अनुभाग में कार्यरत अपने सहायकों को कार्यों की नियंत्रित रूप से जॉच करते हुए देखेंगे कि संदर्भों का समय से निस्तारण हो जाय।
5. वह कार्य में गति लाने के उद्देश्य से सहायकों के पटल पर लम्बित प्रकरणों की सूची बनायेंगे। तथा समय-समय पर अनुसार प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
6. कार्य की महत्ता को देखते हुये यह किसी भी सहायक को चाहे प्रकरण उससे संबंधित भी न हो तो कार्य के निस्तारण हेतु निर्देश दे सकते हैं।
7. कर्मियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराना तथा पंजिका रख-रखाव।
8. अवकाश वार्षिक वेतन वृद्धि, समयमान वेतनमान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे एवं कर्मचारियों के अन्य सेवा संबंधी मामलों का संबंधित पटल सहायक से त्वरित निस्तारण कराना।
9. लिपिकीय कर्मियों के कार्य निस्पादन में बाधा उत्पन्न न हो। बाहरी सरकारी या अशासकीय व्यक्ति केवल शासकीय कार्य हेतु अनुभाग में आने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति पर प्रवेश करने देना।

10. अनुभाग में लिपिक संवर्गीय कर्मियों के पुनर्निर्धारण के संबन्ध में सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव कर्मी की वरिष्ठता एवं कार्य दक्षता के आधार पर प्रस्तुत करना।
11. डाक टिकट पंजिका की जॉच एवं अवधेश टिकटों की सत्यता सत्यापन।
12. सामान्य प्रशासन में सहयोग देना।
13. अनुभाग में कार्यरत प्रत्येक पटल सहायकों की कर्तव्य सूची बनाना तथा अनुभागाध्यक्ष से अनुमोदित कराकर अद्यतन रूप से पटल पर रखना।
14. सम्वर्गवार ज्येष्ठता सूचियों को अपनी देख-रेख में तैयार कराना एवं प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कराना।
15. सम्वर्गवार पदोन्नतियों के प्रकरणों को तैयार कराना एवं उनको निस्तारित कराने का कार्य।
16. स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण प्रस्ताव तैयार कराना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
17. अनुभाग की उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव।
18. अभिलेखों के समुचित रख-रखाव तथा अभिलेखागार में पत्रावलियों को समयावधि तक अभिरक्षित एवं निदान की व्यवस्था बनाये रखना।

लेखाकार/सहायक लेखाकार-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों का पदनाम जिसके संरक्षण में अभिलेख हैं	अभिलेख का विवरण
	मुख्य कृषि अधिकारी	लेखाकार	<p><u>पत्रावलियां एवं पंजिकाये</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनागत (बी0एम0-13) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 2. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनेत्तर (बी0एम0-13) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 3. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनागत/आयोजनेत्तर (बी0एम0-8) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 4. महालेखाकार के आंकड़ों से मिलान संबंधी पत्रावली वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 5. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी पत्राचार पत्रावली वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 6. वसूली से संबंधित पत्रावली वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 7. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी रजिस्टर वर्ष 2009-10 तक 8. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी रजिस्टर वर्ष 2010-11 तक 9. जनपदवार राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त सूचना संबंधी पत्रावली वर्ष 2009-10 एवं 2010-11

प्रवर सहायक / कनिष्ठ सहायक:-

मुख्य सहायक / प्रशासनिक अधिकारी अधिष्ठान में कार्यरत प्रवर सहायक / कनिष्ठ सहायक के मध्य कार्य के औचित्य के दृष्टिकोण से पटलों का गठन करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जॉब चार्ट बनाकर संबन्धित सहायकों को पटल विभाजित करेंगे। जैसे पेंशन, सामान्य भविष्य निधि प्रकरण, प्रतिपूर्ति दावें, डाक प्राप्ति प्रेषण, भण्डार, कैश एवं जमानत, वेतन बिल, अधिकारियों से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थापना संबन्धी कार्य, कार्यालय के अन्य अनुभागों में लिपिक के कर्मचारियों की तैनाती तथा अनुभागों में टाइप/कम्प्यूटर टाइप कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिदिन पूर्ण करने का दायित्व संबन्धित सहायकों को सौंपे गये कार्यदायित्व के अनुकूल रहेगा। अनुभाग में कार्यरत प्रवर एवं कनिष्ठ सहायक अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अनुभागीय अधिकारियों के प्रति उत्तरदाई रहेंगे तथा पटल सहायकों की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान कराने का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों का रहेगा।

आशुलिपिक ग्रेड-1/ग्रेड-2/वैयक्तिक सहायक/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक:-

1. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का रख-रखाव एवं उनके संबन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना।
2. अति गोपनीय अनुशासनात्मक एवं जांच प्रकरणों की पत्रावलियों का रख-रखाव।
3. अधिकारियों द्वारा दिये गये श्रुतलेख को संक्षिप्त लिपिबद्ध करते हुये यथावत टाइप का कार्य
4. अर्द्धशासकीय पत्रों/शीलबन्द लिफाफों, गोपनीय एवं अतिगोपनीय पत्रों को डाक से पृथक कर अधिकारी के सम्मुख पृष्ठादेश हेतु प्रस्तुत करना।
5. उच्च स्तरीय बैठकों से सम्बन्धित ऐजेण्डे, दूरभाष,फैक्स से वाछित सूचना को अधिकारी के सज्जान में लाते हुये त्वरित कार्यवाही करना।
6. अधिकारी के आवश्यक निर्देश पर डाक मार्क करना।
7. अधिकारी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्तिम अनुमोदित भ्रमण पत्रावली का रख-रखाव।
8. अधिकारी को आवंटित वाहन की लॉग बुक का अद्यतन रूप से वाहन चालक से पूर्ण कराना तथा वाहन द्वारा मासिक तय की गई दूरी एवं पेट्रोल, डीजल के औसत का रख-रखाव कराना।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी:-

कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी पदनाम से पदों का सृजन हुआ है अतः कृषि विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनाती पद विषेश के आधार पर यथा चौकीदारी, अर्दली, हलवाह कार्यालय चपरासी, लैब परिचारक, क्षेत्र परिचारक, क्लीरनर के कार्यदायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ अधिकारियों एवं कार्यालय सहायकों द्वारा मौखिक/लिखित में शासकीय कार्यहित में दी गई आज्ञा का पालन शालीनता के साथ सुनिश्चित करेंगे।

—:: मैनुअल-3 ::—

(विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम् सम्मिलित हैं)

विभागाध्यक्ष/निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

- 3.1 1. वित्तीय मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं एवं शासनादेश, वित्तीय आवंटन में दिये गये निर्देशों के आधार पर वित्त एवं लेखा नियंत्रक के परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
2. नियोजन/स्थापना मामलों में प्रचलित सेवा नियमावलियों/ग्रेडेशन लिस्ट/सेवा के संवर्ग के कर्मियों के मामलों के निस्तारण में शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों के निस्तारण में कार्यालय स्तरों से प्रस्तुत प्रस्तावों के समुचित परीक्षण हेतु समिति गठित करते हुए समिति के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का होता है।
3. प्रशासनिक मामलों में शासन की समय-समय पर प्रचलित नीति एवं शासनादेशों, में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।
4. गुणवत्ता नीति के अधीन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, बीज अधिनियम 1966, नियम 1968 एवं बीज अधिनियम 1983 कीट पादप रोग अधिनियम 1968, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को परखने के लिए भारत सरकार के अधिनियम 1937 में प्रदत्त व्यवस्था का अनुपालन किया जाता है।
- 3.2 किसी विशेष विषय जिस विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्षों को निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है तो ऐसे विषयों पर विभागाध्यक्ष शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर निर्णय लेते हैं तथा अधिनस्थ कार्यालयों के कार्यलयाध्यक्ष किसी विशेष विषय पर अपने मण्डलीय अधिकारियों/निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तदनुसार निर्णय लेते हैं। विधि-विषयों में प्रकरण शासन को संदर्भित कर न्याय विभाग की सहमति पर निस्तारित किये जाते हैं तथा वित्त सम्बन्धी जटिल प्रकरणों पर शासन के वित्त विभाग से प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।
- 3.3 विभाग के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारी अपने विभागीय कर्मचारियों एवं सूचना तंत्र के माध्यम से विभागीय कार्यकलापों पर लिये गये निर्णय एवं शासन की जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं एवं विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हैं तथा जिला पंचायत एवं क्षेत्रपंचायत की बैठकों में भी इस आशय की जानकारी सुलभ कराते हैं। अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी विभागीय स्तर पर कृषि निदेशक है।
- 3.4 मुख्य विषय पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

कृषि विभाग में वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया

वित्तीय प्रक्रिया में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-2, प्रोक्यूरमैंट नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्य-मुख्य निर्णय निम्नप्रकार प्रस्तरवद्व किये जा सकते हैं।

बजट आबंटन तथा उपयोग की प्रक्रिया:

आयोजनागत मद में शासन से परिव्यय स्वीकृत होता है परिव्यय व बजट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनपदों को विभागीय कार्ययोजना के अनुरूप वित्तीय लक्ष्य दिये जाते हैं। इन वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष बजट का योजनावार ऑवटन जनपदों व अन्य कार्यालयों (यथा सांख्यिकी हेतु जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत कृषि कार्मिकों के अधिश्ठान से सम्बन्धित) को ऑवटन किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्ययोजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट मैनुअल परक्यूरमैंट नियमावली वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का संज्ञान लेते हुए बजट का उपयोग किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का पूर्ववर्ती माह का व्यय विवरण निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-8 पर निदेशालय को आगामी माह में उपलब्ध कराया जाता है। आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त व्यय विवरण बी0एम0-8 को योजनावार संकलित कर संकलित सूचना प्रारूप बी0एम0-12 तैयार कर महालेखाकार को एवं प्रारूप बी0एम0-13 पर तैयार कर शासन को प्रेषित की जाती है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण:

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा समस्त आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं में उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग-1 में निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रेषित किया जाता है।

सम्प्रेक्षण (आडिट) की प्रक्रिया:

आबंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुकूल किया गया है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय की जाती हैं। सम्प्रेक्षण महालेखाकार, विभाग तथा बाह्य एजेन्सी के माध्यम से किया जाता है। विभागीय सम्प्रेक्षण में प्रकाश में आयी आपत्तियों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं तथा आडिट/प्रस्तर रिपोर्ट कृषि निदेशालय, को भी भेजी जाती हैं।

-:: मैनुअल-4 ::-

(कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित माप मान)

नीति निर्धारण निदेशालय स्तर पर होता है। तदसम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जाता है वर्ष 2015–16 के कृषि गणना के अनुसार कुल 1.44 लाख हैक्टेयर जातों में से 0.04 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति तथा 0.27 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जोत है तथा इसमें से 0.53 लाख हैक्टेयर जोत लघु सीमान्त कृषकों के पास उपलब्ध है।

अधिकांश जोतों का आकार लघु सीमान्त श्रेणी में आने के कारण एक ही विकल्प रह जाता है कि प्रति इकाई उत्पादन को जहाँ तक संभव हो सके अधिकतर किया जाय। इस संदर्भ में निम्नांकित नीति अपनाई गई है।

- अनुसूचित जाति बहुल महत्वपूर्ण ग्रामों का चयन।
- चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन।
- विभिन्न कार्यक्रमों को अलग-अलग प्रस्तावित न करते हुये चयनित क्षेत्र का सर्वागीण विकास।
- कार्ययोजना को लाभार्थी उन्मुख बनाते हुये प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कृषक परिवारों की संख्या सुनिश्चित करना।
- अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा कृषि विविधीकरण।

1—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

योजना वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 तक शतप्रतिशत केन्द्रपोषित थी तथा वर्ष 2015–16 से 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है।

योजना के उद्देश्य—

- 1—कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- 2—कृषि जलवायुवीय स्थितियों तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकासखण्डों और जनपद हरिद्वार के लिए कृषि योजनायें तैयार करना तथा उनका निष्पादन सुनिश्चित करना।
- 3—यह सुनिश्चित करना कि जनपद की कृषि योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं की फसलों, प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाय।
- 4—महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुये उत्पादन में वृद्धि करना।
- 5—कृषि संवर्गीय क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि करना।

2—नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM)

योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के फण्डिंग पैटर्न पर आधारित है। योजनान्तर्गत चावल व गेहूँ के अतिरिक्त मोटे अनाज एवं दलहन उत्पादन कार्यक्रम को भी समिलित किया गया है, जो कि वर्ष 2019–20 में भी संचालित है।

- 1— एन०एफ०एस०एम० चावल — के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के 06 विकासखण्डों, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, रुडकी, भगवानपुर एवं नारसन का चयन किया है।
- 2— एन०एफ०एस०एम० गेहूँ — के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के 06 विकासखण्डों, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, रुडकी, भगवानपुर एवं नारसन का चयन किया है।
- 3— एन०एफ०एस०एम० दलहन/तिलहन — के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के 06 विकासखण्डों, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, रुडकी, भगवानपुर एवं नारसन का चयन किया है।
- 4— एन०एफ०एस०एम० वाणिज्यिक फसलें (गन्ना) — जनपद हरिद्वार के 06 विकासखण्डों, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, रुडकी, भगवानपुर एवं नारसन का चयन किया है।

कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिशन एकजीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

योजना अन्तर्गत लक्ष्य वर्ष 2019–20 में चावल के अंतर्गत 33407 मैटन, गेहूँ के अंतर्गत 151428 मैटन, मक्का के अंतर्गत 602 मैटन तथा दलहन के अंतर्गत 283 मैटन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के घटक—

1— कलस्टर प्रदर्शन— कलस्टर प्रदर्शन के लिये मैदानी क्षेत्रों में 100 है० के कलस्टर चयनित करने की व्यवस्था है। चयनित कलस्टर क्षेत्र में किसानों को चावल, गेहूँ दलहन के कलस्टर समूह प्रदर्शन हेतु रु० 9000.00 प्रति है०, मोटे अनाज हेतु रु० 6000.00 प्रति है० तथा फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन हेतु रु० 15000.00 प्रति है० की दर से राज सहायता देय है।

2— बीज वितरण— किसानों को धान, गेहूँ के उन्नत प्रजाति के बीजों पर अनुदान (जो फसल बीज प्रजाति 10 वर्ष से कम अवधि की है उन पर अनुदान 50 प्रतिशत या 2000.00 रु० प्रति कु० जो भी कम हो एवं जो फसल बीज प्रजाति 10 वर्ष से अधिक अवधि की है उन पर अनुदान 50 प्रतिशत या 1000.00 रु० प्रति कु० जो भी कम हो) देय है। धान एवं मक्का की संकर बीज प्रजातियों पर रु० 10000.00 या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। मोटे अनाज के उन्नत प्रजाति के बीजों पर रु० 3000.00 प्रति कु० अनुदान दिया जा रहा है। दलहन के उन्नत प्रताति के बीजों पर अनुदान की अनुमन्य सीमा रु० 5000.00 प्रति कु० या 50 प्रतिशत जो भी कम हो, निर्धारित की गयी है।

3— पौध एवं मृदा प्रबन्धन— किसानों को इसके अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों, पौध रक्षा रसायनों एवं खरपतवारनाशी के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु० 500.00 प्रति है० जो कम हो का अनुदान अनुमन्य है।

4— कृषि यंत्र वितरण— धान, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन की फसलोत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जैसा कि पृथक—पृथक यंत्रों के लिये सुनिश्चित है, अनुदान उपलब्ध है।

5— सिंचाई यन्त्र वितरण— इसके अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई हेतु जल संवहन पाइप, जल पम्प, स्प्रिंकलर सैट्स एवं मोबाइल रेन गन मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जो कि विभिन्न यंत्रों हेतु अलग—अलग निर्धारित है, किसानों के लिए अनुदान की सुविधा पर उपलब्ध है।

3— राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

(अ) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)—

योजना 90:10 के अनुपात में केन्द्रपोषित है।

योजना के उद्देश्य—

1— कृषकों के फार्मिंग सिस्टम की सभी समस्याओं का निदान कराते हुए समग्र उत्पादन एवं आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

2— कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण।

3— सभी कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु जोड़ना एवं सुदृढ़ करना।

4— कृषि प्रबंध व्यवस्था में सबलीकरण हेतु कृषक समूहों का गठन करना।

5— योजना का कियान्वयन संबंधित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं कृषक समूहों आदि के द्वारा कराना।

कार्यक्रम की मद्दें—

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य विकास संबंधित क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन रिसर्च एण्ड एक्सटैशन प्लान तैयार की जाती है तथा भारत सरकार से कार्य योजना अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रांश प्रदेश सरकार को भेजा जाता है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण , फसल प्रदर्शन, कृषक समूहों का गतिशीलनस एवं पुरुसरि एवं प्रोत्साहन, कृषक पुरुस्कार वितरण, किसान मेले/फल-सब्जी प्रदर्शनी, प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण, सूचना तकनीक के इलेक्ट्रोनिक माध्यम का उपयोग, कृषक वैज्ञानिक संवाद, फील्ड-डे गोष्ठी, फार्म स्कूल संचालन, कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/समूहों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं।

(ब) सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)

भारत सरकार द्वारा 2014–15 से कृषि यंत्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक 97 कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना हो चुकी है। जिसके द्वारा कृषक स्वय एवं कृषक समूह के अन्य सदस्य भी खेती से सम्बन्धित कार्य (जुताई, बुआइ, सिंचाई, स्प्रेयर, कटाई, आदि) समय से कर अतिरिक्त आय भी सृजित कर पा रहे हैं।

मिशन के उद्देश्य—

- 1— लघु एवं सीमांत कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुँच बढ़ाना।
- 2— कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना, जिससे सीमान्त एवं लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।
- 3— सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह तैयार करना।
- 4— प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना।
- 5— प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।

(स) सब-मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मैटेरियल (SMSPL)—

यह योजना 90:10 फंडिंग पैटर्न पर संचालित की जा रही है।

- 1—योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को एक एकड क्षेत्रफल के लिए धान्य फसलों के प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित बीजों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- 2—आधारीय एवं प्रमाणित बीजों की व्यवस्था केन्द्र अथवा राज्यों के बीज निगमों के माध्यम से की जाती है।
- 3—कृषक प्रशिक्षण— बीजोत्पादन कार्यक्रम से जुड़े किसानों को एक-एक दिवसीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण, पहला प्रशिक्षण बुआई के समय, दूसरा फूल आने के समय तथा तीसरा फसल कटाई के समय दिया जाता है, ताकि किसानों को तत्कालीन आवश्यक शस्य कियाओं की जानकारी हो सके।
- 4—भण्डारण के लिये टिन की बुखारियों का वितरण— 20 कुंतल की बुखारी क्रय पर अनुजाति—जनजाति के किसानों को 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 3000 प्रति और अन्य किसानों को 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 2000 प्रति अनुदान की व्यवस्था है। 10 कुंतल की बुखारी पर उक्तानुसार आधा अनुदान देय है।

4—राष्ट्रीय संपोषकीय कृषि मिशन (NMSA)—

राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में समन्वित फसल पद्धति के प्रोत्साहन एवं जल उपयोगिता के उपायों को अपनाकर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना है।

योजना के उद्देश्य—

- 1— स्थान विशेषिक समेकित कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायिक परिवेश के अनुकूल बनाना।
- 2— समुचित मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- 3— मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म एवं मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग एवं उर्वरकों का न्यायिक प्रयोग द्वारा स्वारथ्य प्रबन्धन।
- 4— अधिक फसल उत्पादन के सिद्धान्त को सुदृढ करने के उद्देश्य से समुचित जल प्रबन्धन से जल की उपयोगिता को बढ़ाना।
- 5— अन्य मिशनों यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन आदि के संयोजन से कृषकों की क्षमता विकास करना।

योजना के घटक—

(अ) रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास) कार्यक्रम –

इसके अन्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु जनपद में 06 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें उद्यान आधारित कृषि पद्धति, पशुपालन आधारित कृषि पद्धति, दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि पद्धति, वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली एवं कृषि वानिकी आधारित कृषि पद्धति में कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु ₹0 196.70 लाख की योजना का अनुमोदन किया गया है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धक (सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट (SHM))

1— नयी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, पहले से स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण हेतु सुदृढीकरण तथा प्रसार अधिकारियों/ कर्मचारियों को पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट आदि उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

2— मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दो वर्ष में हर कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है, जिससे पोषक तत्वों की कमी के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके।

3— मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत जनपद के सासंद आर्दश ग्राम गोर्वधनपुर विकासखण्ड खानपुर में ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना पी०पी०पी० मोड में की गयी है।

5— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)—

1— योजना 50 प्रतिशत केन्द्रपोषित है। प्रीमियम पर कृषक अंश को कम करते हुए शेष प्रीमियम धनराशि पर 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

2—योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत 10 बीमा कम्पनियों के सहयोग से किया जा रहा है।

योजना की विशेषतायें –

1— योजना में केवल उन्हीं फसलों को शामिल किया जाता है, जिनके संबंध में कम से कम 10 वर्षों के लिये फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उत्पादकता के पूर्व ऑकड़े उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता के अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त संख्या में फसल कटाई प्रयोग किये जाते हैं।

2— बीमा से आच्छादित फसलें, खरीफ मौसम में चावल तथा रबी मौसम में गेहूँ।

3— किसानों की पात्रता— संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान।

4— अनिवार्यता के आधार पर— ऋणी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और जो वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि फसल ऋण ले रहे हैं।

5—स्वैच्छिक आधार पर— संसूचित फसल उगाने वाले अन्य किसान जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं।

6— कवर किये गये जोखिम एवं अपवाद— व्यापक जोखिम बीमा अनिरोध जोखिम के कारण होने वाले उत्पादकता में क्षति को कवर करने के लिए मुहैया कराया जायेगा जैसे—

- प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली गिरना।
- तूफान, ओला, चक्रवात, टाईफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनेडो आदि।
- बाढ़, जल प्लावन एवं भू—स्खलन।
- सूखा, शुष्क अवधि
- कृमि / रोग इत्यादि।

6— प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) (Per Drop More Crop)

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है। जनपद स्तर पर सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्रोतों का आंकलन कर योजना तैयार करना तभा प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से योजना का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा पर ड्रॉप मोर कॉप माइक्रोइरिगेशन एवं अदर इन्टरबोंसन कार्यक्रम संचालित किया किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत जल संचयन हेतु बहुउद्देशीय टैंक, चेकडेम, कच्चे एवं पक्के जल संचय तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई नाली, हौज, परम्परागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार तथा विस्तार, कृषकों द्वारा निजी भूमि पर डीप एवं सैलो ट्रूयैल की स्थापना पर अनुदान आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

तथा सामूहिक सिंचाई आदि को बढ़ावा देना व जल संरक्षण तकनीकों प्रैक्टिस एवं कार्यक्रमों आदि हेतु कार्यशाला आदि द्वारा जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। योजना के मुख्य घटक :—

1— Accelerated Irrigation Benefit Programme (ए0आई0बी0पी0)— सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग

2— पी0एम0के0एस0वाई0 (हर खेत को पानी) — सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग

3— पी0एम0के0एस0वाई0 (पर ड्राप मोर कॉप) — उद्यान एवं कृषि विभाग

4— पी0एम0के0एस0वाई0 (जलागम विकास) — जलागम प्रबन्ध निदेशालय

7— प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना :— यह योजना जनपद में उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या 231(1)/XIII-1/2019-1(04)2019 दिनांक 08.02.2019 से लागू की गयी है।

योजना का उद्देश्य— 1—देश के सभी किसानों को प्रत्यक्ष आय सम्बंधि सहायता दिये जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिये भारत सरकार द्वारा केन्द्र से शत—प्रतिशत सहायता के साथ(पी0एम0किसान) योजना वर्ष 2018—19 से प्रारम्भ की गयी है।

2—यह योजना किसानों को उनके निवेश एवं अन्य जरूरतों के लिये एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगा, जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

3—यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चुंगल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिये सक्षम बनायेगी और उनके लिये सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

8— प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना :—

योजना का उद्देश्य :— यह योजना जनपद में उत्तराखण्ड शासन के कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

—1 के शासनादेश संख्या 1355/XIII-1/2019-1(10)2019 दिनांक 14.08.2019 से लागू की गयी है।

मुख्य विशेषताएः :—1— कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से संचालित की जायेगी।

2— पेंशन निधि प्रबन्धन और पेंशन भुगतान के लिये एल0आई0सी0 जिम्मेदार होगी।

3— यह स्वैच्छिक तथा योगदान आधारित पेंशन योजना है।

4— योजना में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कम से कम 3000.

00 रु0 प्रत्येक माह पेंशन प्राप्त होगी।

5— सभी लघु एवं सीमान्त किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है तथा जिनकी कुल कृषि योग्य भूमि 2 है0 तक है तथा जो अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं योजना में पंजीकृत किये जा सकते हैं।

6— वर्तमान भूमि व्यवस्था में भूमि कानूनों के अनुसार कृषि भूमि के मालिक है।

7— किसान परिवार का कोई भी सदस्य जो अपात्रता की श्रेणी में ना आता हो

9— परम्परागत कृषि विकास योजना—

राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेट के अन्तर्गत

जैविक कृषि के माध्यम परम्परागत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है। योजनान्तर्गत जनपद में कृषि विभाग को 51 कलस्टरो का आंवटन किया गया है।

योजना के उद्देश्य—

1. प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. उपज कीटनाशक मुक्त हो जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देना।
3. उत्पादन आगत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेषित करना।

10—राज्य सैक्टर (अनु० जाति योजना)

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष जनपद के विकास खण्डों से पृथक—पृथक एस०सी, एस० टी० की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। 2019–20 में विकास खण्ड लक्सर में ग्राम ब्रह्मपुर, खानपुर में ग्राम शेरपुरबेला एवं विकास खण्ड रुडकी से मूलदासपुर माजरा एवं नारसन से ग्राम नगलाचीना चयनित किये गये हैं।

11—जिला योजना

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यों को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सम्मिलित न हों। योजना में मुख्यतः कृषि यंत्रीकरण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

जनपद एक दृष्टि –

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड	विधानसभा
1	हरिद्वार	बहादराबाद	ज्वालापुर, रानीपुर बी०एच०ई०एल०, हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार शहर,
2		लक्सर	लक्सर
3		खानपुर	खानपुर
4		रुडकी	रुडकी, पिरान कलियर
5		भगवानपुर	भगवानपुर
6		नारसन	मंगलौर, झाबरेडा

जनपद के विभिन्न विकास खण्ड एवं उनके अन्तर्गत न्याय पंचायत

क्र०सं०	नाम विकास खण्ड	नाम न्याय पंचायत
1	बहादराबाद	बहादराबाद
2		सलेमपुर
3		कोटामुरादनगर

4		औरंगाबाद
5		जमालपुरकलां
6		फेरुपुर
7		बादशाहपुर
8		लालढांग
9		रणसूरा
10		अकोडाकला
11	लक्सर	मुण्डाखेडा
12		रायसी
13		निरंजनपुर
14		सुल्तानपुर
15		बहादरपुर खादर
16		मोहम्मदपुर बुजुर्ग
17		भिक्कमपुर जीतपुर
18	खानपुर	खानपुर
19		गोर्वधनपुर
20		पौडोवाली
21	भगवानपुर	भगवानपुर
22		सिकन्दरपुर भैसवाल
23		नौकराग्रन्ट
24		खेडी शिकोहपुर
25		भलस्वागाज

26		चुडियाला
27		सिकरोडा
28		हबीबपुर नवादा
29		डाडा जलालपुर
30	रुडकी	खाताखेडी
31		खंजरपुर
32		बेलडा
33		नन्हेडा
34		इमलीखेडा
35		दौलतपुर
36		भौरी
37		तांशीपुर
38		पनियाला
39	नारसन	नारसनकलां
40		मौ०पुर
41		मुण्डलाना
42		ढंडेरा
43		गाधारोना
44		लाठरदेवा
45		मखदूमपुर
46		लिब्बरहेडी

—:: मैनुअल— 5::—

(अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेशन निर्देशिका और अभिलेख)

संगठनों के पास शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निर्धारित रूपपत्रों की ही प्रयोग किया जायेगा और निदेशालय स्तर से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों का पालन किया जायेगा। विभाग में निम्न अधिनियम/अधिसूचनाओं के प्राविधानानुसार तथा समय-समय पर संशोधित अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

क—

क्र०सं०	विवरण
	जनपद में बीज अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।
1.	बीज अधिनियम 1966
2.	बीज नियम 1968
3.	बीज नियंत्रण आदेश 1983
	जनपद में कीटनाशी अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।
1	कीटनाशी अधिनियम 1968
2	कीटनाशी नियम 1971
3	कीटनाशी आदेश 1986
4	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी रसायन विनिर्माण हेतु लाइसेन्स जारी करने विषयक अधिसूचना संख्या 342 दिनांक 13 फरवरी 2001
5	कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत अपील अधिकारी नियुक्ति विषयक सूचना सं०-343 13 फरवरी, 2001
6	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी निरीक्षक नियुक्ति विषयक अधिसूचना सं० 344 दिनांक 13फरवरी,2001
7	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत कीटनाशी के उपयोग या हाथ लगने से उत्पन्न विषाक्ता सम्बन्धी अधिसूचना संख्या –345 13 फरवरी 2001
8	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन अभियोजन संस्थित करने विषयक अधिसूचना संख्या –346 13 फरवरी 2001
9	उत्तरांचल (उ०प्र०) कृषि रोग व कीट अधिनियम 1954 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश दिनांक 8.11.2002
10	कीटनाशी अधिनियम 1976 के सम्बन्ध में निरीक्षण दल की अधिसूचना संख्या–1459 दिनांक 09 दिसम्बर, 2003
11	कीटनाशी अधिनियम 1968 के सन्दर्भ में कीटनाशी विश्लेषक की अधिसूचना संख्या– 1528 दिनांक 19 मार्च, 2003
12	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी नियमावली 1971 के सम्बन्ध में

	अपील प्राधिकारी नियुक्ति विषयक अधिसूचना संख्या—1441 दिनांक 5 दिसम्बर, 2003
13	एन0डब्लू0डी0पी0आर0ए0 योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शासनादेश संख्या—1265 दिनांक 18 मई, 2005
14	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि सहकारिता विभाग फरीदाबाद, हरियाणा का पत्र 115—6 / 2007 दिनांक 16 / 18.7.2007
15	कार्यालय ज्ञाप अपील का प्राधिकार पत्रांक 2526 दिनांक 13 अगस्त, 2007
16	कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 6476 दिनांक 13 मार्च, 2008
17	कार्यालय ज्ञाप संयत्र/उपकरण विषयक टास्क फोर्स समिति पत्रांक 6140 दिनांक 18 फरवरी, 2009
	कृषि उत्पादन मण्डी
28.	कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964
29.	कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965
30.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अत्यकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972
31.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1984
32.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अधिकारी एवं कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984
33.	अधिनियम के अन्तर्गत सर्कुलर एवं अधिसूचनायें
	कृषि उत्पाद एक्ट
34.	कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग & मार्किंग) एक्ट 1937
	जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग) रूल्स
35.	जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग) रूल्स 1988
	स्थानान्तरण नीति/कार्यालय ज्ञाप/शासनादेश
36.	सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2008, 2009 एवं 2010
37.	कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप—1340 दिनांक 07 नवम्बर, 03
38.	कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप—1341 दिनांक 07 नवम्बर, 03
39.	मृदा परीक्षण शुल्क की दरों में संशोधन किया जाना सं0—1472 दिनांक 17.11.05
40.	सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक जैव कीटनाशी, खर—पतवारनाशी, हरीखाद के बीजों पर किसानों को अनुदान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश सं0—905 दिनांक 20 जून, 2007
	विनियमितीकरण
41.	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2002
42.	उत्तरांचल सचिवालय से इतर च०श्रे0 कर्मचारियों/राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्म कालीन तथा शीतकालीन वर्दी अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में सं0—1706 दि0 2.11.04

ख—

क्र०सं०	विवरण
	फर्टीलाइजर
1.	फर्टीलाइजर कन्ट्रोल एक्ट 1985
2.	फर्टीलाइजर (मूवमेन्ट कन्ट्रोल) आदेश 1973
3.	उर्वरक नियन्त्रण संशोधित अधिसूचना संख्या 1673 दिनांक 5.03.2003
4.	उर्वरक (नियन्त्रण) 1985 के अन्तर्गत संशोधित फरवरी, 2019
	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम
5.	उत्तरांचल (उ०प्र० भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
6.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963
7.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 के अधीन नियमावली 1963
8.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण (संशोधन) नियमावली 1971
	विभागीय पुर्नगठन अधिसूचनाएं
9.	अधिसूचना संख्या 680 दिनांक 4 अक्टूबर 2001
10.	अधिसूचना संख्या 782 दिनांक 27 अक्टूबर 2001
11.	अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 2 अगस्त 2003
12.	संशोधित अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 28 फरवरी 2004
13.	कृषि विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल सम्बर्ग के संगठनात्मक ढाँचे के पुर्नगठन के सम्बन्ध में शा० सं० 720 दिनांक 22.10.2008 शा० सं० 570 दिनांक 20.08.2008 शा० सं० 277 दिनांक 24.11.2006
14.	शा० सं० 411 दिनांक 28.07.2009 उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2009
15.	शा० सं० 648 दिनांक 17.09.2009 24 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य समयमान वेतनमान सम्बन्धी
16.	शा० सं० 860 दिनांक 17.11.2009 प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदानित मूल्य पर यंत्र वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली का निर्धारण
17.	24 वर्ष की सेवा अनुमन्य विषयक समयमान वेतनमान सम्बन्धी शा० सं० 899 दिनांक 30.09.2009
18.	वाहन चालक के सम्बर्गीय ढाँचे के सम्बन्ध में शा० सं० 978 दिनांक 30.12.2009
19.	एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा निर्देश
20.	लिपिक वर्गीय स्टांफिंग पैटर्न विषयक शा०सं० 183 दिनांक 11.02.2010
21.	आशुलिपिक सेवा (संशोधित) नियमावली 2010 शा०सं० 215 दिनांक 10.03.2010
22.	पुर्नगठन संशोधित अधिसूचना संख्या 225 दिनांक 11.03.2010
23.	सिंगल विन्डों विषयक अधिसूचना संख्या 481 दिनांक 28.05.2010

	सेवा नियमावलियां
24.	उत्तर प्रदेश कृषि (समूह 'क') सेवा नियमावली 1992
25.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि समूह 'क' पद सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
26.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995
27.	उत्तरांचल (उ0प्र0कृषि समूह 'ख' पद सेवा नियमावली 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
28.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993
29.	उत्तरांचल (उ0प्र0 अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
30.	वेतन विसंगति (1997–99) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सांख्यकीय सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति
31.	कार्यालय ज्ञाप सं0 1333 दिनांक 06.09.2005 कनिष्ठ अभियन्ता पद कृषि सेवा नियमावली 1993 के परिशिष्ठ 'ख' में सूचीबद्ध विषयक
32.	वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश के अवर अभियन्ताओं को वर्तमान वेतनमान 4500–7000 के स्थान पर 5000–8000 के वेतनमान की स्वीकृति
33.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982
34.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा संशोधन नियमावली 1983
35.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
36.	समता समिति (1989) पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में लेखा सम्बर्ग के वेतनमानों का निर्धारण
37.	द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा सांख्यकीय तथा लेखा परीक्षा सम्बर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति
38.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982 (उत्तरांचल संशोधन) नियमावली 2005
39.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 436 दिनांक 27 मार्च 2006 सहायक लेखाकार / लेखाकार 80:20
40.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992
41.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
42.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 2000
43.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइंग इस्टेवलिसमेन्ट सेवा नियमावली 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

44.	उत्तराखण्ड कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान (संशोधन) सेवा नियमावली 2008
45.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983
46.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
47.	उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2009
48.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984
49.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
50.	समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 2004
51.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993
52.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
53.	उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 2003
54.	सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974
55.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली 1993
56.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1994
57.	उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
58.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2004 (प्रथम संशोधन)2004

—:: मैनुअल-6::—

(ऐसे दस्तावेजों जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण)

कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यालय सुसज्जित किया गया है।

उक्त क्रम में निम्नानुसार समस्त कार्यालय सहायकों को विभिन्न कार्यों को सौंपा गया है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	सौंपे गये कार्यदायित्व	अभियुक्ति
1. कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार				
1	श्री रमाकान्त त्रिपाठी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	सूचना का अधिकार से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं समस्त कार्यालय कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण	
2	श्री प्रमेश कुमार	लेखाकार	बजट सम्बन्धित समस्त कार्य,	
3	श्री पदमपाल सिंह	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	स्थापना से सम्बन्धित	
4	श्री धर्मेन्द्र कुमार	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कृषि निदेशालय के आदेश सं0 4502 दिनांक 20.11.2019 से स्थानान्तरित। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उक्त आदेश पर स्थगन आदेश पारित करने के कारण कार्यरत	
5	श्री संजय कुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	कीटनाशी अधिनियम / पी0के0वी0वाई0, आर0के0वी0वाई0—जैविक कार्यक्रम	
6	श्री सुनिल कुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	पी0एम0—किसान, पी0एम0मानधन, मासिक प्रगति सूचना	
7	श्री अमित कुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	एस0एम0ए0एम0, राज्य सेक्टर, एवं यंत्र, पी0एम0के0एस0वाई0, नीति आयोग,	

			स्मार्ट विलेज, ग्रामोदय से भारत उदय जिलायोजना / सामान्य सहायक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एन0एफ0एस0एम0,	
8	श्री उपकार कुमार	प्रधान सहायक	कृषि निदेशालय के आदेश सं0 4501 दिनांक 20.11.2019 से स्थानान्तरित। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उक्त आदेश पर स्थगन आदेश पारित करने के कारण कार्यरत	
9	श्री शुभम बहुगुणा	कनिष्ठ सहायक	स्थापना सम्बन्धि समस्त कार्य	
10	श्री राजेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	कैशियर	
11	श्री शिशुपाल सिंह	कनिष्ठ सहायक	उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज अधिनियम, भण्डार, जी0पी0एफ0 एवं योजनाओं के बिल	
12	श्री सोनू तवंर	कनिष्ठ सहायक	डिस्पैच एवं रिसीट कार्य एवं ऑन लाईन बिलों का कार्य	
13	श्री प्रमोद कुमार	अनुसेवक	—	
14	श्री हेम चन्द पाण्डेय	अनुसेवक	—	
15	श्री पपीन्द्र कुमार	अनुसेवक	—	
16	श्रीमती कमला देवी	अनुसेवक	—	
17	श्रीमती अवतारी खुल्वे	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	प्रभारी, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, बहादुराबाद	
18	श्री सोहन पाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2	मृदा नमूनों का परीक्षण	
19	श्रीमती दयावती	अनुसेवक	—	

20	श्री चन्द्रपाल	अनुसेवक	—	
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार।				
21	श्रीमती ऋतु कुकरेती जुयाल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार।	इकाई क्षेत्र के समस्त कार्यों का पर्वक्षण कार्य एवं इकाई का आहरण वितरण	
22	श्री राजकुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	प्राविधिक कक्ष के समस्त कार्य	
23	श्री सन्दीप कुमार तोमर	अपर सहायक अभियन्ता	इकाई के समस्त तकनीकी कार्य एवं सूचना का अधिकार	
24	श्री प्रदीप कुमार	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	स्थापना, कैश एवं भण्डार से सम्बन्धित समस्त कार्य	
25	श्री सुधीर बड्ढवाल	सहायक लेखाकार	लेखा सम्बन्धित समस्त कार्य एवं समस्त बिल	
26	श्रीमती रुबी गौतम	मानचित्रक	पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति एवं कला कक्ष के समस्त कार्य	
27	श्रीमती माया देवी	कनिष्ठ सहायक	टाईप कार्य	
28	श्री त्रिलोक चन्द्र	अनुसेवक	—	
29	श्री अंकित कुमार	अनुसेवक	—	
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की स्थित लंडौरा				
30	श्री रमेश प्रसाद	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	इकाई क्षेत्र के समस्त कार्यों का पर्वक्षण कार्य एवं इकाई का आहरण वितरण	
31	श्री विपिन कुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1	प्राविधिक कक्ष के समस्त कार्य	
32	श्री अश्वनी कुमार	अपर सहायक अभियन्ता	इकाई के समस्त तकनीकी कार्य एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (जैविक),	

			पी०एम०के०एस०वाई०	
33	श्री विनय कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	सूचना का अधिकार एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कार्य	
34	श्रीमती अनिल रविवाल	प्रधान सहायक	स्थापना एवं कैश सम्बन्धित समस्त कार्य	
35	श्री नवनीत कुमार	वरिष्ठ सहायक	कृषि यंत्रीकरण, पी०के०वी०वाई०, नमसा, बीजग्राम योजना के समस्त बिल एवं लेखा सम्बन्धित समस्त कार्य एवं जी०पी०एफ०	
36	श्री अविनाश सिंह	कनिष्ठ सहायक	एन०एफ०एस०एम० योजना के बिल एवं पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण का कार्य	
37	श्री सचिन जोशी	मानचित्रक	कला कक्ष के समस्त कार्य	
38	श्री सोमप्रकाश	अनुसेवक	—	

—:: मैनुअल-7 ::—

(किसी व्यवस्था की विशिष्टयां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं)

1— लोक प्राधिकारी/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायों—

संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत/क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रपंचायत एवं जिला स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जाता है तथा कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु बैठकों में अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता है।

2— जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था—

कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला जलागम समिति/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत प्रभाव में हैं। पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अधीन इन संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के प्रति लिया जाता है। जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था विधि सम्मत हैं।

3— जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था—

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण के संबन्ध में स्पष्ट करना है कि विभागीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिला जलागम समिति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से होता है, जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के संबन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील दिवसों में उठायें गये प्रश्नों एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के प्रति विभागीय अधिकारी बैठकों में भाग लेकर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित कर लेते हैं। यदि किसी शिकायत का निस्तारण तत्काल सभंव न हो तो ऐसे शिकायती प्रकरणों पर जॉच सुनिश्चित कराई जाती हैं जॉचोंपरान्त गुणदोष के आधार पर शिकायती प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कर लिया जाता है।

राज्य स्तरीय अन्तर कार्यान्वयन समिति के कार्य :—

1. भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की तकनीकी विस्तार प्रबन्धन समिति के साथ जो कि मानव संसाधन विभाग के कार्य कलापों का दिशा निर्देशन जनपद स्तरीय तकनीकी विस्तार कार्यक्रम का अनुश्रवण करेगी।
2. आत्मा द्वारा अधिग्रहित किए गए कृषि प्रसार शोध के कार्य कलापों की देखरेख साथ-साथ सहयोग भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त यह समिति अन्तर विभागीय मामलों जिसमें कृषि एवं सहभागिता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में मध्यस्थता की भूमिका निर्वहन करेगी।

3. समिति राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्य एवं सम्बन्धित विभागों के तकनीकी हस्तान्तरण में समेकित प्रयास को बढ़ावा देना व सामंजस्य स्थापित करेगी।
4. सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा विपणन, निवेश एवं ऋण प्रदाय संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी/सहकारिता क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार से सम्बन्धित आवश्यक सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देगी साथ ही आपसी तालमेल को भी प्रभावी रूप से स्थापित करेगी।
5. आत्मा के द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित नए सिद्धान्तों एवं संस्थागत व्यवस्था को आत्मसात करेगी।
6. परियोजना के सफल संचालन से सम्बन्धित अन्य नीतियाँ जो कि यथा समय आवश्यक हो, को कार्य रूप से परिणित करेगी।

(ओम प्रकाश)
सचिव, कृषि

संख्या : (1)/XXX-1/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री उत्तरांचल शासन।
2. समिति के समस्त सदस्य।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मा० कृषि मंत्री उत्तरांचल शासन।
5. कुलपति, गो०ब०पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
6. सचिव, वित्त, समाज कल्याण, पंचायतीराज, कृषि, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पशुपालन, उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, कृषि, उद्यान, मस्य, पशुपालन, रेशम, पंचायतीराज, समाज कल्याण, निबन्धक, सहकारी समितियाँ, दुर्घट आयुक्त, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
9. संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

(ओम प्रकाश)
सचिव, कृषि

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग-1
संख्या: 1250 / XXX-1 / 2005
देहरादून दिनांक: 18 अगस्त 2005
कार्यालय ज्ञाप

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना “**support to state extension programme for extension reforms**” के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में प्रसार निदेशालय, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर को **State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI)** घोषित करने एवं जनपद देहरादून, उधमसिंहनगर एवं अल्मोड़ा के लिए जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण (**Agriculture Technology Management Agency-A.T.M.A**) की शासी निकाय तथा इसके अधीन विभिन्न स्तरों पर समितियाँ निम्न अनुसार गठन करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI)

यह संस्थान “**support to state extension programme for extension reforms**” के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के संचालन के लिए शीर्ष स्तरीय मार्गदर्शी एवं सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे:-

1. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि प्रसार कर्मियों की क्षमता का उन्नयन।
2. परियोजना नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्श प्रदान करना एवं तत्सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्मित करना।
3. मानव एवं भौतिक संस्थान के बेहतर प्रबन्धन के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं की प्रभाववत्ता में सुधार हेतु **Management Tools** का विकास एवं इनके प्रयोग को प्रोत्साहन देना।
4. मध्य क्रम एवं निम्न क्रम के कृषि प्रसार कर्मियों की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
5. प्रशिक्षण, कार्यक्रमों के संचालन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर **Management, Communication** तथा **Participatory Methodologies** आदि के **Management Module** का विकास।

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का शासी निकाय

जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का पृथक—पृथक एक शासी निकाय एवं एक प्रबन्धन समिति होगी। शासी निकाय नीति निर्धारक के रूप में कार्य करेगी तथा इस अभिकरण को मार्ग निर्देशन प्रदान करने के साथ—साथ उसकी प्रगति एवं कार्य कलापों की समीक्षा करेगी। शासी निकाय का संगठन निम्नवत् होगा।

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. संयुक्त कृषि निदेशक	सदस्य
4. जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
5. जनपदीय एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
6. जनपदीय एक पशुपालक प्रतिनिधि	सदस्य
7. जनपदीय एक उद्यान प्रतिनिधि	सदस्य
8. महिला कृषि समूह का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9. अनुसूचित जाति / जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10. स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. जिला अग्रणी बैंक का एक अधिकारी	सदस्य
12. जिला उद्योग केन्द्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13. निवेश आपूर्ति संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14. मत्स्य / रेशम पालन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य / सचिव सह कोषाध्यक्ष

सदस्यों की नियुक्ति / मनोनयन हेतु निर्धारित शर्तें :-

1. शासी निकाय के अध्यक्ष की संस्तुति पर वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा शासी निकाय के लिए गैर सरकारी सदस्यों को सामान्यतः 2 वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।
2. दो वर्ष के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के दो तिहाई का कार्यकाल एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। शेष एक तिहाई सदस्य पुनः नामित किये जायेंगे।
3. महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के शासी निकाय के मुख्य कार्यकलापः—

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (**Strategic Research and Extension Plan SREP**) एवं सहभागीय इकाइयों द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्ष एवं अनुमोदन करना।
2. विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रसार गतिविधियों से सम्बन्धित सहभागी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिविदनों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना।
3. प्राथमिकता पर रखे गये शोधकार्य, प्रसार एवं इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों का आहरण एवं आवंटन।

4. फारमर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप (**FIGs**) एवं कृषक संघों का त्वरित संगठन एवं विकास।
5. निजी क्षेत्र एवं जिनी फर्मों की व्यापक स्तर पर कृषि निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवायें, उपलब्ध कराने हेतु सहभागिता सुनिश्चित करना।
6. ऐसे कृषक जो पर्याप्त संसाधन से अछूते हों तथा सीमान्त कृषक हों (मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक) को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
7. प्रत्येक रेखीय विभाग के साथ-साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोनल रिसर्च स्टेशन द्वारा प्रगतिशील कृषक परामर्शदात्री समितियों के गठन को बढ़ावा देना ताकि इन समितियों से विचार विमर्श में आये बिन्दुओं का विचारोपरान्त उनके सम्बन्धित शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों में समावेश सुनिश्चित किया जा सके।
8. कृषि विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करने हेतु औचित्य एवं आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संस्थाओं/फर्मों/कम्पनियों से संविदा एवं अनुबन्ध का निष्पादन।
9. आत्मा एवं इसकी सहभागी इकाइयों को टिकाऊ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक अन्य वित्तीय श्रोतों को चिन्हित करना।
10. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवालविंग फन्ड एकाउन्ट की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनीकी सेवा जैसे कृत्रिम गर्भाधान या मृदा परीक्षण की सुविधा को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि देय सुविधा में व्यय होने वाली धनराशि की वापसी का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़े एवं एक समय सीमा के अन्तर्गत लागत की पूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सके।
11. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के वित्तीय लेखों की नियम समयावधि में सम्परीक्षा कराना।
12. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियम का निर्माण, यथा आवश्यकता अन्य संस्थाओं के तदनुरूप नियमों/विनियमों का अंगीकरण एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति

अभिकरण के दैनन्दिन कार्यकलापों के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगा:—

1. शासन द्वारा नामित परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशिक्षण समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3. अध्यक्ष, जोनल रिसर्च स्टेशन	सदस्य
4. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6. कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
7. जिला उद्यान प्राधिकारी	सदस्य
8. जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
9. जिला रेशम अधिकारी	सदस्य
10. कृषि सम्बन्धी कार्य से संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. कृषि संघ के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष के अन्तराल के आधार पर)	सदस्य

उपरोक्त क्रमांक 4 से 9 पर अंकित अधिकारियों में से वरिष्ठतम् अधिकारी जिसकी विशेषज्ञता परियोजना निदेशक की विशेषज्ञता से भिन्न हो इस प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा। मुख्य कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

प्रबन्ध समिति के मुख्य कार्यकलाप :-

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :-

1. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों (**Socio-economic groups**) तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनके कार्य में आने वाली बाधाओं के अभिज्ञान हेतु समय-समय पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (**Participatory rural appraisal**) सम्बन्धी कार्य करना।
2. जनपद के लिए समेकित, रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना का (**SREP**) का निर्माण करना। इसमें मध्यम काल एवं अल्प काल ग्राहय शोध कार्य का विवरण होगा। इसमें तकनीकों का पुष्टिकरण एवं परिष्करण भी सम्मिलित होगा। इसमें जनपद की प्रसार प्राथमिकताएँ भी इंगित की जायेंगी। इन प्रसार प्राथमिकताओं का निर्धारण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा।
3. वार्षिक कार्य योजना बनाकर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय को समीक्षा, सम्भावित संसोधन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
4. उचित ढंग से परियोजना के वित्तीय लेखों का रखरखाव करना एवं इन्हें **Technology Dissemination Unit (TDU)** को सम्प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक कार्य योजना के कार्यन्वयन में विभिन्न रेखीय विभाग, **Zonal Research Station**, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक इन्ड्रेस्ट ग्रुप (**FIGs**) कृषक संघों एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं जिसमें कि निजी क्षेत्र की संस्थायें भी सम्मिलित होंगी, के मध्य समन्वय स्थापित करना।
6. ब्लाक स्तर पर समन्वित कार्य कलापों जैसे **Farm Information and Advisory Centres (FIAC)** को विकसित करना जो ग्राम एवं जनपद स्तर पर कृषि प्रसार एवं तकनीकी हस्तान्तरण क्रियाकलापों को समेकित रूप प्रदान करेगा।
7. शासी निकाय को वार्षिक कार्य सम्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न शोध, प्रसार एवं सम्बन्धित कार्यों के लक्ष्यों के विरुद्ध वार्तविक प्रगति का विवरण प्रदर्शित हों।
8. शासी निकाय को सचिवालयीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शासी निकाय से प्राप्त नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों, निवेश सम्बन्धी निर्णयों एवं अन्य दिशा निर्देशों पर सम्यक कार्यवाही करना।

ब्लाक स्तरीय फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र

Farm Information and Advisory Centres (FIAC)

प्रत्येक कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र का गठन किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत कृषक सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम, दो निकाय होंगे। कृषक सलाहकार समिति कृषकों के प्रतिनिधियों की इकाई होगी (विभिन्न आदानों [Enterprises] एवं समाजिक आर्थिक समूहों से 11–15 प्रतिनिधि)। तथा ब्लाक तकनीकी टीम में ब्लाक स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के कार्यरत कार्मिक होंगे। कृषक सलाहकार समिति और ब्लाक तकनीकी टीम साथ–साथ कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अभिन्न अंग के रूप में नियोजन एवं कियान्वयन का कार्य करेंगे।

(क) ब्लाक तकनीकी टीम :— यह ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाले कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों के कार्यकर्ताओं की अन्तर विभागीय टीम होगी। ब्लाक तकनीकी टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा:—

1. सहायक विकास अधिकारी कृषि।
2. सहायक विकास अधिकारी उद्यान।
3. पशुधन प्रसार अधिकारी।
4. मत्स्य विकास अधिकारी।
5. सहायक विकास अधिकारी कृषिरक्षा।
6. सहायक विकास अधिकारी सहकारिता।
7. सहायक विकास अधिकारी रेशम।
8. उप जलागम प्रबन्धक।

उपरोक्त टीम का वरिष्ठतम कार्मिक टीम का मुख्यिया होगा जो कि ब्लाक तकनीकी टीम के संयोजक का कार्य करेगा।

ब्लाक तकनीकी टीम के कार्य:— ब्लाक तकनीकी टीम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे:—

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (**SREP**) का कियान्वयन तथा एकल खिड़की प्रसार पद्धति (**Single window extension system**) के रूप में कार्य करना।

2. **SREP** में सुधार करने में जिला कोर टीम की सहायता करना।
3. ब्लाक स्तरीय कार्य योजना जिसमें विस्तृत प्रसार कार्यक्रम समिलित हो तैयार करना।
4. ब्लाक कार्य योजना के अन्तर्गत प्रसार कार्यक्रमों के कियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।
5. ब्लाक एवं उसके निचले स्तर पर फार्मस इन्ड्रेस्ट ग्रुप तथा कृषक संघों का गठन करना।

(ख) कृषि सलाहकार समिति:— कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत से एक प्रगतिशील कृषक चयनित किया गया हैं। कृषक सलाहकार समिति का गठन विकास खण्डवार इन प्रगतिशील कृषकों से लिया जाये। यह ध्यान में रखा जाये कि इसमें निम्न वर्गों के कृषक भी समिलित हैं।

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. सामान्य कृषक | सदस्य |
| 2. अनुसूचित जाति की महिला कृषक | सदस्य |
| 3. कृषक उद्यान | सदस्य |

4. महिला कृषक उद्यान	सदस्य
5. पशुपालन कृषक	सदस्य
6. पशुपालक महिला कृषक	सदस्य
7. महिला कृषक, महिला मंगल दल	सदस्य
8. कृषक, युवक मंगल दल	सदस्य
9. कृषक निवेश विक्रेता	सदस्य
10. कृषक, कृषक समूह	सदस्य
11. कृषक वीडीसी सदस्य	सदस्य

यदि प्रगतिशील कृषकों में उपरोक्त में से कितिपय वर्गों के कृषक शामिल होने से रह गये हैं तो ऐसे कृषक भी चयनित कर कृषक सलाहकार समिति में अंगीकृत कर लिये जायें। समिति के अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त सदस्यों में से चक्रिय कम में किया जायेगा तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। ब्लाक तकनीकी टीम का संयोजक इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

कृषक सलाहकार समिति के कार्यः—

1. समिति कृषकों से फीड बैंक प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेंगी।
2. ब्लाक स्तर पर प्रसार कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता एवं कार्यक्रम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन करने में अपनी संस्तुति देगी।
3. शासी निकाय, कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण को ब्लाक कार्य योजना स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी।
4. ब्लाक स्तर पर प्रत्येक कियान्वयन इकाई की समीक्षा करेगी एवं उसको सुझाव देगी।
5. कृषक सलाहकार समिति की प्रत्येक माह एक बैठक अवश्य होगी।
6. ब्लाक स्तर एवं उससे निम्न स्तर पर **Farmers interest group** एवं कृषक संघों के गठन में सहायता प्रदान करेगी।

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या: (1)/XXX-1/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः—

1. कुलपति, गोविन्द बल्लंभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
2. सचिव, वित्त/समाज कल्याण/कृषि/उद्यान/मत्स्य/सहकारिता/ग्राम्य विकास/ पशुपालन, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, कृषि/उद्यान/मत्स्य/पशुपालन/रेशम/जड़ी बूटी/निबन्धक, सहकारी समितियाँ/दुग्ध आयुक्त, उत्तरांचल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
6. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।

(ओम प्रकाश)
सचिव

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग—1

संख्या: 1904 / XXX-1 / 2005

देहरादून दिनांक: 20 दिसम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना “**Support to state extension programmees for extension reforms**” के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में जनपद नैनीताल, पौड़ी, चम्पावत, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के लिए जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण (**Articulture Technology Management Agency- A.T.M.A.**) की शासी निकाय तथा इसके अधीन विभिन्न स्तरों पर समितियाँ निम्न अनुसार गठन करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का शासी निकाय

ATMA Governing Board (GB)

जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का पृथक—पृथक एक शासी निकाय एवं एक प्रबन्धन समिति होगी। शासी निकाय नीति निर्धारक के रूप में कार्य करेगी तथा इस अभिकरण को मार्ग निर्देशन प्रदान करने के साथ—साथ उसकी प्रगति एवं कार्य कलापों की समीक्षा करेगी। शासी निकाय का संगठन निम्नवत् होगा:—

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
4. जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र/ जोनल रिसर्च सेन्टर के प्रतिनिधि	सदस्य
5. जनपदीय एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
6. जनपदीय एक पशुपालक प्रतिनिधि	सदस्य
7. जनपदीय एक उद्यान प्रतिनिधि	सदस्य
8. महिला कृषि समूह का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10. स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. जिला अग्रणी बैंक का एक अधिकारी	सदस्य
12. जिला उद्योग केन्द्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13. निवेश आपूर्ति संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14. मत्त्य/ रेशम पालन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15. परियोजना निदेशक, ATMA	सदस्य/ सचिव—सह कोषाध्यक्ष

सदस्यों की नियुक्ति / मनोनयन हेतु निर्धारित शर्तेः—

1. शासी निकाय के अध्यक्ष की संस्तुति पर वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शासी निकाय के लिए गैर सरकारी सदस्यों को सामान्यताः 2 वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।
2. दो वर्ष के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के दो तिहाई का कार्यकाल एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। शेष एक तिहाई सदस्य पुनः नामित किये जायेंगे।

3. महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के शासी निकाय के मुख्य कार्यकलापः—

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (**Strategic Research and Extension plan - SREP**) एवं सहभागीय इकाइयों द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा एवं अनुमोदन करना।
2. विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रसार गतिविधियों से सम्बन्धित सहभागी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना।
3. प्राथमिकता पर रखे गये शोधकार्य, प्रसार एवं इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों का आहरण एवं आवंटन।
4. फारमर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप (**FIGs**) एवं कृषक संघों का त्वरित संगठन एवं विकास।
5. निजी क्षेत्र एवं निजी फर्मों की व्यापक स्तर पर कृषि निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सहभागिता सुनिश्चित करना।
6. ऐसे कृषक जो पर्याप्त संसाधन से अछूते हों तथा सीमान्त कृषक हो (मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक) को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
7. प्रत्येक रेखीय विभाग के साथ-साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोनल रिसर्च स्टेशन द्वारा प्रगतिशील कृषक परामर्शदात्री समितियों के गठन को बढ़ावा देना ताकि इन समितियों से विचार विमर्श में आये बिन्दुओं का विचारोपरान्त उनके सम्बन्धित शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों में समावेश सुनिश्चित किया जा सके।
8. कृषि विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करने हेतु औचित्य एवं आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संस्थाओं/फर्मों/कम्पनियों से संविदा एवं अनुबन्ध का निष्पादन।
9. आत्मा एवं इसकी सहभागी इकाइयों को टिकाऊ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक अन्य वित्तीय श्रोतों को चिन्हित करना।
10. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवालविंग फन्ड एकाउन्ट की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनीकी सेवा जैसे कृत्रिम गर्भाधान या मृदा परीक्षण की सुविधा को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि देय सुविधा में व्यय होने वाली धनराशि की वापसी का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़े एवं एक समय सीमा के अन्तर्गत लागत की पूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सकें।
11. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के वित्तीय लेखों की नियम समयावधि में सम्परीक्षा कराना।
12. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियम का निर्माण, यथा आवश्यकता अन्य संस्थाओं के तदनुरूप नियमों/विनियमों का अंगीकरण एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति

ATMA Management Committee (MC)

अभिकरण के दैनन्दिन कार्यकलापों के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगा:—

1. शासन द्वारा नामित परियोजना निदेशक, ATMA	अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशिक्षण समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3. अध्यक्ष, जोनल रिसर्च स्टेशन	सदस्य
4. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6. कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
7. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
8. जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
9. जिला रेशम अधिकारी	सदस्य
10. कृषि सम्बन्धी कार्य से संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. कृषि संघ के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष के अन्तराल के आधार पर)	सदस्य
12. सहायक निबन्धक, सहकारिता समितियाँ	सदस्य
13. अन्य रेखीय विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त क्रमांक 4 से 9 पर अंकित अधिकारियों में से वरिष्ठतम् अधिकारी जिसकी विशेषज्ञता परियोजना निदेशक की विशेषज्ञता से भिन्न हो इस प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा। मुख्य कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

प्रबन्ध समिति के मुख्य कार्यकलाप:—

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा:—

- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों (**Socio-economic groups**) तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनके कार्य में आने वाली बाधाओं के अभिज्ञान हेतु समय-समय पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (**Participatory rural appraisal**) सम्बन्धी कार्य करना।
- जनपद के लिए समेकित, रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना का (**SREP**) का निर्माण करना। इसमें मध्यम काल एवं अल्प काल में ग्राहय शोध कार्य का विवरण होगा। इसमें तकनीकों का पुष्टिकरण एवं परिष्करण भी सम्मिलित होगा। इसमें जनपद की प्रसार प्राथमिकताएँ भी इंगित की जायेंगी। इन प्रसार प्राथमिकताओं का निर्धारण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा।

3. वार्षिक कार्य योजना बनाकर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय को समीक्षा, सम्भावित संशोधन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
4. उचित ढंग से परियोजना के वित्तीय लेखों का रखरखाव करना एवं इन्हें **Technology Dissemination unit (TDU)** को सम्प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न रेखीय विभाग, **Zonal Research Station**, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक इन्ट्रेस्ट ग्रुप (**FIGs**)/कृषक संघों एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं जिसमें कि निजी क्षेत्र की संस्थायें भी सम्मिलित होंगी, के मध्य समन्वय स्थापित करना।
6. ब्लाक स्तर पर समन्वित कार्य कलापों जैसे **Farm Information and Advisory Centres (FIAC)** को विकसित करना जो ग्राम एवं जनपद स्तर पर कृषि प्रसार एवं तकनीकी हस्तान्तरण कियाकलापों को समेकित रूप प्रदान करेगा।
7. शासी निकाय को वार्षिक कार्य सम्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न शोध प्रसार एवं सम्बन्धित कार्यों के लक्ष्यों के विरुद्ध वास्तविक प्रगति का विवरण प्रदर्शित हो।
8. शासी निकाय को सचिवालयीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शासी निकाय से प्राप्त नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों, निवेश सम्बन्धी निर्णयों एवं अन्य दिशा निर्देशों पर सम्यक कार्यवाही करना।

ब्लाक स्तरीय फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र

Farm Information and Advisory Centres (FIAC)

प्रत्येक कृषि प्राधिकारी प्रबन्धन अभिकरण के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र का गठन किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत कृषक सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम, दो निकाय होंगे। कृषक सलाहकार समिति कृषकों के प्रतिनिधियों की इकाई होगी (विभिन्न आदानों [**Enterprises**] एवं समाजिक आर्थिक समूहों से 11–15 प्रतिनिधि)। तथा ब्लाक तकनीकी टीम में ब्लाक स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों कार्यरत कार्मिक होंगे। कृषक सलाहकार समिति और ब्लाक तकनीकी टीम साथ–साथ कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अभिन्न अंग के रूप में नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य करेंगे।

(क) ब्लाक तकनीकी टीम:— यह ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाले कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों के कार्यकर्ताओं की अन्तर विभागीय टीम होगी। ब्लाक तकनीकी टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

1. सहायक विकास अधिकारी कृषि।
2. सहायक विकास अधिकारी उद्यान।
3. पशुधन प्रसार अधिकारी।
4. मत्स्य विकास अधिकारी।
5. सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा।
6. सहायक विकास अधिकारी सहकारिता।
7. सहायक विकास अधिकारी रेशम।
8. उप जलागम प्रबन्धक।

उपरोक्त टीम का वरिष्ठतम् कार्मिक टीम का मुख्य होगा जो कि ब्लाक तकनीकी टीम के संयोजक का कार्य करेगा।

ब्लाक तकनीकी टीम के कार्यः— ब्लाक तकनीकी टीम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे:—

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (**SREP**) का क्रियान्वयन तथा एकल खिड़की प्रसार पद्धति (**Single window extension system**) के रूप में कार्य करना।

2. **SREP** में सुधार करने में जिला कोर टीम की सहायता करना।

3. ब्लाक स्तरीय कार्य योजना जिसमें विस्तृत प्रसार कार्यक्रम सम्मिलित हों तैयार करना।

4. ब्लाक कार्य योजना के अन्तर्गत प्रसार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।

5. ब्लाक एवं उसके निचले स्तर पर फार्मर्स इन्ड्रेस्ट ग्रुप तथा कृषक संघों का गठन करना।

(ख) **कृषक सलाहकार समिति:**— कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत से एक प्रगतिशील कृषक चयनित किया गया है। कृषक सलाहकार समिति का गठन विकासखण्डवार इन प्रगतिशील कृषकों से कर लिया जाये। यह ध्यान में रखा जाये कि इसमें निम्न वर्गों के कृषक भी सम्मिलित हैं।

1. सामान्य कृषक	सदस्य
2. अनुसूचित जाति की महिला कृषक	सदस्य
3. कृषक उद्यान	सदस्य
4. महिला कृषक उद्यान	सदस्य
5. पशुपालक कृषक	सदस्य
6. पशुपालक महिला कृषक	सदस्य
7. महिला कृषक, महिला मंगल दल	सदस्य
8. कृषक, युवक मंगल दल	सदस्य
9. कृषक, निवेश विकेता	सदस्य
10. कृषक, कृषक समूह	सदस्य
11. कृषक वीडीसी सदस्य	सदस्य

यदि प्रगतिशील कृषकों में उपरोक्त में से कतिपय वर्गों के कृषक शामिल होने से रह गये हैं तो ऐसे कृषक भी चयनित कर कृषक सलाहकार समिति में अंगीकृत कर लिये जायें।

समिति के अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त सदस्यों में से चक्रिय क्रम में किया जायेगा तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। ब्लाक तकनीकी टीम का संयोजक इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

कृषक सलाहकार समिति के कार्यः—

1. समिति कृषकों से फीड बैंक प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2. ब्लाक स्तर पर प्रसार कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता एवं कार्यक्रम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन करने में अपनी संस्तुति देगी।

3. शासी निकाय, कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण को ब्लाक कार्य योजना स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी।

4. ब्लाक स्तर पर प्रत्येक क्रियान्वयन इकाई की समीक्षा करेगी एवं उसको सुझाव देगी।

5. कृषक सलाहकार समिति की प्रत्येक माह एक बैठक अवश्य होगी।
6. ब्लाक स्तर एवं उससे निम्न स्तर पर **Farmers interest group** एवं कृषक संघों के गठन में सहायता प्रदान करेगी।

(विभा पुरी दास)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

वन एवं ग्राम्य विकास

संख्या: 1904 (1)/XXX-1/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आनुपालनार्थ प्रेषितः—

1. कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
2. सचिव, वित्त/समाज कल्याण/कृषि/उद्यान/मत्स्य/सहकारिता/ग्राम्य विकास/ पशुपालन, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, कृषि/उद्यान/मत्स्य/पशुपालन/रेशम/जड़ी बूटी/निबन्धक, सहकारी समितियाँ/दुग्ध आयुक्त, उत्तरांचल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल/पौड़ी/चम्पावत /चमोली/उत्तरकाशी/ टिहरी/रुद्रप्रयाग/ हरिद्वार /पिथौरागढ़/बागेश्वर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल /पौड़ी/ चम्पावत/चमोली /उत्तरकाशी/ टिहरी/रुद्रप्रयाग /हरिद्वार /पिथौरागढ़/बागेश्वर।
6. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/पौड़ी/चम्पावत/चमोली/उत्तरकाशी/टिहरी/रुद्रप्रयाग/ हरिद्वार/पिथौरागढ़/बागेश्वर।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी नैनीताल/पौड़ी/ चम्पावत/चमोली/ उत्तरकाशी/ टिहरी/रुद्रप्रयाग /हरिद्वार/पिथौरागढ़/बागेश्वर।

(ओम प्रकाश)
सचिव

—:: मैनुअल-8 ::—

(ऐसे बोर्डों/परिषदों/समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है किस क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी)

8.1— संगठन से समबृद्ध बोर्ड/परिषद/समितियों निकायों का संक्षिप्त विवरण

1. कृषि विभाग सामान्य शाखा में कोई बोर्ड, परिषद, समिति निकाय समबृद्ध नहीं है।
2. जलागम समितियों के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार से है।

- समबृद्ध संस्था का नाम:- जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति ।
- समबृद्ध संस्था की भूमिका:- प्रबन्धकारणी ।
- स्वरूप और वर्तमान सदस्य:- (क) जिलाधिकारी – सभापति, (ख) जिला परिषद अध्यक्ष – सदस्य, (ग) जिले के निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य— बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, (घ) मुख्य विकास अधिकारी—सदस्य, (ङ) मुख्य कृषि अधिकारी—सदस्य, (च) सहायक निदेशक जलागम—सचिव, (छ) अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग— सदस्य, (ज) प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर—सदस्य (झ) क्षेत्र पंचायत प्रमुख बागेश्वर, गरुड़, कपकोट— सदस्य, (ट) जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य— श्री नारायण सिंह मेहता ग्राम पोस्ट बोहाला । बारानी समिति अध्यक्ष बागेश्वर ।
- बैठक की आकृति :- प्रत्येक दो माह में एक बैठक ।
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है:- नहीं । (नामित सदस्य भाग ले सकते हैं ।)
- क्या बैठक का कार्यवृत् तैयार होता है:- हाँ ।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत् प्राप्त कर सकती है— नहीं । (नामित सदस्यों को भेजा जाता है) ।

जैविक कृषि – एक परिचय

॥ कृषिर्धन्यः कृषिर्मृदाः जन्तुनाम जीवमन् कृषि ।
हिन्सारिदोष युक्तौपि मुच्यते तिथि पूजनात् ॥— ऋषि पराशर जी

अर्थ— कृषक का जीवन मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवाणुओं से हैं। कृषक जब फसल उगाने के लिए खेत तैयार करता है तब वह सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता हैं परन्तु उसे इस 'दोष' से मुक्त माना गया है, क्योंकि वह मानव जाति की भलाई हेतु भोजन पैदा करता हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि वे मृदा में कार्बनिक पदार्थ अवश्य मिलाएं जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भोजन एवं ऊर्जा का स्रोत है जिससे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ सकें, गुणित हो सके और पोषक तत्व प्रदान कर सकें।

“जैविक कृषि वह पद्धति है, जहाँ प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखते हुए भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता आदि को बनाये रखते हुए व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित किए बिना, दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता है।

इस पद्धति में जीवांश एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों एवं कार्बनिक अवशिष्ट का यथा स्थान उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन व्यय कम होकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके एवं कृषक स्वालम्बन पर जोर दिया जाता है।

मनुष्य आदिकाल से ही जंगली जानवरों का शिकार, मांस एवं दूध के लिए पशुपालन तथा स्थानान्तरी कृषि (झूम कृषि) करता चल आ रहा था। धीरे-धीरे कृषि का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ने से स्थायी कृषि करने लगा। मनुष्य परम्परागत कृषि को ज्ञान के पीढ़ियों से अनुसरण करके, पिछली भूलों को सुधारते हुए अनुभवों के आधार पर कृषि को स्थायी बनाता रहा। इसमें वांछित फसलों को कृषि में उगाना, अवांछित फसल के पौधों को हटाना, भूमि की जुताई कर मौसम के अनुसार फसल बोना, भूमि को परती छोड़ना, फसल चक अपनाना, गोबर तथा कृषि अवशेष एवं राख को खाद के रूप में अपनाना सम्मिलित थां। इस प्रकार बढ़ते ज्ञान के अनुरूप फसल उत्पादन, बढ़ती आबादी की भूख मिटाने का साधन बनता गया।

कृषि उत्पादन बढ़ाने को सुनियोजित करने के लिए वर्ष 1871 में देश में कृषि विभाग की स्थापना हुई। वर्ष 1889 में कृषि अनुसंधान नीति, वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग तथा वर्ष 1926 में रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर की अनुशंसाओं पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गये।

भारत में कृषि परम्परा एवं सभ्यता ऐतिहासिक रूप से 10,000 साल पुरानी है। प्राचीन ग्रन्थों (वृक्ष, आयुर्वेद, ऋग्वेद) से पता लगता है कि 1000 ई०प०० वैदिक सभ्यता में धान का उत्पादन प्रति हैकटेयर 60 कुन्तल तक लिया जाता था। सदियों से की जाने वाली कृषि पद्धतियां टिकाऊ, ठोस व आधुनिक तकनीकें थी। प्राचीन कृषि सभ्यता में विभिन्न कृषि क्रियाओं के सिद्धान्त आज के आधुनिक जैविक कृषि के सिद्धान्तों के रूप में एक तरह से दोहरायें ही जा रहे हैं।

आधुनिक काल में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू-राजनैतिक बदलावों के कारण पहले भुखमरी का दौर चला फिर युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् अचानक विश्व की जनसंख्या में असीमित वृद्धि हुई। भारत, चीन जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दैविक आपदाएं जैसे अकाल, भुखमरी आदि महामारियों के साथ सामने आयीं।

वर्ष 1941–42 में आधारभूत खद्यानों की कमी की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत एवं समन्वित (**Comprehensive and integrated**) नीति तैयार की गयी। बंगाल के अकाल (1942) के बाद वर्ष 1942–43 में खाद्य उत्पादन कान्फ्रेंस में “अधिक अन्न उपजाओं अभियान” चलाने का निर्णय हुआ। इसका उद्देश्य वर्ष 1952 तक खद्यानों में आत्मनिर्भरता लाना था। इसके लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने

के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा अनुसंधान केन्द्र खोले गए। देश भर में कृषि विस्तार सेवा का गठन, भूमि सुधार कार्य, सिंचाई विकास के कार्यक्रम, उत्तम बीजों की पूर्ति, कृषि आदानों की आवश्यकता पूर्ति हेतु उपयुक्त साख (क्रृष्ण व अनुदान) उपलब्ध कराने के प्रबन्ध किए जाने लगे। इनके साथ ही साथ स्थानीय खाद संसाधनों (गोबर खाद, गोबर गैस, कम्पोस्ट खाद) हरी खादें, खली की खादें, तालबों के तलहटी में जमा हुई मिट्टी के अलावा वनस्पतियों एवं जानवरों के त्याज्य एवं मरणोपरान्त जीवांश पदार्थों (पौधे—पत्तियों, अड्डी, रुधिर, सड़—गले मांस इत्यादि) से बने खादों के उपयोग के कार्यक्रम चलाए गये। इन खादों के बनाने की उन्नत विधियां विकसित की गयी और इनके उत्पादन एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहन एवं अनुदान दिए गये।

अधिक अन्न उपजाओं अभियान के कार्यक्रम चलाए जाने के साथ—साथ, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुसंधानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी अनेकों कार्यक्रम चलाये गये। इस प्रकार आधुनिक तकनीकों से जैविक कृषि का आरम्भ अधिक अन्न उपजाओं अभियान के काल में ही हो चुका था।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे “अधिक अन्न उपजाओं” अभियान से भी बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वहीं 1960 के दशक में दो बार सूखा पड़ने के कारण अकाल ने देश को गंभीर खाद्य संकट में डाला। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए दीनतापूर्ण याचना करनी पड़ी एवं पी.एल.ओ.—64 पर निर्भरता बढ़ी। इस विकट भयानक एवं निर्दयी संकटों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के स्वाभिमान एवं विश्वसनीयता को रखने के लिए देश के योजनाकार एवं वैज्ञानिक, इस चुनौती के लिए, तीव्रगामी व्यूह रचना बनाने हेतु प्रोत्साहित व कटिबद्ध हुए।

देश में 1960 के दशक के मध्य में मैक्रिस्कन गेहूं के विश्वसनीय विपुल उत्पादक किस्मों तथा बाद में फिलीपीन्स से धान के उन्नतिशील बीजों को आयात कर अनुसंधान केन्द्रों पर, स्थानीय अनुकूलता के अनुसार विभिन्न प्रजातियां विकसित की गईं साथ ही साथ उन्नतिशील कृषि प्रौद्योगिकी भी फसलवार विकसित की गयी।

उद्यमी कृषकों ने, तीव्र गति से विकसित हो रहे उत्पादन बढ़ाने वाले बीजों, रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों तथा सिंचाई के साधनों को अपनाने के अवसर को टर्निंग प्वाइंट समझ कर पकड़ लिया। सिंचाई क्षमता में विस्तार तथा कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत साख उपलब्धता के बहाव ने उन्नतिशील बीज, रसायनिक उर्वरक, कीट नाशक, फफूदी नाशक तथा खरपतवारनाशकों के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। इससे खाद्यानों की उत्पादकता तांत्र उत्पादन बढ़ा। खाद्यानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सघन जिला कृषि विकास तथा प्रशिक्षण एवं भ्रमण (**Training & Visit**) प्रणाली चलाई गयी। इसके साथ ही साथ देश में हरित कांति आयी जो सहाहनीय एवं चिरस्मरणीय हैं।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपुल उत्पादक बीजों उर्वरक, कीट एवं खरपतवारनाशक के उच्च उपयोग कर सघन कृषि से मिट्टी के स्वास्थ्य गुणवत्ता में कमी, विपुल उत्पादक किस्मों की उत्पादकता में ठहराव, उपयोग होने वाले आदानों की दक्षता में आ रही कमी तथा भूजल के स्तर में तेजी से आ रही गिरावट ने उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति कृषक भूमि के क्षेत्रफल में आ रही कमी, अच्छी कृषि वाली भूमि कटाव तथा समस्यामूलक भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार, असंतुलित व अन्यायिक पौध पोषक तत्वों का भूमि से निरन्तर शोषण तथा भूमि में उनकी आपूर्ति न होना तथा सिंचाई जल की कमी ने गंभीर विचारणीय समस्या उत्पन्न कर दी है। किसानों में कृषि यंत्रीकरण (ट्रैक्टर व अन्य यंत्रों) के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति ने बैल एवं पशुपालन में कमी ला दी है तथा वनों से जलाऊ लकड़ी की अनुपलब्धता होने से गोबर के उपले बनाकर जलाने से भूमि में जीवांश खादों के उपयोग से वंचित कर दिया है। परिणाम स्वरूप भूमि में कार्बनिक पदार्थ (हयूमस) की कमी होती जा रही है। हरित कांति के पहले हमारी भूमि में 3 से 4 प्रतिशत् जीवांश कार्बन थे, जो धीरे-धीरे घटकर 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक के स्तर पर आ गया है। जबकि भूमि में जीवांश कार्बन का उच्च स्तर (0.8 प्रतिशत से अधिक) से होना आवश्यक है।

ब्राजील के शहर रियो डिजनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के चैप्टर-13 में ऐजेन्डा-21 ए में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के विशेष प्रारूप बनाने पर सहमति हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में स्थायी रूप से वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा से है। इसके लिए शिक्षा; आर्थिक प्रोत्साहन और नवीन तथा उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जाना आवश्यक है। टिकाऊ कृषि का उद्देश्य सभी के लिए, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पर्याप्त पौष्टिक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, गरीबी दूर करने के लिए बाजार, रोजगार और आयोत्पादक उपाय लागू करना तथा संसाधन प्रबन्धन और पर्यावरण संरक्षण भी है।

टिकाऊ कृषि/ जैविक कृषि तीन मुख्य उद्देश्यों—पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक तथा आर्थिक समता का संयोजन करती हैं। जैविक कृषि में सर्वप्रथम “कृषि” या फार्म को एक पूर्ण जीवित संगठन (**Organism**) के रूप में देखा गया है। इस संगठन के महत्वपूर्ण अंग है खेत, पशु, उद्यान, जड़ी-बूटी, मोम, मित्र—कीट और स्वयं मनुष्य। सभी अंग मिलकर “कृषि” का संतुलन बनाये रखते हैं। यदि इन सभी अंगों में से किसी एक को भी स्थान न दिया गया तो समन्वय बिगड़ता स्वाभविक है। जिस प्रकार एक जीवित संगठन में विभिन्न प्रकार के रसायनिक तत्वों एवं यौगिकों के संयोजन से अंग, अंगों के संयोजन से अंग तन्त्र एवं कई अंग तन्त्रों के संयोजन से शरीर की रचना होती और किसी भी एक अवयव के असंतुलित होने से पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है उसी प्रकार से जैविक कृषि में संतुलन की अवस्था बनाये रखने के लिये इसके समस्त घटकों यथा पशु, मृदा, उद्यान, आदि का साम्य बनाये रखना अति आवश्यक है।

इसकी तुलना में 1940 से विश्व में प्रचलित आधुनिक कृषि के रूप में प्रसिद्ध औद्योगिक कृषि, कृषि को पुनर्परिभाषित करती है जहाँ कृषि सम्यता न होकर, उद्योग का रूप लेती है। परन्तु इस दिशा में मूल मंत्र

केवल उत्पादन होता हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक—चक, सहभागिता, वनस्पति एवं कीट इत्यादि का कोई स्थान नहीं रहता हैं।

औद्योगिक कृषि के नकारात्मक एवं हारिकारक पहलुओं को सर्वप्रथम यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि के कृषकों ने पहचाना। सन् 1923 ई0 में डा० रुडोल्फ स्टीनर जो कि एक आस्ट्रियन वैज्ञानिक व दार्शनिक थे ने सर्वप्रथम बताया कि रासायनिक कृषि सम्पूर्ण कृषि के साथ—साथ मनुष्य की वेचारिक शक्ति को भी नष्ट करती हैं। सन् 1925—1930 ई0 में सर अल्बर्ट हावर्ड ने कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रथम वैज्ञानिक शक्ति पद्धति को जन्म दिया यह पद्धति “इन्डौर खाद” के नाम से भारत के इन्डौर जनपद में सर्वप्रथम प्रदर्शित की गई। सन् 1920 के दशक में लेडी ई0 बालफोर ने “स्वाइल एसोसिएशन” (**Soil Association**) की स्थापना की तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रदूषण एवं कृषि में रसायनों के उपयोग से होने वाली हानियों पर वाद विवाद शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप सन् 1972 ई0 में **IFOAM** (जैविक कृषि आन्दोलन का अंतर्राष्ट्रीय फैडरेशन) की स्थापना हुई। जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तब से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों का बाजार 15—20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

भारत में जैविक कृषि

8 मई, 2002 को प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के करकमलों द्वारा ‘राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (**NPOP**)’ का आरम्भ हुआ। एन०पी०आ०पी० के प्रथम चरण (1998—99) में राष्ट्र स्तरीय “टास्क फोर्स” का गठन किया गया। टास्क फोर्स ने राष्ट्र में विभिन्न जैविक गतिविधियों का जायजा लिया एवं कृषि मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में वर्तमान जैविक कृषि पर आंकड़ों के साथ इसको बढ़ावा देने के लिये सुझाव भी प्रस्तुत किये। इसके साथ एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पाद के मानकों को प्रस्तुत किया गया। एपीडा द्वारा राष्ट्र में कार्यरत चार प्रमाणीकरण संस्थाओं को भारत में स्थानीय बाजार के लिये कार्य करने के लिये मान्य किया गया।

भारत में वर्तमान में प्रमाणित जैविक कृषि, चाय या कॉफी के बडे बागानों तक सीमित हैं, परन्तु कई राज्यों में मसाले, चीनी, बासमती इत्यादि क्षेत्रों में छोटे—छोटे प्रयास प्रगति पर हैं। अब तक मध्य प्रदेश व उत्तरांचल ने अपने अपने राज्यों की जैविक कृषि नीति स्पष्ट कर ली हैं।

वर्ष 2001—02 में देश से लगभग 9238 टन जैविक उत्पाद का विदेशों में निर्यात हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र, केरल एवं बंगाल ने राज्य स्तरीय जैविक कृषि कमेटी का गठन कर लिया है। कृषि मंत्रालय केज्ञापन संख्या 5—13/2001—मैन्योर्स के अनुसार राष्ट्र को वर्तमान रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। इन भागों में श्रेणियों के आधार पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। प्रथम श्रेणी में उत्तरांचल, झारखण्ड, राजस्थान एवं समस्त उत्तर—पूर्वी राज्य, द्वितीय श्रेणी में उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू—कश्मीर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात

तथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तृतीय श्रेणी में ऐसे राज्य आते हैं जिसमें मध्यम से अधिक मात्रा में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग होता है।

वर्तमान में लगभग तीन राष्ट्र स्तरीय जैविक कृषि एसोसिएशन गठित हैं। भारतीय जैविक व बायोडायैमिक कृषि संगठन, इन्दौर, बायोडायैमिक कृषि संगठन, बैंगलोर एवं भारतीय जैविक कृषक संगठन, बंगलौर। यद्यपि स्थानीय जैविक बाजार नगण्य हैं, फिर भी बड़े शहरों में छोटे स्तरों पर प्रयास जारी हैं।

उत्तरांचल में जैविक कृषि

भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल मूलतः पहाड़ी क्षेत्र है। प्रदेश के 58 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 42 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य हो रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। इसमें 9 जनपद पूर्णतः पर्वतीय एवं 2 जनपद पूर्णतः मैदानी तथा शेष 2 जनपदों में पर्वतीय एवं मैदानी भू-भाग सम्मिलित हैं। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 55.66 लाख हैक्टेयर हैं। जिसमें 34.66 लाख हैक्टेयर (62.27 प्रतिशत) वनाच्छादित हैं। राज्य में कृषि योग्य भूमि 7.93 लाख हैक्टेयर, 2.23 चारागाह तथा अन्य वृक्षों, झाड़ियों बागों आदि के अन्तर्गत 2.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है। प्रदेश में वास्तविक सिंचित क्षेत्र 3.47 लाख हैक्टेयर (50.06 प्रतिशत) हैं। जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में मात्र 14 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 86 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हैं। उत्तरांचल राज्य में कुल उर्वरक खपत 101 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक खपत मात्र 5 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा मैदानी भूभागों में लगभग 200 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हैं। राज्य के मैदानी जनपदों में सामान्य कृषि पद्धति में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से जहाँ खाद्यानों की पौष्टिकता एवं वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है, वहाँ दूसरी ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति एवं संरचना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जनपद उधमसिंहनगर के अधिकांश विकास खण्डों में मृदा नमूनों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि भूमि में जीवांश कार्बन न्यून स्तर (0.4 से 0.5 प्रतिशत) पर पहुँच गया है। इस परिस्थितियों को देखते हुए जैविक कृषि ही वर्तमान की आवश्यकता है। प्रदेश के गठन के पश्चात् यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि वन एवं ग्राम विकास दो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रदेश में एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ एक ओर पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में ग्रामवासी कृषि के लिए वन पर पूरी तरह निर्भर हैं वहाँ पौराणिक काल से ग्रामवासियों द्वारा जंगल को धरोहर का स्थान दिया गया है।

पहाड़ों में विकट भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, कृषि क्षेत्र में “हरित कान्ति” का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। कृषि मात्र भरण पोषण के लिए रह गई। इस प्रकार कृषि में आय न होने की वजह से, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ भारी मात्रा में मनुष्यों का पलायन होता रहा जिससे कृषि के घटकों यथा उद्यान, पशुपालन इत्यादि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। पारम्परिक उद्यान के क्षेत्रों में जहाँ बड़ी मात्रा में आलू, सब्जी व फल के बगीचे हैं वहाँ भी किसी भी प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास नहीं हो पाये हैं।

प्रतिवर्ष बढ़ते रसायनिक उर्वरक के प्रयोग से जहां एक ओर उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही है, वहीं बीमारियों व कीटों की समस्याएं बढ़ रहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कृषि किसी भी प्रकार की तकनीकी विकास (आधुनिक या जैविक) से वंचित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में लगातार रसायनिक पदार्थों के प्रयोग से कृषि भूमि का जीवांश स्तर तेजी से गिरता चला जा रही है, (**Report- CES**)।

उत्तरांचल में जैविक या टिकाऊ कृषि को महत्वपूर्ण बल देना भले ही नया मंत्र लग रहा है, परन्तु 1992 में रियो डिजनेरो में हुए यूएनोसीडीओ (**United Nation Conference on Environment and Development**) में भारत ने 189 देशों के साथ मिलकर एजेण्डा-21 पर हस्ताक्षर किये हैं। जिसमें अध्याय 13 के अन्तर्गत पहाड़ों में टिकाऊ कृषि व विकास के बारे में विवरण दिया गया है, इसमें कृषि का स्थान सबसे ऊपर है। साथ ही टिकाऊ कृषि व ग्राम्य विकास (**SARD**) के आदर्श क्षेत्र को विकसित करने का संकल्प लिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को यदि हम ध्यान में रखें, तो बाहर से भारी कीमत पर आयातित रसायनिक खाद, परिवहन व ढुलान पर आने वाले खर्च, रसायनिक उर्वरक, के प्रयोग के दूरगामी दुष्प्रभावों व कृषि कार्य में आवश्यकतानुसार रसायनिक खाद की कई कारणों से अनुपलब्धता ही जैविक खाद के पूर्णतयः विकेन्द्रीकृत, अर्थात् ग्राम—स्तर पर ही उत्पादन तथा भरपाई की जा सकेगी। जैविक खाद के सार्वभौमिक और विकेन्द्रीकृत उत्पादन तथा उसके व्यापक उपयोग से ही उत्तरांचल को एक कृषि—आधारित, प्रदूषण—विहीन, स्वास्थ्यवर्धक और स्वावलम्बी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वन—केन्द्रित होने के साथ—साथ जैविक खाद उत्पादन को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में स्थापित करने में वन विभाग, डेयरी विकास विभाग, पशुपालन विभाग, गन्ना विकास विभाग को ग्राम्य विकास के द्वारा गांवों में गठित किये जा रहे स्वयं सहायता समूहों, वन पंचायतों, संयुक्त वन प्रबंध समितियों, कृषक समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी गन्ना समितियों, महिला डेरी समितियों, स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित करने के वृहद प्रयास किये जायेंगे।

जैविक कृषि विकास की नजरों से अगर पहाड़ों की कृषि देखी जाए तो हम पाते हैं कि प्रदेश के वनों से लगभग 10 मिलियम मैट्रिक टन जैव—अवशेष विभिन्न जंगली पेड़ जैसे बांस, चीड़, देवदार, साल इत्यादि से पाये जाते हैं। यह महत्वपूर्ण जैव—अवशेष पौराणिक काल से पारम्परिक खाद बनाने के प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इस परम्परा को उन्नत एवं उपयुक्त तकनीक से बेहतर बनाने की बहुत अधिक संभवानाएं पायी गयी हैं। वर्ष 2001 से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चल रही टी०टी०डी०सी० (तकनीकी स्थानान्तरण व विकास केन्द्र) योजना में पाया गया है कि बेहतर तकनीकी से न केवल खाद की गुणवत्ता बढ़ती है, साथ ही जैव अवशेष के पूर्ण सड़न से कीड़े व भूमि सम्बन्धी बीमारियों में भी कमी पायी जाती हैं। महिलाओं के लिए पारम्परिक खाद की तुलना उच्च गुणवत्ता के कम्पोस्ट खेतों तक पहुंचाने के समय में व ढुलान में लगने वाली मेहनत में भी महत्वपूर्ण अन्तर पाया गया है।

उत्तरांचल के कृषि विकास क्षेत्र में जैविक की उन्नत तकनीकों से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के सीमान्त कृषक लाभान्वित रहेंगे। साथ ही कम लागत में अधिक उत्पादन होने की सम्भवना भी अधिक है। कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण की कियाओं को पार करके जैविक बाजारों तक पहुंचने की क्षमता होने से कृषक को अपने उत्पाद का यथोचित मूल्य मिलने की सम्भावनायें प्रबल हुई हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी टिकाऊ कृषि पर ध्यान देने से कृषकों की लागत कम किये जाने की आशा है, एवं यह कृषि भूमि को सुधारने का एक सरल उपाय भी हैं।

जैविक ग्राम में जैविक कृषि प्रबन्धन

2.1. जैविक ग्राम: परिभाषा

“ ऐसे ग्राम जहाँ कृषक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हों, तथा कृषि रसायनों के दुष्प्रभाव को देखते हुये जैविक कृषि की महत्ता को अंगीकार कर लिये हैं, और जहाँ विभिन्न जैविक कृषि सम्बन्धी गतिविधियाँ अपनाई जा रही हैं।”

2.2. जैविक कृषि के अन्तर्गत क्या करें, क्या न करें:

2.2.1 कृषि एवं उद्यान

क्या करें (Do's):

1. मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी/अधिकता को जानने के लिए मृदा परीक्षण कराएं।
2. कृषकों द्वारा उत्पादित/प्रकृति प्रदत्त जैव-अवशेष तथा बायो एजेन्ट (**Bio-Agent**) के प्रयोग से निर्मित जैविक खादों, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी का प्रयोग करें।
3. केंचुए की खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें।
4. जैव उर्वरकों (राइजोबियम, ऐजेटोबैक्टर, ऐजोस्पाइरिलम, पी०एस०बी० आदि) का प्रयोग संस्तुति के आधार पर करें।
5. रासायनिक तत्वों से मुक्त (**Free**) जल से फसलों की सिंचाई करें।
6. हरी खाद का प्रयोग करें।
7. वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाएं। फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश अनिवार्य रूप से करें।
8. गर्मी की गहरी जुताई करें।
9. फसलों/औद्योगिक वृक्षों की उचित प्रजातियों के जैविक बीज/पौधों का प्रयोग करें।
10. फसलों/फल वृक्षों के रोग कीट नियंत्रण हेतु जैविक तरल खाद/तरल कीटनाशी, एन०पी०बी०, बायो-पेस्टीसाइड, जैविक-बीजोपचार (सूर्यकिरण, गर्मजल उपचार आदि) जैसी परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग करें।
11. बीजों को बुवाई से पूर्व अनिवार्य रूप से जैव पद्धतियों द्वारा उपचारित करके ही बुवाई करें।

12. खरपतवार नियंत्रण हेतु समय पर निराई—गुडाई, स्टेल फार्मिंग, समय पर बुवाई/रोपण, बुवाई की सही पद्धति का चयन, अन्तः फसल (**Inter cropping**) पद्धति को अपनाएं।
13. मल्चिंग (**Mulching**) हेतु जैव अवशेष का प्रयोग करें। इससे नमी संरक्षण के साथ—साथ खरपतवारों पर भी नियंत्रण होगा।
14. कृषि वानिकी (एग्रोफारेस्ट्री) को अपनाएं।
15. नाइट्रोजन स्थिरकारी (**Nitrogen Fixing**) पौधों, यथा एकेसिया जैसी प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दें।
16. जल संचयन (वाटर हारवेस्टिंग) को बढ़ावा दें।
17. फसलों/फसलों की कटाई/तुड़ाई भौतिक परिपक्वन अवस्था (**Physical maturity stage**) पर करें। जिससे अगली फसल की बुवाई हेतु खेत की तैयारी एवं अन्य शस्य कियाओं हेतु पर्याप्त समय मिल सकें।
18. फसल अवशेष को खेत में ही मिट्टी में मिला दें।
19. उत्पाद की समुचित सफाई, छटनी (**Grading**) एवं प्रसंस्करण करें।
20. उत्पाद को परम्परागत जैविक विधि से भंडारित करें।
21. विविधीकृत कृषि (**Diversified Farming**) को बढ़ावा देना। जैसे फसलोत्पादन के साथ—साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्त्य पालन, जड़ी—बूटी उत्पादन आदि को अपनाएं।
22. जैविक बाढ़ (**Bio-Fencing**) को बढ़ावा दें।
23. मधुमक्खी पालन इकाई की प्रक्षेत्र पर स्थापना करें। जिससे फसलों/फलों के परागगण (**Pollination**) को बढ़ावा मिलें।
24. जल एवं भूमि संरक्षण की प्राकृतिक पद्धतियों को अपनायें।

क्या न करें (Don's):

1. रासायनिक उर्वरकों/कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग न करें।
2. फसल अवशेष/जैव अवशेष को न जलायें।
3. कारखानों के प्रदूतिषत जल/सीवेज जल से फसलों की सिंचाई न करें।
4. खेत की कम से कम जुताई कर मृदा की सरंचना को कम से कम हानि पहुँचाएं।
5. पर्यावरण (जल, भूमि एवं वायुमण्डल) प्रदूषित करने वाली पद्धतियों को न अपनायें।
6. मित्र कीट/जन्तुओं को क्षति न पहुँचायें।
7. दलहनी एवं तिलहनी फसलों की कटाई जमीन की सतह से करें न कि पौधों को जड़ से उखाड़ें।
8. प्रतिवर्ष एक ही फसल न लगाएं।
9. बिना मार्ग दर्शन के नया जैविक उत्पाद प्रयोग में न लाएं।

जैविक ग्राम एवं कृषक के मानक, चयन एवं पंजीकरण

2.3. जैविक ग्राम का चयन :

भविष्य में जैविक ग्रामों का चयन प्रत्येक योजना के क्षेत्रीय कार्यकर्ता (मास्टर ड्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं के माध्यम से, विकास खण्ड के सहयोग से, स0वि0अ0 (कृषि) तथा मुख्य कृषि अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

2.4. जैविक ग्राम के मानक :

- 2.4.1. जैविक ग्रामों के कृषक जैविक कृषि से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी में रुचि रखते हों।
- 2.4.2. ऐसे ग्राम जहां बाजारोमुख उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा हों। जैविक ग्राम में जैविक बाजार की अपार संभावना हो, विपणन के लिए विशेष उत्पाद के उत्पादन की संभावना हो तथा ऐसे ग्रामों में परम्परागत फसलें, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकती हों, तथा यातायात की व्यवस्था समुचित हों।
- 2.4.3. ऐसे ग्राम जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल आदि की उपलब्धता हो।
- 2.4.4. ऐसे ग्राम जो पर्यटन मार्ग पर, पर्यटन स्थल के निकट अथवा भौगोलिक सौन्दर्य स्थल के निकट हों, को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाय।

2.5. जैविक कृषि का चयन :

- 2.5.1. कृषक अपनी कृषि भूमि पर जैविक कृषि के लिए समर्पित हो।
- 2.5.2. कृषक के पास कम से कम दो—गोवंशीय पशु हों।
- 2.5.3. लघु/सीमान्त एवं प्रगतिशील कृषकों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय।

2.6. जैविक कृषकों की पंजीकरण प्रक्रिया :

- 2.6.1. विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित जैविक कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित जैविक कृषकों के सम्यक प्रशिक्षण के उपरान्त उनका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
- 2.6.2. जैविक कृषक का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 2.6.3. पंजीकरण शुल्क ₹0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रति हैक्टेयर होगा। पंजीकरण धनराशि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कृषकों से वसूल की जायेगी तथा कृषकों को प्राप्ति रसीद (रुपपत्र-7) उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्राप्त धनराशि को ग्राम पंचायत कोष में जमा किया जायेगा।
- 2.6.4. पशुपालन : जैविक पशु पालन के अन्तर्गत दुधारू पशुओं का भी पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण शुल्क ₹0 2.00 मात्र प्रति पशु होगा। जैविक दुग्ध उत्पादन की आगामी योजना के लिए पूर्ण रूप से जैविक मानकों के आधार पर दूध का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु जैविक डेयरी/दुधारू पशुओं का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है।
- 2.6.5. पंजीकरण शुल्क की धनराशि का उपयोग :

जैविक कृषकों के पंजीकरण से प्राप्त शुल्क/धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत समिति की सहमति के उपरान्त केवल जैविक कृषि कार्यों के प्रोत्साहन एवं प्रचार-प्रसार हेतु ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्तरदायित्व

2.7. मुख्य विकास अधिकारी :

- 2.7.1. जैविक ग्रामों के चयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं अनुमोदन।
- 2.7.2. जैविक ग्रामों में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यों/योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन।
- 2.7.3. जैविक ग्रामों में कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा मासिक समीक्षा और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर शासन को समय पर उपलब्ध कराना।

2.8. मुख्य कृषि अधिकारी :

- 2.8.1. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर की सहायता से जैविक ग्रामों का चयन करना।
- 2.8.2. जैविक ग्रामों में क्रियान्वित विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तकनीकी समन्वयकों से सांमजस्य स्थापित कर जैविक कृषि कार्यक्रम में गति लाना।
- 2.8.3. मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना।
- 2.8.4. योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को गति प्रदान करना।
- 2.8.5. जैविक कृषि कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा एवं निरीक्षण कर आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना।
- 2.8.6. जनपद स्तर पर जैविक कृषि पर कार्यशाला, गोष्ठी/मेलों इत्यादि का आयोजन करना।
- 2.8.7. जनपद स्तर पर “जैविक कृषि पण्डित” के पुरस्कार हेतु मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्नतिशील जैविक कृषकों को सूचीबद्ध करते हुए नियमानुसार चयन करना।
- 2.8.8. विकास खण्डों से कार्यक्रम की “सफलता की कहानी(Success story)” का संकलन एवं प्रेषण।
- 2.8.9. कार्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव।

2.9 विकास खण्ड प्रभारी :

- 2.9.1. जैविक कृषि कार्यक्रमों को तत्काल अन्य योजनाओं को साथ संयोजित (Tieup) करते हुए महत्वपूर्ण स्थान देना।
- 2.9.2. विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित जैविक कृषि कार्यक्रमों का समयबद्ध रूप से निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को आख्या/रिपोर्ट प्रेषित करना।

- 2.9.3. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए गतिशीलता प्रदान करना।
- 2.9.4. जैविक कृषि कार्यकर्ताओं की ग्राम स्तरीय बैठकों में समीक्षा करना।
- 2.9.5. जैविक ग्रामों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को संकलित कर उच्चाधिकारियों का प्रेषित करना।
- 2.9.6. जैविक कृषि से सम्बन्धित कार्यशाला, गोष्ठी/मेला, प्रचार-प्रसार आदि हेतु भरपूर सहयोग प्रदान करना।
- 2.9.7. जनपद स्तरीय “जैविक कृषि पण्डित” के पुरस्कार हेतु उन्नतशील जैविक कृषकों के प्रस्ताव को प्रेषित करना।
- 2.9.8. कार्यकर्ता के विभिन्न विधायों के अच्छे कार्यों की सफलता की कहानियों को संकलित कर प्रेषित करना।

2.10 सहायक कृषि अधिकारी—

- 2.10.1 जैविक ग्रामों का मानक के अनुसार चयन करना।
- 2.10.2 जैविक कृषि कार्यकर्ताओं के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण, अनुश्रवण, तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- 2.10.3. कृषकों के पंजीकरण में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।
- 2.10.4. मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करना एवं जैविक ग्रामों का भ्रमण कर कृषकों को योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना।
- 2.10.5. मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी देना, उनका प्रोत्साहन तथा समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- 2.10.6. कार्यकर्ता हेतु आवश्यक अभिलेख तैयार करना एवं रखरखाव।
- 2.10.7. सफलता की कहानियां, फोटोग्राफी आदि का संकलन एवं प्रेषण।

2.11. न्याय पंचायत प्रभारी :

- 2.11.1. जैविक कृषकों का सहायक विकास अधिकारी, कृषि एवं मास्टर ट्रेनर के सहयोग से पंजीकरण करना।
- 2.11.2. निर्धारित पंजीकरण शुल्क कृषकों से प्राप्त कर उन्हें रूपपत्र-7 प्रदान करना।
- 2.11.3. पंजीकरण शुल्क को ग्राम पंचायत कोष में जमा करना।

2.12. बी0टी0एम0 / जैविक कृषि कार्यकर्ता :

- 2.12.1. जैविक कृषकों के प्रशिक्षण के उपरान्त जैविक कृषि कार्यकर्ताओं को कार्यान्वित करना।
- 2.12.2. जैविक कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करना।
- 2.12.3. विभिन्न जैविक प्रयोगों को कृषकों के साथ मिलकर क्रियान्वित करना।
- 2.12.4. सहायक कृषि विकास अधिकारी के साथ मिलकर कार्य योजना के अनुसार विभिन्न कार्यों को समयान्तर्गत सम्पादित करना।
- 2.12.5. जैविक कृषकों, आच्छादित क्षेत्रफल, जैविक उत्पाद आदि का लेखा जोखा रखना। जैविक कृषकों की डायरी, जैविक ग्राम की डियरी एवं अभिलेखन पुस्तिका का अवलम्बन करना।

- 2.12.6. जैविक कृषकों का प्रोत्साहन एवं समय—समय पर मार्गदर्शन करना।
- 2.12.7. जैविक कृषकों की समस्याओं एवं अन्य चुनौतियों से सहायक कृषि विकास अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/तकनीकी समन्वयक को अवगत कराना।

जैविक कार्यक्रम : परामर्श एवं तकनीकी सहयोग

2.13. कृषि निदेशालय

- 2.13.1. समस्त जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य की रूपरेखा तैयार करना।
- 2.13.2. जैविक ग्राम की कार्य योजना बनाना।
- 2.13.3. प्रचार—प्रसार साहित्य, नारे (**Slogan**) इत्यादि प्रकाशित करने हेतु रूपरेखा तैयार करना।
- 2.13.4. राज्य स्तर पर जैविक कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- 2.13.5. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर वार्षिक आख्या (रिपोर्ट) तैयार कर प्रस्तुत करना।
- 2.13.6. जैविक ग्रामों की सफलता की कहानियां (**Success Stories**) का संकलन करना।
- 2.13.7. राज्य स्तर पर “जैविक कृषि पण्डित” पुरस्कार हेतु उन्नतिशील जैविक कृषकों की सूची का संकलन करना।
- 2.13.8. प्रदेश स्तर पर जैविक कृषि, पशुपालन, /डेयरी, उद्यान एवं अन्य घटकों के लिए निर्धारित जैविक प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर गतिशील बनाना।
- 2.13.9. प्रदेश स्तरीय गोष्ठी, सेमीनार, उपभोक्ता मेले आदि का आयोजन कराना।
- 2.13.10. मोटे अनाज जैसे मंडुवा तथा स्थानीय दलहनी फसलों यथा गहत, कालाभट्ट आदि की अलग से कार्य योजना बनाना। इन फसलों हेतु उन्नतिशील बीज, नवीन जैविक कृषि तकनीकी को अपना कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। फसलों में गुणवत्ता के निर्धारण हेतु पोषक तत्वों का परीक्षण कराना तथा व्यापक प्रचार—प्रसार सुनिश्चित करना।
- 2.13.11. जैविक कृषि से सम्बन्धित अन्य सहयोगी घटक जैसे जैविक भण्डारण के बेहतर उपाय, कृषि उपकरण, उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की कम्पोस्ट बनाने की विधियां, वर्मी कम्पोस्ट, सी०पी०पी० इत्यादि के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना।

2.14. उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद :

- 2.14.1. समस्त जैविक ग्रामों की विकासखण्ड सूची संकलित करना।
- 2.14.2. समस्त मास्टर ट्रेनर/ जैविक कृषि कार्यकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सूची को संकलित करना।
- 2.14.3. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।
- 2.14.4. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त मासिक प्रगति आख्या का संकलन करवाना।
- 2.14.5. जैविक उत्पादों एवं कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित वार्षिक सूचना का संकलन करना।

- 2.14.6. विभिन्न जैविक कृषि योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- 2.14.7. जैविक उत्पादों के विपणन सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 2.14.8. जैविक उत्पादों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण रखना।
- 2.14.9. प्रदेश में चल रही विभिन्न जैविक परियोजनाओं, गैर सरकारी संस्थान (**NGO**) स्तरीय कार्यक्रम एवं निजी संस्थाओं के कार्य एवं प्रयासों को एकबद्ध करना।
- 2.14.10. इन प्रयासों की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग करना।
- 2.14.11. जैविक कृषि के विभिन्न पहलुओं को कृषक तक योजनाओं के माध्यम से पहुँचाना।
- 2.14.12. नीतिगत विषयों पर विचार करना।

2.15. मण्डी परिषद :

- 2.15.1. प्रदेश की समस्त मण्डियों में जैविक कृषि उत्पाद के लिए विशेष स्थान प्रावधान करना।
- 2.15.2. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित नारे (**Slogan**), बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं कार्यक्रम को प्रदर्शित करना।

2.16. उत्तरांचल राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था :

- 2.16.1. जैविक कृषकों के प्रमाणीकरण हेतु कृषक डायरी का रूप पत्र तैयार करना, एवं सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना।
- 2.16.2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को शीघ्र कियान्वित करना।
- 2.16.3. जैविक कृषकों एवं जैविक कृषि उत्पाद का लेखा जोखा से सम्बन्धित रिकार्ड रखना।

जैविक कृषि कैसे अपनायें – कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

भारत में हरित कान्ति के आगमन के पूर्व लगभग सर्व, कृषक एक तरह के जैविक कृषि कार्य प्रणाली में ही अपने विभिन्न कृषि कार्य कलापों को सम्पन्न करते थे। उत्तरांचल जैसे अन्य असिंचित प्रदेश के क्षेत्रों में अभी भी जैविक पद्धति (विना रसायन के प्रयोग) से कृषि कार्य किया जाता है परन्तु आधुनिक काल में जैविक कृषि की परिभाषा के अनुसार केवल रसायनों के प्रयोग को निषेध करना मात्र जैविक कृषि नहीं कहलाता है। रसायनों के प्रयोग को ‘पूर्णत’ प्रतिबन्धित कर अन्य कई कार्य जो हर प्रकार से संतुलित रखते हैं जैसे पशुओं का रख रखाव, फसल चक, सहभागी फसल, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, कृषि में उद्यान, पशुपालन, महिला वर्ग की सहभागिता, भण्डारण व विपणन में पारदर्शक गतिविधियां आदि समस्त कार्यों के संयुक्त सम्मिलन से जैविक कृषि मानी गई हैं।

पौराणिक काल में शायद यहीं कृषि अपनाई जाती थी जब कृषि मात्र खाद्यान पैदा करने के लिए नहीं, एक संस्कृति के रूप में अपनाई जाती थी।

ठीक इसी प्रकार विश्व में खाद्यान उत्पादन के स्रोत की जानकारी से उपभोक्ता को अवगत कराना भी जैविक कृषि विपणन का महत्वपूर्ण अंग है। डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों के इस युग में यह जानना संभव नहीं कि प्रातः का भोजन विश्व के किस कोने से है तथा रात्रि का भोजन कहां से प्रकट हुआ है। इस प्रकार स्थानीय बाजार में खाद्यान की उपलब्धता व उपभोक्ता हेतु ताजे उत्पादों की उपलब्धता भी जैविक कृषि विपणन का एक अंग है।

एक आम छोटा कृषक शीघ्र व कम कष्ट से जैविक में रूपांतरित हो सकता है अबल यह जानना महत्वपूर्ण है कि जैविक बाजार के लिए पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि संरक्षण, पशु प्रबन्धन एवं पर्यावरण संतुलन को सुधारना है। जब कृषक दो-तीन फसल चकों को जैविक पद्धति से पूर्ण कर लेते हैं तब प्रमाणीकरण की औपचारिक को पूर्ण करने के पश्चात् बाजार में अपना उत्पाद सरल हो जाता है।

जैविक कृषि का प्रबन्धन अवशेष प्रबन्धन है जब कृषक को जैविक अवशेष से खाद बनाने की तकनीकों का ज्ञान हो तो उसे स्थानीय रूप से प्राप्त कृषि अवशेष, गोबर, जंगल के पत्ते आदि के बेहतर उपयोग से कम्पोस्ट में प्रयोग करने से लागत धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। मैदानी क्षेत्रों में यह रूपांतरण समयावली की कुछ संस्तुतियों से संभव है जिन क्षेत्रों में पूर्व में रसायनों में अत्याधिक प्रयोग हो रहा है वहां 2 से 3 वर्ष की अवधि में बिना उत्पादन क्षमता में गिरावट के जैविक उत्पाद लिया जाना संभव है।

एक आम कृषक को जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिए कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता होगी। यदि कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्रों में प्रकृति प्रदत्त जैव अवशेष का उचित प्रबन्धन कृषि उपयोग हेतु करता है तो बिना रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी का प्रयोग किये ही स्थायी उत्पाद प्राप्त

कर सकता है जैविक कृषि कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है कि कृषि क्षेत्र में कृषक को स्वाबलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जाय जो कि हमारी पर्वतीय कृषि के लिए निश्चित ही उपयोगी होगा।

पारम्परिक रूप से कृषि करने वाला कृषक एवम् वह कृषक जो नाम मात्र की मात्रा में रसायनों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए जैविक कृषि में रूपान्तरण आसान है परन्तु प्रमाणीकरण हेतु कृषि की दैनिक गतिविधियों का लेखा रखने के अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। यहां पर यह बताना भी आवश्यक है कि पारम्परिक कृषि पद्धति, जैविक कृषि प्रमाणीकरण हेतु मान्य है परन्तु पारम्परिक कृषि को बिना रसायनों के प्रयोग से आधुनिक तकनीकी से बेहतर बनाया जा सकता है।

उदाहरणतः हम उत्तरांचल में फसल उत्पादन व भरण पोषण के परिप्रेक्ष्य में पारम्परिक अनाजों के उत्पादन को ले तो हम देखते हैं कि इनका उत्पादन इतना नहीं है जिससे कृषक अपना भरण पोषण भी करें और अतिरिक्त अनाज को बाजार में विक्रय कर आय का साधन भी जुटा सकें। इन क्षेत्रों में यदि पारम्परिक अनाज का उत्पादन बढ़ाना हमारा उद्देश्य हो तो असिंचित क्षेत्र की भूमि पर रसायनों का प्रयोग उचित नहीं है और अवैज्ञानिक भी है। इस कृषि कार्य में उन्नत जैविक निवेशों का प्रयोग कर अच्छे उत्पाद लेना सम्भव है। जैविक कृषि निवेश स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन करके किया जा सकता है। ये निवेश बहुत कम खर्चीले होते हैं। ये पारम्परिक पद्धतियों के महज एक सुधार मात्र है और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं हैं। अंततः ये सुधारी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियों के कहज एक सुधार मात्र हैं और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं है। अंततः ये सुधारी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियां, असिंचित कृषि क्षेत्रों के लिये आधुनिक जैविक कृषि का रूप ले लेती हैं।

इस प्रकार जैविक कृषि में रूपान्तरण हेतु सबसे पहले

❖ कृषक वैज्ञानिक विधियों से विभिन्न उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों को अपनाएं। इन्हें अपनी दिनचर्या व सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में लाएं।

❖ उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों के निम्नलिखित लाभ जानें—

- (1) परम्परागत रूप से उपलब्ध कृषि अवशेषों, पत्तों गोबर, इत्यादि में पोषक तत्वों का संतुलित विधियों से सुधार होता है।
- (2) पौधों को पूर्णतया सड़ी खाद उपलब्ध होती है।
- (3) पूर्ण रूप से सड़ी खाद का प्रयोग करने से अपूर्ण रूप से सड़ी कम्पोस्ट के प्रयोग से उत्पन्न अनेकों प्रकार की बीमारियों, कीटों से खेत बचे रहते हैं।
- (4) पूर्ण रूप से सड़ी खादें हल्की होती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होता है।
- (5) कृषि अवशेष, गोबर जैसे अनमोल प्राकृतिक स्रोतों का सही प्रकार से उचित प्रबन्धन होता है।
- (6) पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा से पारम्परिक फसलों, फल, सब्जियों में अधिक उत्पादकता मिलती है।
- (7) भूमि में पोषक तत्वों की संतुलित उपलब्धता से पौधों में भी संतुलन आता है तथा उनमें रोग व कीटों के प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधकता का भी विकास होता है।

- (8) नाईट्रोजन (नत्रजन), फार्स्फोरस (स्फुर) तथा पोटाश के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम व्यय में कृषि अवशेष, खरपतवार के कम्पोस्ट में प्रयोग से खेत तक पहुंचाय जा सकता है।
- (9) निर्देशित उचित फसल चक, हरी खादों का प्रयोग, परम्परागत कीट नियंत्रण तकनीकों को अपनाएं। ये तकनीकें कम खर्चीली होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए हानिरहित भी होती हैं।
- (10) आलू, गोभी जैसी उच्च पोषक तत्व मांग वाली फसलों को खेत में उगाते समय उचित फसल चक व अन्तरवर्तीय फसलों को उगाने का प्रयास करें।
- (11) कम्पोस्ट खाद बनाने को कृषक अपने लिए “खाद उद्योग” का दर्जा दे सकता है। कम्पोस्ट खाद का निर्माण करते समय विभिन्न पदार्थ जैसे हड्डी का चूरा, नीम की खली, हरा पदार्थ इत्यादि मिलाने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है।

इस प्रकार जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कृषक नीम, बकैन, सिसुणा, लैण्टाना, अखरोट आदि के पत्ते, सड़ा मट्ठा गौ—मूत्र जैसे पदार्थ के प्रयोग से मित्र कीटों को हानि पहुंचाए बिना शत्रु कीटों को दूर भगाते हैं और पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे कृषक विभिन्न जैविक क्रिया कलापों को अपनाते जाते हैं वैसे वह संतुलित कृषि की ओर बढ़ते जाते हैं।

जैविक कृषि का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग पशु भी है। पशु को उचित चारा, उचित रख रखाव तथा प्रतिदिन न्यूनतम चार घण्टे मुक्त भ्रमण दिया जाना चाहिए। पशु सदन में स्वच्छ वायु संचार, सूर्य की रोशनी, बन्धन की उन्नत विधियां, अनावश्यक रूप से कार्य दोहन पर रोक व मानवीय अत्याचार से मुक्ति आदि सभी जैविक कृषि के ही महत्वपूर्ण अंग हैं।

जैविक कृषि उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृषि गतिविधियों का सम्पूर्ण दस्तावेजीकरण। प्रमाणीकरण की जटिल प्रक्रिया की चुनौती व सुविधापूर्ण रूप से सामना करने के लिये कृषक यदि प्रारम्भ से ही एक छीटी सी पुस्तिका में अपने कृषि कार्यों की समस्त गतिविधियों को जिनमें बीज का स्रोत, बोने की तिथि, कम्पोस्ट निर्माण व खेत में फसल की तिथि व विधि, निवेश का लेखा जोखा, फसल कटान की जानकारियां, भण्डारण का लेखा जोखा इत्यादि शामिल हैं को सरल भाषा में लिखते जाएं तो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त सरल हो जाती है।

जैविक कृषि अपनाते समय कृषि सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जो निम्न प्रकार से हैं—

1. ग्राम के समस्त कृषक सामूहिक तरीके से एक जुट होकर चयनित जोतों को मिलाकर एक बड़ी जोत बनाकर जैविक कृषि करें। प्रत्येक ग्राम में कम से कम 1–1.50 हेक्टेयर तक की बड़ी जोत मिलाने का प्रयास करें। इससे जैविक उत्पादन भी बढ़ेगा तथा जैविक प्रक्षेत्र को पारम्परिक व रसायनिक कृषि प्रक्षेत्रों से अलग रखने हेतु बफर जोन बनाने में सरलता रहती है फलस्वरूप पानी के स्रोत, वायु, पशु, आवागमन इत्यादि से संक्रमण कम हो जाती है।

2. सामूहिक रूप से छिड़काव यंत्रों, प्रसंस्करण यंत्रों यथा थ्रैशर अत्यादि का प्रयोग करें जिससे व्यय में कमी होगी और कार्य में सरलता रहेगी इन यंत्रों को रसायनों हेतु कदापि प्रयोग न करें और चिन्हित अवश्य करें।

3. सामान्तर उत्पादन के लिये प्रमाणीकरण संस्थाएं सदैव से ही संवेदनशील रहती हैं। कृषक एक प्रकार की फसल को जैविक तथा रसायनिक दोनों पद्धतियों से एक साथ न उगाएं। इस सावधानी को अपनाने से समानान्तर उत्पादन सम्बन्धित आपत्ति जैविक प्रमाणीकरण में रुकावट नहीं बनती है।

इस प्रकार कृषक, जैविक कृषि की पद्धतियों विभिन्न क्रियाकलापों को अपनी जीवनशैली में अपनाकर एवं लघु कृषक डायरी में लेखा जोखा रखकर अत्यन्त सरलता से सफल जैविक कृषक बन सकता है।

यथा फसल की कटाई, छटनी, प्रसंस्करण, भण्डारण इत्यादि प्रत्येक अवस्था में इस बात का ख्याल अवश्य रखना होगा कि जैविक उत्पाद में किसी भी प्रकार से अन्य उत्पादों का सम्मिश्रण न हो।

जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य जैविक उत्पाद की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण अति आवश्यक है यह प्रमाणीकरण उपभोक्ता को आश्वस्त करता है कि उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद रसायनमुक्त व जैविक है साथ ही साथ यह सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (**TQM-Total Quality Management**) में भी सहायक होता है।

लघु व सीमान्त कृषकों के लिए यूं तो प्रमाणीकरण प्रक्रिया काफी मंहगी है परन्तु वे सभी जैविक गतिविधियों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करके एवं समूह में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली लागू कर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को काफी सस्ता एवं सुलभ बना सकते हैं।

पर्वतीय कृषि को व्यावसायिक रूप प्रदान करने लिए जैविक कृषि कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं तथा जैविक गुणवत्ता उत्पाद के निर्यात की भी व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे खेतों में जैविक गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करके पर्वतीय कृषि बाजारोन्मुखी बनाया जा सकता है। जिसमें कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र पर उत्पादित जैविक खाद कम्पोस्ट तरल खाद, जैविक कीटनाशी का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता उत्पाद (**High Value Product**) का उत्पादन ले सकता है जिससे हमारी कृषि लागत एवं कृषकों की दूसरों पर निर्भरता घटेगी तथा हमारे राज्य का पर्यावरण भी अच्छा होगा।

—:: मैनुअल-9 ::—

(अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका)

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल (कार्यालय का नाम)	मोबाइल नं०
1	2	3	4	9
1	डा० विकेश कुमार सिंह यादव	मुख्य कृषि अधिकारी (श्रेणी-1)	मुख्य कृषि अधिकारी	9412987380
2	श्री रमेश प्रसाद	कृ०एवंभू०सं०अ० (श्रेणी-2)	कृ०एवंभू०सं०अ० रुडकी	9412412685
3	श्रीमती ऋतु कुकरेती जुयाल	कृ०एवंभू०सं०अ० (श्रेणी-2)	कृ०एवंभू०सं०अ० हरिद्वार	9639243493
4	श्री अरविन्द कुमार गौतम	कृषि रक्षा अधिकारी (श्रेणी-2)	मुख्य कृषि अधिकारी	9411703500
5	श्री रमाकान्त त्रिपाठी	मुख्य प्रशासा० अधिकारी (श्रेणी-2)	कार्यालय में	9411512277
6	श्री धर्मेन्द्र कुमार	व०प्र०अधिकारी	कार्यालय में	8923871151
7	श्री पदमपाल सिंह	वरिप्र०अधिकारी	कार्यालय में	9719672795
8	श्रीमति अवतारी खुल्बे	प्रभा० सहा० निदे०/वर्ग-1	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, बहादराबाद	9719118566
9	श्री संजय कुमार	वर्ग-1	कार्यालय में	9927450107
10	श्री अमित कुमार	वर्ग-1	कार्यालय में	9634317596
11	श्री सुनील कुमार	वर्ग-1	कार्यालय में	9759071377
12	श्री आशु कुमार	वर्ग-1	मण्डी ज्वालापुर	9456164524
13	श्री अनुज कुमार	वर्ग-1	मण्डी रुडकी	9027901185
14	श्री सुरेश चन्द	वर्ग-1	मण्डी मंगलौर	9719521484
15	श्री बीर सिंह	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी, बहादराबाद	8755291270
16	श्री शेरपाल सिंह	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी, लक्सर	8218231191
17	श्री हर्षवर्धन कुमार	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी, खानपुर	8923042129

18	श्रीमति पारूल चौधरी	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी,रुडकी	9536299989
19	श्री शेर सिंह	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी,नारसन	9410785191
20	श्री दिनेश कुमार	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी,भगवानपुर	9897544942
21	श्री राजकुमार	वर्ग-1	कृ०एवंभ०स०अ०बहादराबाद,कार्यालय	7579181368
22	श्री विपिन कुमार	वर्ग-1	कृ०एवंभ०स०अ०रुडकी,कार्यालय	9528535858
23	श्री सोहनपाल सिंह	वर्ग-2	मुदा परीक्षण प्रयोगशाला,बहादराबाद	8899733342
24	श्री राजबीर सिंह	वर्ग-2	बीज भण्डार रुडकी,	9412990421
25	श्री जयवीर सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत,नन्हेडा अन्नतपुर	9411368264
26	श्री चैनपाल सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत, ताँशीपुर	9411145826
27	श्री सहेन्द्रपाल सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत,पनियाला	9412962004
28	श्री कर्मन्द्र कुमार शर्मा	वर्ग-2	न्याय पंचायत, भौरी	9411332462
29	श्री राजेन्द्र कुमार सहरावत	वर्ग-2	न्याय पंचायत, दौलतपुर	9557020233
30	श्री अनिल कुमार मलिक	वर्ग-2	न्याय पंचायत,इमलीखेडा	9760385568
31	श्री सतेन्द्र कुमार	वर्ग-2	न्याय पंचायत,खाताखेडी	9919350406
32	श्री रमेश चन्द	वर्ग-2	न्याय पंचायत, बेलडा	9412923082
33	श्री सुरेन्द्र कुमार	वर्ग-2	बीज भण्डार भगवानपुर,न्याय पंचायत,भगवानपुर	9758577296
34	श्री विनोद कुमार गौतम	वर्ग-2	न्याय पंचायत,हबीबपुर निवादा,डाङाजलालपुर	9411565922
35	श्री देवेन्द्र सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत, खेडीशिकोहपुर	9412639030
36	श्री राजकुमार सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत, नौकराग्रन्त	9412149939

37	श्री गुलजार अली	वर्ग-2	न्याय पंचायत, सिकन्दरपुर भैसवाल	9412571801
38	श्री सुखपाल सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत, चुडियाला	9761667799
39	श्री खेमप्रकाश वर्मा	वर्ग-2	बीज भण्डार, नारसन	9536646854
40	श्री धर्म सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत, नारसनकला	8171308097
41	श्री ओमकार सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत, मखदूमपुर	9412639754
42	श्री राजबीर सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत, गाधारोणा	9411152002
43	श्री देवेन्द्र सिंह	वर्ग-2	न्याय पंचायत, मौहम्मदपुर जट्	9412801785
44	श्री सतेन्द्र कुमार	वर्ग-2	न्याय पंचायत, ढन्डेरा	9410814305
45	श्री राकेश कुमार	वर्ग-2	न्याय पंचायत, बहादराबाद	9897880855
46	श्री महिपाल सिंह	वर्ग-2	बफर गोदाम प्रभारी बहादराबाद, कोटामुरादनगर	9411724326
47	श्री प्रमोद कुमार चौहान	वर्ग-2	न्याय पंचायत, सलेमपुर	9412916993
48	श्री साहब राजराम	वर्ग-2	न्याय पंचायत, जमालपुरकलां,	9411706179
49	श्री वीरेन्द्र कुमार रमोला	वर्ग-2	न्याय पंचायत, लालढांग	9412111917
50	श्री युद्धबीर सिंह रावत	वर्ग-2	न्याय पंचायत, अकोडाकलां	9058069123
51	श्री कर्मवीर सिंह चौहान	वर्ग-2	न्याय पंचायत, मुण्डाखेडाकलां	9411608959
52	श्री हरिओम सिंह यादव	वर्ग-2	न्याय पंचायत, निरंजनपुर	9411740025
53	श्री अशोक कुमार शर्मा	वर्ग-2	न्याय पंचायत, रायसी	9410881781

54	श्री प्रमोद कुमार चौधरी	वर्ग-2	न्याय पंचायत, बहादरपुर खादर	9411512226
55	श्री सुभाषचन्द शर्मा	वर्ग 2	न्याय पंचायत, सुल्तानपुर	9411326316
56	श्री विजयपाल सिंह	वर्ग 2	न्याय पंचायत, भिक्कमपुर जीतपुर	8755305551
57	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	वर्ग 2	न्याय पंचायत, मोहम्मदपुर बुजुर्ग	9456171822
58	श्री सुरेशपाल सिंह	वर्ग 2	न्याय पंचायत, खानपुर	9412867785
59	श्री योगेन्द्र कुमार तोमर	वर्ग 2	न्याय पंचायत, गोवर्धनपुर	9412439129
60	श्रीमति अनिल रविवाल	प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	9759763524
61	श्री नवनीत कुमार	प्रवर सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	9528301831
62	श्री अविनाश सिंह	कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	8899747354
63	श्री अशवनी कुमार	सहायक अभियन्ता	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	7830552445
64	श्री सोमप्रकाश	अनुसेवक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	9012161497
65	श्री मैनपाल	अनुरेखक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	
66	श्री राकेश कुमार	वाहन चालक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	9719595639
67	श्री विनय कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	9410621688
68	श्री पदम सिंह	वाहन चालक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	8439880337
69	श्री राजेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	8445701774
70	श्री शिशुपाल सिंह	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	8923385981
71	श्री तेजपाल सिंह	अनुसेवक	रा०बी०भ०रुडकी	9410330569

72	श्री संजय भारद्वाज	अनुसेवक	रा०बी०भ०मगंलौर	8535001633
73	श्री पपीन्द्र कुमार	अनुसेवक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	9045372642
74	श्री बालेश त्यागी	अनुसेवक	रा०बी०भ०भगवानपुर	9045351591
75	श्रीमति सुशीला देवी	अनुसेवक	रा०बी०भ०रुडकी	8923615591
76	श्री हेमचन्द्र पाण्डे	अनुसेवक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	8954810710
77	श्री शुभम बहुगुणा	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	8057005204
78	श्री सोनू तंवर	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	9760045520
79	श्री प्रमोद कुमार	अनुसेवक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	7017744659
80	श्रीमति कमला देवी	अनुसेवक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	9758071212
81	श्री स्वर्ण लता	अनुसेवक	रा०बी०भ० मंगलौर	8755388697
82	श्री चन्द्रपाल	अनुसेवक	मृदा परी० प्रयोगशाला बहादाबाद	9411817751
83	श्रीमति दयावती त्यागी	अनुसेवक	मृदा परी० प्रयोगशाला बहादाबाद	9758882811
84	श्री प्रमेश कुमार	लेखाकार	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	9412072419
85	श्री सन्दीप तोमर	अवर अभियन्ता	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	9412542333
86	श्री सुधीर बड्धवाल	सहायक लेखाकार	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	8006373756
87	श्री मती रुबी गौतम	मानचित्रक	कृषिएंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	9456126878
88	श्री दीपक सेमवाल	कनिष्ठ सहायक (सम्बद्ध चकराता कालसी)	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	9456774520
89	श्री मती माया देवी	कनिष्ठ सहायक	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	7409008136
90	श्री तेजवीर सिंह	वाहन चालक	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	9760755059
91	श्री त्रिलोक चन्द्र	चतुर्थ श्रेणी	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	9760755059
92	श्री अकिंत कुमार	चतुर्थ श्रेणी	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	8077337277
93	श्री सोहन पाल	वर्ग-2	भण्डार प्रभारी खानपुर	9719408545

—:: मैनुअल-10 ::—

(प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके नियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं)

क्रमांक 0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल (कार्यालय का नाम)	कार्यालय का नाम	वेतनमान (सातवें वेतनमान के अनुसार)			मोबाइल नंं
					वेतन बैण्ड	मूल वेतन	लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डा० विकेश कुमार सिंह यादव	मुख्य कृषि अधिकारी (श्रेणी-1)	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३० उधमसिंहनगर	78800-209200	10590 0	L-12	9412987380
2	श्री रमेश प्रसाद	क०एवंभ०सं०३० (श्रेणी-2)	क०एवंभ०सं०३० रुडकी	क०एवं भ०सं०३० रुडकी	56100-177500	69000	L10	9412412685
3	श्रीमति ऋतु कुकरेती जुयाल	क०एवंभ०सं०३० (श्रेणी-2)	क०एवंभ०सं०३० हरिद्वार	क०एवं भ०सं०३० हरिद्वार	56100-177500		L10	
4	श्री अरविंद कुमार गौतम	कृषि रक्षा अधिकारी (श्रेणी-2)	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३०हरिद्वार	56100-177500	69000	L10	9411703500
5	श्री रमाकान्त त्रिपाठी	मुख्य प्रशान्त अधिकारी (श्रेणी-2)	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३०हरिद्वार	56100-177500	57800	L-10	9411512277
6	श्री धर्मन्द कुमार	व०प्र०अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३०हरिद्वार	47600-155300	53600	L-8	8923871151
7	श्री पदमपाल सिंह	वरि० प्र० अधि०	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३०हरिद्वार	47600-151100	52000	L8	9719672795
8	श्री महीपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	बफर गोदाम बहादराबाद	मु०क०३०हरिद्वार	56100-177500	65000	L-10	9411724328
9	श्री प्रमेश कुमार	लेखाकार	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३०हरिद्वार	47600-151100	55200	L-08	9412072419
10	श्री सुनील कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३०हरिद्वार	44900-142400	55200	L-7	9759071377
11	श्री अमित कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३०हरिद्वार	44900-142400	55200	L-7	9634317596
12	श्री संजय कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु०क०३०हरिद्वार	44900-142400	55200	L-7	9927450107
13	श्री अनुज कुमार	सहायक कृषि अधिकारी	मण्डी रुडकी	मु०क०३० हरिद्वार	44900-142400	52000	L-7	9027901185

		वर्ग-1					
14	श्री सुरेश चन्द	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	मण्डी मगलौर	मु0क०अ० हरिद्वार	44900-142400	55200	L-7
15	श्री आशु कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	मण्डी ज्वालापुर	मु0क०अ० हरिद्वार	44900-142400	55200	L-7
16	श्रीमति अवतारी खुल्बे	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बहादराबाद	मु0क०अ० हरिद्वार	44900-142400	55200	L-07
17	श्री सोहनपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बहादराबाद	मु0क०अ० हरिद्वार	56100-177500	65000	L-10
18	श्री पदम सिंह	वाहन चालक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	44900-142400	49000	L-07
19	श्री मैनपाल सिंह	अनुरेखक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	44900-142400	55200	L-07
20	श्री राजेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	33300	L-04
21	श्री शीशुपाल सिंह	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	34300	L-04
22	श्री तेजपाल सिंह	अनुसेवक	रा०बी०भ०रुडकी	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	33300	L-04
23	श्री संजय भारद्वाज	अनुसेवक	रा०बी०भ०मगंलौर	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	33300	L-04
24	श्री परीन्द्र कुमार	अनुसेवक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	35300	L-04
25	श्री बालेश त्यागी	अनुसेवक	रा०बी०भ०भगवानपुर	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	34300	L-04
26	श्रीमति सुशीला देवी	अनुसेवक	रा०बी०भ०रुडकी	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	30500	L-04
27	श्री हेमचन्द पाण्डे	अनुसेवक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	33300	L-04
28	श्री शुभम बहुगुणा	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	21700-69100	25200	L-03
29	श्री सोनू तंवर	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	21700-69100	23100	L-03
30	श्री प्रमोद कुमार	अनुसेवक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	21700-69100	29300	L-03
31	श्रीमति कमला देवी	अनुसेवक	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मु0क०अ०हरिद्वार	19900-63200	27600	L-02
32	श्री स्वर्ण लता	अनुसेवक	रा०बी०भ० मंगलौर	मु0क०अ०हरिद्वार	19900-63200	24200	L-02
33	श्री चन्द्रपाल	अनुसेवक	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बहादराबाद	मु0क०अ०हरिद्वार	25500-81100	32300	L-04

34	श्रीमति दयावती त्यागी	अनुसेवक	मृदा परी0 प्रयोगशाला बहादाबाद	मु0कृ0आ0हरिद्वार	18000-56900	28000	L-01	9410301302
35	श्री राजबीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	बीज भ0 रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9412990421
36	श्री जयवीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	नन्हेडा अनन्तपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	65000	L-10	9411368264
37	श्री चैनपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	ताशीपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9411145826
38	श्री सहेन्द्रपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	पनियाला	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9412962004
39	श्री कर्मन्द्र कुमार षर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	भौरी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9411332462
40	श्री राजेन्द्र कुमार सहरावत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	दौलतपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9557020233
41	श्री अनिल कुमार मलिक	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	इमलीखेडा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9760385568
42	श्री सतेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	खाताखेडी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9919350406
43	श्री रमेष चन्द	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	बेलडा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9412923082
44	श्री सुरेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	भगवानपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9758577296
45	श्री विनोद कुमार गौतम	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	हबीबपुर निवादा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9411565922
46	श्री देवेन्द्र सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	खेडीशिकोहपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9412639030
47	श्री राजकुमार सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	नौगराग्रन्त	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9412149939
48	श्री गुलजार अली	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	चौली शाहबुददीनपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	56100-177500	67000	L-10	9412571801

49	श्री सुखपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	चुड़ियाला	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूडकी	56100-177500	67000	L-10	9761667799
50	श्री खेमप्रकाश वर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	बीज भण्डार मगंलोर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूडकी	56100-177500	67000	L-10	9536646854
51	श्री धर्म सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	नारसन कला	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूडकी	56100-177500	67000	L-10	8171308097
52	श्री ओमकार सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	मखदूसपूर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूडकी	56100-177500	67000	L-10	9412639754
53	श्री राजबीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	गाधारोणा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूडकी	56100-177500	67000	L-10	9411152002
54	श्री देवेन्द्र सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	मौहम्मदपुरजट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूडकी	56100-177500	67000	L-10	9412801785
55	श्री सतेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	ढन्डेरा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूडकी	56100-177500	67000	L-10	9410814305
56	श्री राकेष कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, बहादराबाद	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9897880855
57	श्री प्रमोद कुमार चौहान	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, सलेमपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9412916993
58	श्री साहब राजराम	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, जमालपुरकलां	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9411706179
59	श्री वीरेन्द्र कुमार रमोला	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, लालठांग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9412111917
60	श्री युद्धबीर सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, अकोडाकलां	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9058069123
61	श्री कर्मदीर्घ सिंह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, मुण्डाखेडाकलां	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9411608959
62	श्री हरिआम सिंह यादव	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, निरंजनपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9411740025

63	श्री अपोक कुमार षर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, रायसी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9410881781
64	श्री प्रमोद कुमार चौधरी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, बहादरपुर खादर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9411512226
65	श्री सुभाशचन्द्र षर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, सुल्तानपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9411326316
66	श्री विजयपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, भिकमपुर जीतपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	8755305551
67	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, मोहम्मदपुर बुजुर्ग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9456171822
68	श्री सुरेशपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, खानपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9412867785
69	श्री योगेन्द्र कुमार तोमर	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	न्याय पंचायत, गोवर्धनपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	67000	L-10	9412439129
70	श्री अश्वनी कुमार	अपर सहायक अभियन्ता	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	47600-151100	56900	L-08	7830552445
71	श्री विनय कुमार	प्रशासनिक अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	44900-142400	46200	L-07	9410621688
72	श्रीमती अनिल रविवाल	प्रधान सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	35400-112400	38700	L-06	9759763524
73	श्री नवनीत कुमार	वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	29200-92300	35900	L-05	9528301831
74	श्री अविनाश सिंह	कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	21700-69100	22400	L-03	8899747354
75	सचिन जोशी	मानचित्रक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	35400-112400	36500	L-6	8449690513
76	श्री राकेश कुमार	जीप चालक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	35400-112400	49000	L-06	9719595639
77	श्री सोमप्रकाश	अनुसेवक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी	25500-81100	35300	L-06	9012161497
78	श्री सन्दीप तोमर	अवर अभियन्ता	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	56100-177500	69000	L-10	9412542333
79	श्री सुधीर बड्डवाल	सहायक लेखाकार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	23200-92300	32900	L-05	8006373756
80	श्री मती रुबी गौतम	मानचित्रक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	35400-112400	42300	L-6	9456126878

81	श्री दीपक सेमवाल	कनिष्ठ सहायक (सम्बद्ध चकराता कालसी)	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	21700-69100	21700	L-3	9456774520
82	श्री मती माया देवी	कनिष्ठ सहायक	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	21700-69100	21700	L-3	7409008136
83	श्री तेजवीर सिंह	वाहन चालक	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	44900-142400	50500	L-7	9760755059
84	श्री त्रिलोक चन्द्र	चतुर्थ श्रेणी	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	25500-81100	33300	L-4	9760755059
85	श्री अकिंत कुमार	चतुर्थ श्रेणी	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	18000-56900	18000	L-1	8077337277
86	श्री हर्षवर्धन कुमार	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी,खानपुर	विकास खण्ड प्रभारी,खानपुर	44900-142400	55200	L-7	8923042129
87	श्रीमति पारुल चौधरी	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी,रुडकी	विकास खण्ड प्रभारी,रुडकी	44900-142400	55200	L-7	9536299989
88	श्री शेर सिंह	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी,नारसन	विकास खण्ड प्रभारी,नारसन	56100-177500	67000	L-10	9410785191
89	श्री दिनेश कुमार	वर्ग-1	विकास खण्ड प्रभारी,भगवानपुर	विकास खण्ड प्रभारी,भगवानपुर	44900-142400	55200	L-7	9897544942
90	श्री राजकुमार	वर्ग-1	कृएवंभू०स०अ०बहादराबाद,कार्यालय	कृएवंभू०स०अ०बहादराबाद,कार्यालय	44900-142400	55200	L-7	7579181368
91	श्री विपिन कुमार	वर्ग-1	कृएवंभू०स०अ०रुडकी,कार्यालय	कृएवंभू०स०अ०रुडकी,कार्यालय	44900-142400	55200	L-7	9528535858
92	श्री सोहन पाल	वर्ग-2	भण्डार प्रभारी खानपुर	कृएवंभू०स०अ०हरिद्वार,	56100-177500	65000	L-10	9719408545

-:: मैनुअल-11 ::-

(सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट)

वर्ष 2019-20 में निम्नानुसार प्राप्त बजट का विवरण निम्नानुसार हैं तथा इस जनपद को विभिन्न योजनाओं में आरोटी०जी०एस०/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी बजट प्राप्त हुआ हैं।

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	मानक मद	अनुदान संख्या 17/(07 जिला योजना)			अनुदान संख्या 30			कुल योग			अभ्युक्ति
				आवंटन	व्यय	अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	
1	मुख्य कपि अधिकारी	सामान्य अधिकारी	01 वेतन	0	2027811	0	0	0	0	20278111	0	0	कोषागार
			03 मंहगाई भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			06 अन्य भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			योग-	0	2027811	0	0	0	0	20278111	0	0	
			04 यात्रा भत्ता	450000	1784	48216	0	0	0	50000	1784	48216	कोषागार
			05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			08 कार्यालय व्यय	30000	12405	17595	0	0	0	30000	12405	17595	कोषागार
			09 विद्युत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			10 जलकर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			11- लेखन सामग्री	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000	कोषागार
			12- कार्यालय फर्नीचर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			13- टेलीफोन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			15- गाड़ी अनुरक्षण	50000	49522	478	0	0	0	50000	49522	478	कोषागार
			16-व्यवसायिक एवं	450000	445500	4500	0	0	0	450000	445500	4500	कोषागार

		विशेष									
		19- विज्ञापन	50000	46216	3784	0	0	0	50000	46216	3784 कोषागार
		27- विकिता प्रतिपूर्ति	185000	184959	41	0	0	0	185000	184959	41 कोषागार
		42- अन्य व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
		47- कम्प्यूटर सामग्री	5000	4897	103	0	0	0	5000	4897	103 कोषागार
		Total				0	0	0			कोषागार
2	मुख्य कृषि अधिकारी	जिला योजना	42 अन्य व्यय	0	0	0	0	00	0	0	कोषागार
3	मुख्य कृषि अधिकारी	(राज्य योजना) मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	08 कार्यालय व्यय	21000	19423	1577	0	0	21000	19423	1577 कोषागार
			11 लेखन सामग्री	10000	0	10000	0	0	10000	0	10000 कोषागार
			12 फर्नीचर	37000	0	37000	0	0	37000	0	37000 कोषागार
			26-मशीनरी साज सज्जा	40000	26078	13922	0	0	40000	26078	13922 कोषागार
			31 सामग्री सम्पूर्ति	130000	0	130000	0	0	130000	0	130000 कोषागार
			42 अन्य व्यय	10000	9527	473	0	0	10000	9527	473 कोषागार
		योग				0	0	0			
4	मुख्य कृषि अधिकारी	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढीकरण	09 विद्युत	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			12 कार्यालय फर्नीचर	35000	4312	30688	0	0	35000	4312	30688 कोषागार
			46 कम्प्यूटर अनुरक्षण	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
		योग				0	0	0			0
5	मुख्य कृषि अधिकारी	भण्डार एवं प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण	29 अनुरक्षण	197000	197000	0	0	0	197000	197000	0 कोषागार
		नमस्सा		20000	20000	0	0	0	20000	20000	0 बैंक
		एन०एफ०एस०एम०		3240000	3240000	0	922000	922000	0	4162000	4162000 0 बैंक
		परम्परागत कृषि विकास योजना		1284840 0	1033703 0	2511370	3014000	78000	2936000	15862400	10415030 5447370 बैंक
		मृदा स्वाठाकार्ड योजना		1930000	1048485	881515	420000	225916	194084	2350000	1274401 1075599 बैंक
		मृदा स्वाठाप्रबन्धन		675000	515486	36514	0	0	0	675000	515486 36514 बैंक

		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना		25000	20328	4672	0	0	0	25000	20328	4672	बैंक
		सर्वमिशन योजना		14808000	14712052	95948	0	0	0	14808000	14712052	95948	बैंक
6	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना	42 अन्य व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोणागार
		योग		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	कृषि निवेशों का सुदृढीकरण	42 अन्य व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोणागार
		योग		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	मुख्य कृषि अधिकारी	4401 रसायन क्रय	31 सामग्री सम्पूर्ति	23046000	6383708	16662292	0	0	0	23046000	6383708	16662292	कोणागार
9	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार	एनोएफोएसोएमो (केन्द्रीय योजना)	42 अन्य व्यय	8092000	4516000	3576000	2784000	1186000	1598000	10876000	5702000	5174000	बैंक
		राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन		8050000	5445000	2605000	1976000	1500000	476000	10026000	6945000	3081000	बैंक
		सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन		15258000	7500000	7758000	3700000	2600000	1100000	18958000	10100000	8885000	बैंक
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना		720000	420000	300000	0	0	0	720000	420000	300000	बैंक
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(जैविक)		272500	272500	0	0	0	0	272500	272500	0	बैंक
10	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास	20 सहायक अनुदान राज्य सहायता	0	0	0	1047000	1047000	0	1047000	1047000	0	कोणागार
11	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार	कृषि निवेशों का सुदृढीकरण	42 अन्य व्यय	568000	510000	58000	0	0	0	568000	510000	58000	कोणागार
		कृषि सहायकों का मानदेय		1300000	1020000	280000	0	0	0	1300000	1020000	280000	कोणागार

		कृषि निवेश भण्डार किराया		250000	200000	50000	0	0	0	250000	200000	50000	कोषागार
12	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	एन०एफ०एस०एम०	42 अन्य व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
13	मुख्य कृषि अधिकारी	एन०एफ०एस०एम०	42 अन्य व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
	योग			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार	एस०एम०ए०एम०	42 अन्य व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
15	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	एस०एम०ए०एम०	42 अन्य व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
	योग			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

—:: मैनुअल-12 ::—

(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं)

वर्तमान में समस्त योजनाओं में कार्य संचालित हैं जिसके सापेक्ष लाभार्थियों की सूची प्राप्त होगी जो निदेशालय को प्रेषित कर दी जायेगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय में रक्षित रहेगी। तथा योजनाअनुसार ही कार्य किया जायेगा।

विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों /कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक नियमों का कार्यक्रमवार विवरण—

- 1— लघु सीमान्त कृषक— 4 एकड़ से कम जोत वाले कृषकों को ही अनुदान, बीज वितरण, कीटनाशक में अनुदान।
- 2— सामान्य/अनुजाति/जन जाति:- 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सामान्य जाति।
- 3— किसी विशेष प्रोग्राम पर उच्चाधिकरियों एवं कार्य योजना के आधार पर।

-॥ मैनुअल-13 ॥-

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ)

- 1— कार्यक्रम का नाम— बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र निर्गमन।
- 2— प्रकार — अनुज्ञापत्र।
- 3— उद्देश्य— कृषकों को उच्चगुणवत्ता के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता।
- 4— लक्ष्य (विगत वर्षों में)— शून्य
- 5— पात्रता— बीज निबन्धन हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम उत्तीर्ण उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र हेतु बी0एस0—सी0 कृषि अथवा बी0एस0—सी0 रसायन विज्ञान या एक वर्षिय कृषि डिप्लोमा से सम्बन्धित कार्यों में रुचि रखता हो।
- 6— पात्रता का आधार— पूर्व अनुभव, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं विभिन्न प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी हो।
- 7— पूर्व अपेक्षाए— अनुभव का विस्तार।
- 8— प्राप्त करने की प्रक्रिया— कीटनाशी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा प्रारूप 6 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। मद 0401008001400 में ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपया 1500/- एवं शहरी क्षेत्र हेतु रु0-7500/- कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति एवं रसायन आपूर्ति कर्ता फर्मों के अधिकार पत्र, कीटनाशी भण्डारण एवं विक्रय स्थल का मानचित्र, सम्बन्धित विकासखण्ड स्थित प्रभारी कृषि रक्षा इकाई की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारूप 8 में अनुज्ञाप पत्र निर्गत किया जाता है।

उर्वरक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यवसायी को प्रारूप ए-1, में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। मद 0401008001400 में रूपया 625.00 कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति एवं उर्वरक आपूर्ति कर्ता फर्मों के अधिकार पत्र, विक्रय स्थल का मानचित्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी, की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारूप बी, में अनुज्ञापत्र निर्गत किया जाता है।

- 9— निर्धारित समय सीमा — पत्रावली पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर।
- 10— आवेदन शुल्क— कीटनाशी विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र शुल्क रूपया 1500 ग्रामीण रु0-7500 शहरी क्षेत्र के लिए।
- उर्वरक अनुज्ञापन पत्र हेतु शुल्क रूपया 625.00 फुटकर रु0 1125.00 थोक के लिए

बीज अनुज्ञापन पत्र हेतु शुल्क रूपया 50.00 समस्त के लिए

- 11— आवेदन पत्र का प्रारूप— कीटनाशी हेतु प्रारूप VI ।

उर्वरक हेतु – प्रारूप ए-1

बीज हेतु – प्रारूप-ए (प्रतीक क)

12– संलग्नको की सूची-

- लाइसेन्स शुल्क चालान की मूल प्रति
- आपूर्ति कर्ता फर्म के अधिकार पत्र
- भण्डारण एवं विक्रय स्थल का मानचित्र।
- सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड विकास अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी/सहायक कृषि रक्षा अधिकारी की संस्तुति ।
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि हो।

13– संलग्नको का प्रारूप – विभिन्न निर्धारित प्रारूप।

14– प्राप्ति कर्ताओं की सूची – सूची संलग्न है-

उर्वरक के सरकारी संस्थागत/गैर संस्थागत आपूर्ति का विवरण

जनपद— कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी

(प्राईवेट विक्रेता)

विकास खण्ड— बहादराबाद

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाइसेंस संख्या
1	मै० विनोद एण्ड कम्पनी सराय	537/53683
2	मै० मिनी खाद भण्डार रुहालकी	537/53603
3	मै० कृष्णा खाद भण्डार बहादराबाद	68/6755
4	मै० किसान सेवा केन्द्र सराय	538/53755
5	मै० किसान सेवा खाद भण्डार पथरी	538/53791
6	मै० शाहेजी खाद भण्डार धनपुरा	538/53793
7	मै० तॉवर खाद भण्डार अहमदपुरग्रन्ट	538/53756
8	मै० किसान बीज भण्डार बहादराबाद	538/53765
9	मै० रचना खाद भण्डार ज्वालापुर	1/81
10	मै० पुण्डीर खाद भण्डार हदीपुरग्रन्ट	2/108
11	मै० सुहानी ट्रैडर्स गैण्डीखाता	4/318
12	चौधरी कृषि सेवा केन्द्र मानूबास	5/499
13	मै० सुभाह कीटनाशक बीज भण्डार कासमपुर	6/525
14	मै० सैनी किसान सेवा केन्द्र हदीपुर ग्रन्ट	6/526
15	मै० आयुष कृषि सेवा केन्द्र हदीपुर ग्रन्ट	6/527
16	यश बीज भण्डार हदीपुर	6/559
17	सैनी बीज भण्डार मानूबास	6/578
18	कार्तीक एग्रो नया गाव तिराहा लांलढांग	7/626
19	ओपुलेट काप्स इन्ड्रीयर एरिया हरिद्वार	7/624
20	कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र डाडा जलालपुर	6/548
21	शाहेजी कृषि सेवा केन्द्र गढमीरपुर	7/646
22	चौधरी ट्रैडर्स बहादरपुरजट	7/651
23	सैनी सीडस एण्ड पेस्टीसाइड हदीपुर ग्रन्ट	7/629
24	खुशहाली कृषि किसान केन्द्र बादशाहपुर	7/641
25	खादर किसान बीज भण्डार बोडाहेडी	6/589

26	भारत डीजल्स मानव कुंज ज्वालापुर	7/688
27	किसान बीज भण्डार नसरीपुरकलां	7/694
28	राहूल बीज भण्डार जियापोता	8/731
29	किसान खाद भण्डार शाहपुर शीतलाखेड़ा	8/715
30	चौहान बीज भण्डार गैण्डीखाता	8/785
31	आर०के० ट्रैडर्स पीतपुर	8/789
32	किसान बीज भण्डार मुकरपुर	9/819
33	शेखर बीज भण्डार लालढांग	8/732
34	दुर्गा किसान बीज भण्डार मानूबास	9/823
35	टाप टाईम नेटवर्क प्रा०लि० इप्डस्ट्रीयल एरिया हरिद्वार	9/810
36	पोखरियाल कृषि केन्द्र गैण्डीखाता	8/796

विकास खण्ड— रुडकी

क०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	अशोका फर्टिलाइजर रुडकी	8160
2	नारायणदास खेमचन्द रुडकी	77/38
3	रवि खाद भण्डार रुडकी	446/44515
4	एस०कुमार एण्ड कम्पनी रुडकी	538/53717
5	गोयल खाद भण्डार इमलीखेड़ा	537/53608
6	किसान खाद भण्डार मरगूबपुर	713/71204
7	सैनी खाद भण्डार रुडकी	538/53792
8	किसान फर्टिलाइजर रुडकी	538/53772
9	भगवती ट्रैडर्स रुडकी	538/53727
10	गुप्ता खाद भण्डार इमलीखेड़ा	537/53662
11	लक्ष्मी खाद भण्डार इकबालपुर	713/71216
12	तपन ट्रैडर्स लाठरदेवाशेख	713/71243
13	दीप खाद भण्डार सलेमपुर	713/71291
14	अंकित खाद भण्डार धनौरी	6/585
15	किसान खाद बीज भण्डार मिर्जापुर मुरतफाबाद	7/683
16	किसान कृषि सेवा केन्द्र धनौरी	4/321
17	किसान खाद भण्डार भौरी	4/329
18	फसल सुरक्षा केन्द्र इकबालपुर	3/298
19	कैशोराम एग्री केयर प्रा०लि०रुडकी	5/410
20	किसान सेवा केन्द्र बेलडा	8/719
21	चौधरी पेस्टीसाइड तांशीपुर	8/728
22	मै० सैनी कृषि सेवा केन्द्र गॉधीवाटिकरुडकी	6/513
23	किसान खाद भण्डार भौरी	6/550
24	किसान बीज भण्डार पुहाना	6/579
25	किसान खाद भण्डार रामपुर चुंगी रुडकी	7/613
26	महबूब कृषि सेवा केन्द्र रहमतपुर	6/586
27	किसान सेवा केन्द्र बेडपुर चौराहा	9/805
28	किसान ट्रैडर्स कुंजा रोड इकबालपुर	7/669

विकास खण्ड— भगवानपुर

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	मै० कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र डाडा जलालपुर	6/548
2	गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी भगवानपुर	538/53748
3	त्यागी किसान सेवा केन्द्र चुडियाला	7/700
4	चौधरी खाद भण्डार चुडियाला स्टेशन	713/71202
5	सैनी खाद भण्डार डाडाजलालपुर	538/53779
6	विशाल फर्टिलाइजर भगवानपुर	538/53798
7	अनेजा ट्रेडिंग कम्पनी भगवानपुर	5/486
8	श्रीबालाजी ट्रैडर्स भगवानपुर	1/36
9	किसान खाद भण्डार सिकन्दरपुर	1/37
10	शुभम किसान खाद भण्डार हाल्लूमाजरा	8/713
11	किसान खाद भण्डार इमली रोड भगवानपुर	2/178
12	के०जी०एन०बीज भण्डार सिकन्दरपुर भैसवाल	8/730
13	हरि ओम ट्रेडिंग कम्पनी भगवानपुर	7/634
14	वंश खाद भण्डार हसनपुर मदनपुर	4/379
15	कृष्ण ट्रैडर्स हसनपुर मदनपुर	6/544
16	चौहान कृषि सेवा केन्द्र बुगावाला	6/569
17	नव किसान बायो प्लाटिक लि० तेज्जुपुर	7/569
18	कृषि सेवा केन्द्र भगवानपुर	6/520
19	किसान पेरस्टीसाइड बीज एवं खाद भण्डार चौली शाहबुद्दीनपुर	7/658
20	किसान पेरस्टीसाइड एवं खाद बीज भण्डार मानक मजरा	7/659
21	अनस बीज भण्डार सिकन्दरपुर भैसवाल	7/668
22	संदीप पेरस्टीसाइड डाडापट्टी	7/662
23	सैनी बीज भण्डार बुगावाला	7/674

विकास खण्ड— नारसन

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	चौधरी खाद भण्डार झाबरेडा	3782
2	जगदीश प्रसाद सुरेश कुमार मंगलौर	12215
3	भाटिया फर्टिलाइजर मंगलौर	6686
4	राधेश्याम विपिन कुमार लंढौरा	5668
5	योगेश कुमार एण्ड बर्देश लंढौरा	3988
6	मुंशीराम इन्द्रभान मंगलौर	12361
7	लालचन्द रजनीश कुमार झाबरेडा	69/8831
8	मुकुल फर्टिलाइजर गुरुकुल नारसन	538/53781
9	उत्तम बीज भण्डार मंगलौर	538/53714
10	मांगेराम वर्मा पेरस्टीसाइड बीज एवं खाद भण्डार गुरुकुलनारसन	7/684
11	उत्तम फर्टिलाइजर स्टोर मंगलौर	713/71285
12	राधेश्याम सुबोध कुमार लंढौरा	1/97
13	श्रीबालाजी ट्रेडिंग कम्पनी झाबरेडा	3/272
14	प्रेम पेरस्टीसाइड गुरुकुल नारसन	7/667
15	शाह कृषि बीज भण्डार मंगलौर	3/294
16	किसान ट्रैडर्स गुरुकुलनारसन	3/295
17	शिव ट्रेडिंग कम्पनी झाबरेडा	4/316

18	श्रीराम बीज भण्डार झबरेडा	4/319
19	शिव किसान सेवा केन्द्र भगतोवाली	8/712
20	श्रीबालाजी कृषि सेवा केन्द्र गाधारोना	8/706
21	श्रीलक्ष्मी पेरस्टीसाइडस लिब्बरहेडी	8/729
22	राजेन्द्र बीज भण्डार लखनौता चौराहा	4/387
23	यादव एग्रो ट्रैडर्स ढंडेरा	8/784
24	अंकुल ट्रैडर्स शरपुर खेलमऊ	5/430
25	आर्यन पेरस्टीसाइड गुरुकुल नारसन	9/816
26	नम्बरदार पेरस्टीसाइड एवं बीज भण्डार लखनौता चौराहा	9/821
27	मलिक कृषि सेवा केन्द्र ब्रह्मपुरजट	9/820
28	सैम एग्रो किसान सुविधा केन्द्र झबरेडा रोड कुरडी	9/808
29	श्री गणपति बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	7/644
30	कृषि सेवा केन्द्र थीथकी कवादपुर	7/654
31	शिव फर्टिलाइजर्स मंगलौर	6/555
32	किसान ट्रैडर्स लाठरदेवा शेख	6/560
33	उत्तम शुगर मिल लिब्बरहेडी	6/577
34	जय किसान ट्रैडर्स कोटवाल आलमपुर	7/628
35	श्री गणपति कॉप केयर बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	7/639
36	चौधरी किसान सेवा केन्द्र गुरुकुल नारसन	7/643
37	गुरुकृपा किसान सेवा केन्द्र मुण्डलाना	7/636
38	शिव बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	7/637
39	अन्नत बीज भण्डार मंगलौर रोड लंढौरा	8/795

विकास खण्ड— लक्सर / खानपुर

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	हरि ऊँ ट्रेडिंग कम्पनी लक्सर	713/71251
2	आर्यक्ष किसान सेवा केन्द्र रायसी	7/670
3	कृषि सेवा केन्द्र सुल्तानुपर आदमपुर	2/158
4	खुशहाली किसान सेवा केन्द्र सुल्तानपुर	7/648
5	शाकुम्बरी ट्रेडिंग कम्पनी बसेडी लक्सर	3/278
6	गर्ग ट्रैडर्स बसेडी लक्सर	1/58
7	सैनी फर्टिलाइजर फतवा	5/442
8	किसान खुशहाली केन्द्र लक्सर	5/470
9	शाकुम्बरी ट्रेडिंग कम्पनी शेखपुरी लक्सर	6/529
10	किसान सेवा केन्द्र कुडी भगवानपुर	7/657
11	किसान खुशहाली केन्द्र लक्सर	5/470
12	जगदम्बा बीज एवं कीटनाशक स्टोर शेखपुरी लक्सर	7/687
13	रायबहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर	6/509
14	श्रीबालाजी कृषि सेवा केन्द्र मुण्डाखेडा कलां	7/699
15	खालसा कृषि सेवा केन्द्र बहादरपुरखादर	8/716
16	लक्ष्मी ट्रैडर्स रायसी रोड लक्सर	8/722
17	पतंजली बायो रिसर्च इंस्टीयूट्स पदार्थ लक्सर	8/726
18	श्री बालाजी बीज भण्डार हरिद्वार रोड लक्सर	7/671
19	देव बीज भण्डार बहादरपुर खादर	7/673

20	धरा कृषि सेवा केन्द्र शेखपुरी लक्सर	8/720
21	किसान खाद बीज भण्डार फतवा	7/607
22	बी0एम0ट्रैडर्स भोगपुर	9/815
23	नागर कृषि सेवा केन्द्र रायसी	9/817
24	विकास कृषि सेवा केन्द्र लक्सर	9/824
25	वैभव ट्रैडर्स रेलवे रोड रायसी	9/833
26		

उर्वरक के सरकारी संस्थागत / गैर संस्थागत आपूर्ति का विवरण

जनपद— कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी
थोक उर्वरक विक्रेता

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	कैशोराम एग्री केयर प्रा०लि० सलेमपुर राजपुतान रुडकी	4/317
2	अग्रवाल एजेन्सी रुडकी	713/71209
3	अनेजा ट्रैडिंग कम्पनी भगवानपुर	713/71210
4	इन्टरनेशनल पैनिशिया लि० सिडकुल हरिद्वार	3/233
5	यशोवर्द्धन एग्री इनपुट्स प्रा०लि० रुडकी	4/314
6	चक्रधर कैमिकल्स प्रा०लि० रुडकी	713/71249
7	बजाज एजेन्सी झबरेडा	4/310
8	शानबो आर्गेनिक इण्डस्ट्रीज शान्तरशाह	6/508
9	पतंजति बायो रिसर्च इंस्टीयूटर प्रा०लि० पदार्था	6/553
10	ओपुलेट काप्स इण्डस्ट्रीयर ऐरिया हरिद्वार	7/625
11	खुशबु फर्टिलाइजर्स प्रा०लि० रुडकी	7/661
12	इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर कॉ—आपरेटिव जमालपुरकलां	7/689
13	दारा कैमिकल्स नारसन गुरुकुल	8/736
14	एस०के० इन्टर प्राइजेज दिल्ली रोड रुडकी	9/830

उर्वरक के सरकारी संस्थागत / गैर संस्थागत आपूर्ति का विवरण

जनपद— कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी
(सहकारिता विभाग)
विकास खण्ड— बहादराबाद

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	साधन सहकारी समिति लि० पीतपुर	6/542
2	किसान सेवा सहकारी समिति लि० बहादराबाद	713/71271
3	साधन सहकारी समिति लि० सलेमपुर	13/7126773
4	किसान सेवा सहकारी समिति लि० कोटामुरदनगर	1/35
5	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० हरिद्वार	5/491
6	किसान सेवा सहकारी समिति लि० बादशाहपुर	5/476
7	धनपुरा साधन सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र बहादरपुरजट	5/433
8	जिला सहकारी संघ लि० हरिद्वार	5/423
9	किसान सेवा सहकारी समिति लि० जमालपुरकला	1/78
10	साधन सहकारी समिति लि० लालढांग	9/805
11	साधन सहकारी समिति लि० गैण्डीखाता	9/807
12	साधन सहकारी समिति लि० श्यामपुर	9/806
13	कोटा मुरादनगर किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र हददीपुर	3/37

14	फारमस एग्री बिजनेश को—ओप०लि० ज्वालापुर	4/377
15	बादशाहपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र रानीमजरा	6/524
16	साधन सहकारी समिति लि०धनपुरा	4/398
17	औरंगाबाद साधन सहकारी समिति लि०जसवावाला	5/408
18	साधन सहकारी समिति लि०, औरंगाबाद	5/409
19	पथरी विस्थापित साधन सहकारी समिति लि० पथरी	5/459
20	गंगा कृषि उत्पादन एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि०योगीपुरम कालौनी जमालपुर	7/698
21	जमालपुरकला किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र सराय	8/725
22	पथरी विस्थापित साधन सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र इक्कडकलां	9/811

विकास खण्ड— रुडकी

क०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान सेवा सहकारी समिति लि० नगलाकुबडा	537/53659
2	किसान सेवा सहकारी समिति लि० लाठरदेवाशेख	537/53658
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० पनियाला	57061
4	साधन सहकारी समिति लि० मेहवडखुर्द	538/53702
5	साधन सहकारी समिति लि० भारापुरभौरी	713/71265
6	भारापुर साधन सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र ढण्डेडी ख्वाजगीपुर	5/455
7	किसान सेवा सहकारी समिति लि० दौलतपुर	2/105
8	किसान सेवा सहकारी समिति लि०नन्हेडाअन्नतपुर	4/388
9	पनियाला किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र सलेमपुर राजपुताना रुडकी	6/507
10	साधन सहकारी समिति लि० बेलडा—२	3/256

विकास खण्ड— भगवानपुर

क०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान सेवा सहकारी समिति लि०हबीबपुरनिवादा	446/44665
2	साधन सहकारी समिति लि० डाडाजलालपुर	713/71281
3	साधन सहकारी समिति लि०खेडीशिकोहपुर अलावलपुर	1/29
4	बंजारेवाला साधन सहकारी समिति लि० मुख्यालय बुगगावाला	5/471
5	बंजारेवाला साधन सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र लामग्रन्ट	5/472
6	साधन सहकारी समिति लि० चौली	3/264
7	खेलपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र सिकन्दरपुर भैसवाल	3/279
8	सहकारी संघ लि० भगवानपुर	6/597
9	खेडी शिकोहपुर साधन सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र तेलपुरा	4/307
10	खेडी शिकोहपुर साधन सहकारी समिति लि० स्थित अलावलपुर	4/376
11	किसान सेवा सहकारी समिति लि० भगवानपुर	7/609
12	चुड़ियाला साधन सहकारी समिति लि० इकबालपुर	4/395
13	चुड़ियाला साधन सहकारी समिति लि० कुंजाबहादरपुर	4/396
14	किसान सेवा सहकारी समिति लि० हबीबपुरनिवादा	5/417
15	किसान सेवा सहकारी समिति लि० खेलपुर	5/468
16	तेज्जुपुर साधन सहकारी समिति लि०	5/489
17	तेज्जुपुर साधन सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र भलस्वागाज	5/490
18	डाडाजलालपुर साधन सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र सिकरोडा	9/825
19	हबीबपुर निवादा किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र छांगामाजरी	9/812

विकास खण्ड— नारसन

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	मंगलौर किसान सेवा सहकारी समिति लि०लिब्रहेडी	537/53615
2	मंगलौर किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र मुण्डलाना	4/306
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० झाबरेडा	7/640
4	किसान सेवा सहकारी समिति लि० नगलाइमरती	106/51
5	मंगलौर पश्चिमी किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र कुरडी	6/501
6	किसान सेवा सहकारी समिति लि० गुरुकुलनारसन	713/71269
7	किसान सेवा सहकारी समिति लि० हरचन्दपुरनिजामपुर	713/71270
8	सहकारी संघ लि० झाबरेडा	6/510
9	लहबोली किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र सढौली	4/320
10	लहबोली किसान सेवा सहकारी समिति लि०	7/614
11	सहकारी कय विकय समिति लि० मंगलौर	3/263
12	किसान सेवा सहकारी समिति लि० लाठरदेवाहुण	4/446
13	किसान सेवा सहकारी समिति लि० लंडौरा	4/399
14	किसान सेवा सहकारी समिति लि० शिकारपुर	3/259
15	बालाजी कृषि उत्पादन एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि० उदलहेडी	8/800
16	जिला श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि. हरिद्वार केन्द्र नगलाचीना	9/801
17	शिव कृषि उत्पादन एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि० मगलौर उपकेन्द्र नारसनकला	8/799

विकास खण्ड— लक्सर/खानपुर

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	साधन सहकारी समिति लि० गोरधनपुर	538/53743
2	किसान सेवा सहकारी समिति लि० रायसी	446/44533
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० भिक्कमपुरभोगपुर	537/53688
4	किसान सेवा सहकारी समिति लि०भिक्कमपुरजीतपुर	537/53687
5	साधन सहकारी समिति लि० मोहनेवाला	3/230
6	साधन सहकारी समिति लि० गिर्दावाली	3/267
7	जिला सहकारी संघ लि० सुल्तानपुर	7/605
8	रायसी किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र मुण्डाखेडाखुर्द	5/493
9	किसान सेवा सहकारी समिति लि० दाबकीकलां उपकेन्द्र बालावाली रोड लक्सर	713/71274
10	किसान सेवा सहकारी समिति लि० मुण्डाखेडा कला	713/71263
11	ऐथलबुजुर्ग किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र बहादरपुरखादर	5/406
12	किसान सेवा सहकारी समिति लि० ऐथलबुजुर्ग	5/407
13	साधन सहकारी समिति लि०ज्वाहरखानउर्फ झीवरहेडी	3/254
14	किसान सेवा सहकारी समिति लि० निरंजनपुर	3/255
15	किसान सेवा सहकारी समिति लि० दाबकीकलां	713/71273
16	मौ०पुरबुजुर्ग किसान सेवा सहकारी समिति लि० उपकेन्द्र मुबारिकपुर	9/829

उर्वरक के सरकारी संस्थागत / गैर संस्थागत आपूर्ति का विवरण

जनपद— कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी
(गन्ना विभाग)

विकास खण्ड— बहादुराबाद

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाइसेंस संख्या
1	सहकारी गन्ना विकास समिति लि० ज्वालापुर	3/247
2	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० बहादुराबाद	3/248
3	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० लालढांग	3/281
4	ज्वाला०सहकारी गन्ना विकास समिति लि० अहमदपुरग्रन्थ	3/282
5	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० फेरुपुर	3/283
6	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० अलीपुर	3/284
	विकास खण्ड— रुडकी	
1	इकबा०सहकारी गन्ना विकास समिति लि० रेलवेरोड रुडकी	12239
2	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि० खजूरी	81/108
3	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि०पिरानकलियर	713/71228
4	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि०भारापुर	7/638
5	इकबा०सहकारी गन्ना विकास समिति लि०नन्हेडाअन्नतपुर	3/277
6	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि० किशनपुर	7/672
	विकासखण्ड — भगवानपुर	
1	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि०भलस्वागाज	537/53682
2	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि० रुहालकी	713/71297
3	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि० मानकपुर	1/33
4	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि० हाल्लूमाजरा	1/83
5	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि० सिरचन्दी	4/324
	विकासखण्ड—नारसन	
1	इकबा० सहकारी गन्ना विकास समिति लि० जैनपुर लंडौरा	1/82
2	लिब्बरहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति लि० मुण्डलाना	4/389
3	लिब्बरहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति लि० मंगलौर मण्डी	4/390
4	लिब्बरहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति लि० लखनौता चौराहा	3/274
5	लिब्बरहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति लि० गाधारोना	7/642
6	लिब्बरहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति लि० हरचन्दपुर	6/541
	विकासखण्ड—लक्सर / खानपुर	
1	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि०	009
2	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र सुल्तानपुर	86/105
3	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र रायसी	82/105
4	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र निरंजनपुर	83/105
5	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र बालचन्दवाला	3/220
6	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र रहीमपुर	3/219
7	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र सीधाडू	3/221
8	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र चन्द्रपुरीकलां	3/225
9	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र भिक्कमपुर	9/818
10	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र शाहपुर शीतलाखेडा	8/734
11	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र खानपुर	8/733
12	लक्सर सहकारी गन्ना विकास समिति लि० उपकेन्द्र पण्डीतपुरी	9/834

बीज लाईसेंस धारको की सूची
विकासखण्ड —बहादराबाद

क्र०सं०	फर्म का नाम	बीज लाईसेंस सं०
1	सैनी फर्टिलाइजर गैण्डीखाता	71
2	शाहेजी खाद भण्डार धनपुरा	278/27758
3	किसान पेर्स्टीसाइड ज्वालापुर	278/27766
4	सैनी बीज भण्डार लालढांग	41
5	सुहानी ट्रैडर्स बीज भण्डार गैण्डीखाता	94
6	किसान बीज भण्डार बहादराबाद	278/27778
7	चौधरी ट्रैडर्स बहादरपुरजट	217
8	सत्यम बीज भण्डार लालढांग	278/27747
9	रचना खाद भण्डार ज्वालापुर	175
10	मिततल ब्रदेश ज्वालापुर	176
11	भारत डीजल्स मानव कुंज ज्वालापुर	225
12	यश बीज भण्डार हृदीपुर	238
13	सैनी बीज भण्डार मानूबास	246
14	कृषि सेवा केन्द्र सराय रोड ज्वालापुर	255
15	कृष्णा खाद भण्डार बहादराबाद	73/7215
16	कार्तिक एग्रो नया गाव तिराहा लालढांग	270
17	खुशहाली कृषि किसान विकास केन्द्र बादशाहपुर	283
18	शाह कृषि सेवा केन्द्र गढमीरपुर	283
19	लक्ष्मी बीज भण्डार कोटा मुरादनगर	304
20	सुरभी एग्रो इंडिया गुगाल रोड ज्वालापुर	306
21	किसान बीज भण्डार नसीरपुरकलां	310
22	शभाह कीटनाशक बीज भण्डार कासमपुर	215
23	शर्मा बीज भण्डार लालढांग	320
24	सैनी किसान सेवा केन्द्र हृदीपुरग्रन्ट	216
25	गुरुकृपा किसान बीज भण्डार शाहपुर शीतलाखेडा	322
26	सिद्धवली ट्रैडर्स लालढांग	334
27	शेखर बीज भण्डार लालढांग	372
28	किसान खाद बीज भण्डार धनपुरा	374
29	चौहान बीज भण्डार गैण्डीखाता	377
30	पोखरियाल कृषि केन्द्र गैण्डीखाता	380
31	दुर्गा किसान बीज भण्डार मानूबास	388

विकासखण्ड —रुडकी

क्र०सं०	फर्म का नाम	बीज लाईसेंस सं०
1	दीप खाद भण्डार सलेमपुर राजपुताना	21
2	किसान फर्टिलाइजर रामपुर चुंगी रुडकी	278/27759
3	फसल सुरक्षा केन्द्र इकबालपुर	96
4	एस०कुमार एण्ड कम्पनी रुडकी	278/27775
5	सैनी कृषि सेवा केन्द्र रुडकी	278/27776
6	भगवती ट्रैडर्स रुडकी	73/7262
7	सैनी खाद भण्डार रुडकी	278/27781
8	किसान कृषि सेवा केन्द्र धनौरी	164
9	लक्ष्मी बीज भण्डार इकबालपुर	208

10	भारत बीज भण्डार इकबालपुर	06
11	नारायणदास खेमचन्द रूडकी	73/7208
12	किसान पेस्टीसाइड इकबालपुर	04
13	किसान खाद भण्डार भौरी	172
14	सुभाष कीटनाशक बीज भण्डार कासमपुर	215
15	सैनी किसान सेवा केन्द्र रहीमपुर ग्रन्ट	216
16	किसान खाद भण्डार भौरी	222
17	किसान ट्रैडर्स लाठरदेवा	239
18	अशोका फर्टिलाइजर रूडकी	73/7210
19	रवि खाद भण्डार रूडकी	73/7225
20	अंकित खाद भण्डार धनौरी	251
21	महबूब कृषि सेवा केन्द्र रहमतपुर	254
22	ओम बीज भण्डार इकबालपुर	261
23	सैनी सीड़स एण्ड पेस्टीसाइड धनौरी	262
24	बीज विधायन संयंत्र केन्द्र धनौरी	178
25	किसान खाद भण्डार रामपुरचुंगी रूडकी	265
26	किसान खाद भण्डार सलेमपुर राजपुतान	277
27	दुर्गा बीज भण्डार कुंजा रोड इकबालपुर	291
28	किसान ट्रैडर्स कुंजा रोड इकबालपुर	293
29	किसान खाद बीज भण्डार मिर्जापुर मुस्तफाबाद	305
30	किसान सेवा केन्द्र बेलडा	326
31	चौधरी पेस्टीसाइड तांशीपुर	369
32	दुर्गा बीज भण्डार भौरी	370
33	महादेव बीज भण्डार	375
34	एन०वाई०एक्स कॉप साइंस प्रा०लि० कर्नल एनकलेव रूडकी	381
35	किसान सेवा केन्द्र बेडपुर चौराहा	383
36	किसान बीज भण्डार सोहलपुर रोड मुकरपुर	385
37	त्रिमुति प्लान्ट साइंस प्रा०लि० सुभाषनगर रूडकी	389

विकासखण्ड—भगवानपुर

क्र०सं०	फर्म का नाम	बीज लाईसेंस सं०
1	गर्ग ट्रैडर्स शाहपुर भगवानपुर	278/27757
2	श्रीबालाजी ट्रैडर्स भगवानपुर	278/27753
3	कृषि सेवा केन्द्र भगवानपुर	26
4	किसान खाद भण्डार इमली रोड भगवानपुर	50
5	सैनी खाद भण्डार डाडाजलालपुर	278/27793
6	विशाल फर्टिलाइजर भगवानपुर	203
7	अंश बीज भण्डार कुडीभगवानपुर	180
8	चौधरी खाद भण्डार चुडियाला स्टेशन	201
9	दुर्गा बीज भण्डार इमली रोड भगवानपुर	203
10	शुभम खाद बीज भण्डार हाल्लूमाजरा	210
11	राजेश पेस्टीसाइड भगवापुर	236
12	चौहान कृषि सेवा केन्द्र बुगावाला	243
13	किसान पेस्टीसाइड बीज एवं खाद भण्डार चौलीशाहबुददीनपुर	289

14	किसान पेरस्टीसाइड एवं खाद बीज केन्द्र मानकमाजरा	290
15	संदीप पेरस्टीसाइड डाडा जलालपुर	292
16	अनस बीज भण्डार सिकन्दरपुर भैसवाल	294
17	सैनी बीज भण्डार बुगावाला	297
18	देव भूमि किसान सेवा केन्द्र रायपुर भगवानपुर	301
19	श्रीराम बीज एवं खाद भण्डार चुड़ियाला स्टेशन	303
20	कृषि सेवा केन्द्र गुरुकुल नारसन	308
21	किसान सेवा केन्द्र भगवानपुर	319
22	कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र डाडाजलालपुर	221
23	कोजी०एन बीज भण्डार सिकन्दरपुर भैसवाल	371
24	दुर्गा बीज भण्डार डाडाजलालपुर	378
25	कृषि सेवा संस्थान बिनारसी चुड़ियाला	392
26	वैष्णवी ओर्गेनिक्स इन्टर प्राइजेज इमली रोड भगवानपुर	393
27	विकास पेरस्टीसाइड भगवानपुर	394

विकासखण्ड—नारसन

क०सं०	फर्म का नाम	बीज लाईसेंस सं०
1	गायत्री पेरस्टीसाईड लंढौरा	20
2	श्री हनुमानजी बीज भण्डार झबरेडा	74
3	शिव बीज स्टोर झबरेडा	73/7217
4	दुर्गा बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	278/27752
5	भाटिया फर्टिलाइजर स्टोर मंगलौर	278/27761
6	चौधरी बीज भण्डार झबरेडा	278/27765
7	चौधरी बीज भण्डार झबरेडा	278/27763
8	किसान ट्रैडर्स गुरुकुल नारसन	98
9	जगदीश प्रसाद सुरेश कुमार मंगलौर	278/27740
10	उत्तम फर्टिलाइजर मंगलौर	278/27742
11	श्रीराम बीज भण्डार जटौल रोड झबरेडा	162
12	श्रीबालाजी ट्रेडिंग कम्पनी झबरेडा	163
13	रामा कृष्णा सैनी कृषि सेवा केन्द्र झबरेडा	202
14	उत्तम बीज स्टोर मैन बाजार मंगलौर	204
15	योगेश एण्ड ब्रॉदश लंढौरा	206
16	राधेश्याम विपिन कुमार लंढौरा	207
17	लक्ष्मी बीज भण्डार झबरेडा	12
18	शिव ट्रेडिंग कम्पनी झबरेडा	185
19	मुशीर बीज भण्डार लंढौरा	226
20	शिव सीड्स मंगलौर	227
21	मुशीराम इन्ड्रभान मंगलौर	73/7212
22	किसान सेवा केन्द्र लंढौरा	250
23	कृषि विकास एजेन्सी मंगलौर	252
24	किसान खुशहाली केन्द्र झबरेडा	256
25	मुकुल फर्टिलाइजर गुरुकुल नारसन	273
26	जय किसान ट्रैडर्स कोटवाल आलमपुर	274
27	गुरुकृष्णा किसान सेवा केन्द्र मुण्डलाना	278
28	सेम एग्री सीड्स प्र०लि० झबीरनजट	279
29	चौधरी किसान सेवा केन्द्र गुरुकुल नारसन	280

30	गणपति कॉप केयर बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	282
31	श्री गणपति बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	284
32	ओम किसान सेवा केन्द्र मंगलौर	286
33	मांगेराम वर्मा पेस्टीसाइड बीज एवं खाद भण्डार गुरुकुल नारसन	307
34	किसान खाद बीज भण्डार लहबोली	311
35	भारत ट्रैडर्स लंडौरा	313
36	श्रीनाथ पेस्टीसाइड एवं बीज भण्डार लाठरदेवा हुण	314
37	श्रीबालाजी कृषि सेवा केन्द्र गाधारोना	321
38	यादव एग्रो ट्रैडर्स ढंडेरा	376
39	नम्बरदार पेस्टीसाइड एवं बीज भण्डार लखनौता चौराहा	387

विकासखण्ड—लक्सर

क्र०सं०	फर्म का नाम	बीज लाईसेंस सं०
1	किसान बीज भण्डार बहादरपुर खादर	19
2	किसान सेवा केन्द्र सैन्टर सुल्तानपुर कुन्हारी	79
3	खुशहाली किसान सेवा केन्द्र सुल्तानपुर	78
4	शिव बीज भण्डार सुल्तानपुर	278/27751
5	देव बीज भण्डार बहादरपुर खादर	278/27755
6	कुमार ट्रैडर्स रायसी	34
7	शाकुम्बरी ट्रेडिंग कम्पनी बसेडी	91
8	सैनी कृषि सेवा केन्द्र भिककमपुर जीतपुर	205/170
9	गुप्ता बीज भण्डार लक्सर	73/7204
10	आर०के० सीड०स लक्सर	73/7201
11	बिजेन्द्र ट्रैडर्स रायसी	186
12	सैनी फर्टिलाइजर फतवा	189
13	किसान खाद बीज भण्डार शाहपुर शीतलाखेडा	199
14	देव बीज भण्डार सुल्तानपुर	204
15	किसान खुशहाली केन्द्र लक्सर	212
16	किसान खाद बीज भण्डार शाहपुर शीतलाखेडा	198
17	गर्ग ट्रैडर्स बसेडी	302
18	पतंजली बायो रिस्च इंस्टीयूट्स प्रा०लि० पदार्था	367
19	चौधरी कृषि सेवा केन्द्र भिककमपुर जीतपुर	368
20	कृषि सेवा केन्द्र रायसी	260
21	उत्तम कृषि सेवा केन्द्र सेठपुर बसेडी	264
22	अंश बीज भण्डार भिककमपुर जीतपुर	272
23	किसान कृषि सेवा केन्द्र लक्सर	287
24	श्रीराम पेस्टीसाइड्स लक्सर	288
25	आर्यक्ष किसान सेवा केन्द्र रायसी	295
26	श्रीबालाजी बीज भण्डार लक्सर	296
27	श्रीबालाजी कृषि सेवा केन्द्र मुण्डाखेडाखुर्द	318
28	खालसा कृषि सेवा केन्द्र बहादरपुर खादर	324
29	महादेव बीज भण्डार सेठपुर	325
30	धरा कृषि सेवा केन्द्र शेखपुरी लक्सर	327
31	लक्ष्मी ट्रैडर्स रायसी रोड लक्सर	333
32	शिव बीज भण्डार बाकरपुर	335

33	एम०एस०किसान सेवा केन्द्र सुल्तानपुर	373
34	किसान खाद व बीज भण्डार फतवा	263
35	बी०एम०ट्रैडर्स भोगपुर	384
36	किसान सेवा केन्द्र कुडीभगानपुर	391

विकासखण्ड—खानपुर

क०सं०	फर्म का नाम	बीज लाईसेंस सं०
1	किसान खाद भण्डार खानपुर	269
2	उत्तराखण्ड कृषि सेवा केन्द्र खानपुर	271
3	चौधरी किसान सेवा केन्द्र गोराधनपुर	315
4	शिव शक्ति बीज भण्डार खानपुर	316
5	महा लक्ष्मी टेडिंग कम्पनी गोराधनपुर	382

(सहकारिता विभाग)
विकास खण्ड— बहादराबाद

क०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	पथरी विस्थापित साधन सहकारी समिति लि०	323
2	साधन सहकारी समिति लि० पीतपुर	329
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० बहादराबाद	330
4	साधन सहकारी समिति लि० औरगांवाद	331
5	किसान सेवा सहकारी समिति लि० जमालपुरकला	343
6	साधन सहकारी समिति लि० सलेमपुर महदूद	350
7	साधन सहकारी समिति लि० लालढांग कठेवड	360
8	साधन सहकारी समिति लि० गैण्डीखाता	361
9	साधन सहकारी समिति लि० श्यामपुर	362

विकास खण्ड— रुडकी

क०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	साधन सहकारी समिति लि० मेहवड्खुर्द	275
2	साधन सहकारी समिति लि० भारापुर	328
3	साधन सहकारी समिति लि० दौलतपुर	332
4	किसान सेवा सहकारी समिति लि० नन्हेडा अन्नतपुर	340
5	किसान सेवा सहकारी समिति लि० पनियाला	356
6	किसान सेवा सहकारी समिति लि० लाठरदेवा	357
7	किसान सेवा सहकारी समिति लि० नगला कुबडा	358
8	किसान सेवा सहकारी समिति लि० सलेमपुर	359

विकास खण्ड— भगवानपुर

क०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	साधन सहकारी समिति लि० चौली	86
2	साधन सहकारी समिति लि० डाडा जलालपुर	336
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० खेलपुर	337
4	किसान सेवा सहकारी समिति लि० हबीबपुर निवादा	338
5	किसान सेवा सहकारी समिति लि० भगवानपुर	339
6	साधन सहकारी समिति लि० चुड़ियाला	342
7	साधन सहकारी समिति लि० तेज्जुपुर	351
8	साधन सहकारी समिति लि० खेडी शिकोहपुर	352

9	साधन सहकारी समिति लि० बंजारेवाला	353
---	----------------------------------	-----

विकास खण्ड— नारसन

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान सेवा सहकारी समिति लि० झाबरेडा	281
2	किसान सेवा सहकारी समिति लि० हद्दीपुर	365
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० नगला इमरती	60
4	किसान सेवा सहकारी समिति लि० कुरडी	363
5	किसान सेवा सहकारी समिति लि० कोटामुरादनगर	364

विकास खण्ड— लक्सर

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	साधन सहकारी समिति लि० ज्वाहरखा उर्फ झीवरहेडी	181
2	किसान सेवा सहकारी समिति लि० भिकमपुर जीतपुर	276
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० दाबकीकला	344
4	किसान सेवा सहकारी समिति लि० ऐथलबुजुर्ग	345
5	किसान सेवा सहकारी समिति लि० मौ०पुर बुजुर्ग	355
6	किसान सेवा सहकारी समिति लि० मुण्डाखेडाकला	366
7	साधन सहकारी समिति लि० गिर्द्धवाली	349

विकास खण्ड— खानपुर

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	साधन सहकारी समिति लि० गोरधनपुर	278/27796
2	साधन सहकारी समिति लि० मोहनेवाला	341

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (निजी विक्रेता)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— बहादराबाद

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	आर०के०एग्रो बायोटेक शाहपुर शीतलाखेडा	16/HDR97-98
2	रचना खाद भण्डार ज्वालापुर	2060/HDR/91
3	कृष्णा खाद भण्डार बहादराबाद	2029/HDR/88
4	राहूल बीज स्टोर जियापोता	2080/HDR/93
5	ग्रीन सिटी सर्वीसिज ज्वालापुर (घरेलू)	373/HDR/2011
6	सैनी ट्रैडर्स बीज भण्डार लालढांग	385/HDR/2011-12
7	एयर प्लाजा हाउस होल्डिंग प्रा०लि० रानीपुर मोड हरिद्वार (घरेलू)	412/HDR/11-12
8	समृद्धि इन्टर प्राइजेज ज्वालापुर	414/HDR/11-12
9	चौधरी कृषि सेवा केन्द्र मानूबास	62A/HDR/10
10	सैनी कृषि सेवा केन्द्र मानूबास	63/HDR/2000
11	गुप्ता एजेन्सी चौक बाजार ज्वालापुर	61/HDR/2000
12	इन्टर नेशनल पैनेशिया सिडकुल हरिद्वार	363/HDR/10
13	चौधरी ट्रैडर्स बहादरपुरजट	129/HDR/09
14	पुण्डीर खाद भण्डार हद्दीवालाग्रन्ट	2055/HDR/09
15	गुरुदेव ब्रदश दिनारपुर	352/HDR/10
16	स्पेन्सर रिटेल लि० पैन्टागन मौल सिडकुल हरिद्वार (घरेलू)	470/HDR/12
17	कुमार ट्रैडर्स गैण्डीखाता	330/HDR/10
18	सैनी फर्टीलाइजर गैण्डीखाता	358/HDR/10
19	सत्यम ट्रैडर्स लालढांग	194/HDR/06

20	भारत डीजल्स, मानवकुंज बाईपास रोड ज्वालापुर	484/HDR/12
21	किसान खाद बीज भण्डार शाहपुर	496/HDR/12
22	शाहजी खाद भण्डार धनपुरा	46/HDR/99
23	किसान पेस्टीसाइड ज्वालापुर	2079/HDR/93
24	मित्तल ब्रदेश ज्वालापुर	2028/HDR/88
25	ग्रामीण कृषि सेवा केन्द्र बादशाहपुर	304/HDR/09
26	किसान सेवा केन्द्र हृदीपुर ग्रन्ट	504/HDR/13
27	संगम इन्टर प्राइजेज वैदिक मोहन आश्रम भूपतवाला हरिद्वार	536/HDR/
28	किसान बीज भण्डार बहादराबाद	5006/HDR/96
29	सैनी सीडिस एण्ड पेस्टीसाइड हृदीपुरग्रन्ट	334/HDR/10
30	गुप्ता एजेन्सी ज्वालापुर (घरेलू)	61/HDR/2000
31	आर०के०एग्रो बायोटैक शाहपुर शीतलाखेडा	16/HDR/97
32	सहकारी किसान कृषि सेवा केन्द्र हृदीवालाग्रन्ट	734/HDR/16
33	शाहौं कृषि सेवा केन्द्र गढ़मीरपुर	775/HDR/17
34	यश बीज भण्डार हृदीपुर ग्रन्ट	710/HDR/16
35	दा गुप्ता एम्पायर पीठ बाजार ज्वालापुर	715/HDR/16
36	फ्युचर रिटेल लि० आन्नेकी हेत्तमपुर (घरेलू)	722/HDR/16
37	फ्युचर रिटेल लि० जगजीतपुर (घरेलू)	723/HDR/16
38	सैनी बीज भण्डार मानुबास	724/HDR/16
39	इच्छिन पेस्ट मनेजमेन्ट ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार	730/HDR/16
40	किसान खाद बीज केन्द्र जगजीतपुर	737/HDR/16
41	पी.सी.आई.पेस्ट कन्ट्रोल प्रा०लि० शिवालिकनगर हरिद्वार	283/HDR/08
42	कृषि सेवा केन्द्र सराय रोड ज्वालापुर	187/HDR/03
43	विजय भारत बीज भण्डार गढ़मीरपुर	303/HDR/09
44	शाकुम्बरी देवी पेस्टीसाइड एण्ड बीज भण्डार सहदेवपुर	763/HDR/17
45	खुशहाली किसान कृषि विकास केन्द्र बादशाहपुर	768/HDR/17
46	मितल स्टोर शंकर आश्रम चौक ज्वालापुर	274/HDR/17
47	सैन्ट्रल मार्केटिंग एजेन्सी ज्वालापुर(घरेलू)	769/HDR/17
48	सैन्ट्रल मार्केटिंग एजेन्सी ज्वालापुर	770/HDR/17
49	आराध्या पेस्ट कन्ट्रोल सोल्यूशन बहादराबाद	772/HDR/17
50	परफेक्ट इंडिया सोल्यूशन मिस्सरपुर	776/HDR/17
51	श्याम इलेक्ट्रीकल्स शिवलोक कालौनी रानीपुर मोड हरिद्वार	777/HDR/17
52	वैभव कृषि सेवा केन्द्र हृदीपुर ग्रन्ट	787/HDR/17
53	लक्ष्मी बीज भण्डार कोटामुरादनगर	803/HDR/17
54	परफेक्ट इंडिया सोल्यूशन मिस्सरपुर	804/HDR/17
55	पेस्ट कन्ट्रोल कैमिकल एण्ड सर्विसेज एफ-८ हरिद्वार	580/HDR/14
56	किसान जैविक केन्द्र बादशाहपुर	640/HDR/15
57	सैनी पेस्टीसाइड एण्ड फर्टिलाइजर हृदीपुरग्रन्ट	642/HDR/15
58	सैनी कृषि सेवा केन्द्र हृदीपुर ग्रन्ट	662/HDR/15
59	किसान खाद भण्डार मानुबास	672/HDR/15
60	किसान बीज भण्डार नसीरपुर कलां	817/HDR/18
61	किसान कृषि सेवा केन्द्र आन्नेकी हेत्तमपुर	824/HDR/18
62	किसान सेवा केन्द्र दिनारपुर	826/HDR/18
63	आर०बी०एन०एस० शुगरमिललक्सर किसान सेवा केन्द्र अहमदपुर	829/HDR/18

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	पतंजली बायो रिसर्च इस्टीयूट पर्दाथा लक्सर	505/HDR/13
2	श्रीबालाजी किसान सेवा केन्द्र भिक्कमपुर जीतपुर	379/HDR/11
3	श्रीशाकुम्बरी बीज भण्डार एवं पेस्टीसाइडस बसेडी लक्सर	380/HDR/11
4	सैनी कृषि सेवा केन्द्र भिक्कमपुर लक्सर	351/HDR/10
5	एस0के०सीडस पेस्टीसाइड सुल्तानपुर	40/HDR/98
6	गुप्ता बीज भण्डार लक्सर	5004/HDR/96
7	किसान खुशहाली केन्द्र लक्सर	293/HDR/08
8	देव बीज भण्डार बहादरपुर खादर	32/HDR/98
9	गुप्ता ट्रैडर्स निरंजनपुर लक्सर	469/HDR/12
10	किसान बीज भण्डार बहादरपुर खादर	479/HDR/12
11	हर्ष किसान सेवा केन्द्र लक्सर	718/HDR/16
12	राय बहादुर शुगर मिल लक्सर	59/HDR/99
13	आर०के०सीडस एण्ड पेस्टीसाइड लक्सर	2058/HDR/91
14	खुशहाली किसान सेवा केन्द्र सुल्तानपुर लक्सर	512/HDR/13
15	निशान्त कीटनाशक भण्डार निरंजनपुर	567/HDR/13
16	किसान खाद बीज भण्डार इस्माइलपुर लक्सर	574/HDR/14
17	अग्रवाल एजेन्सी निरंजनपुर	147/HDR/02
18	देव बीज भण्डार सुल्तानपुर	178/HDR/03
19	सैनी कृषि सेवा केन्द्र बाककरपुर लक्सर	643/HDR/15
20	जय मौं बालासुन्दरी बीज भण्डार निरंजनपुर	645/HDR/15
21	विकास किसान सेवा केन्द्र गोरधनपुर रोड लक्सर	648/HDR/15
22	जगदम्बा बीज एवं कीटनाशक स्टोर खेडी मुबारिकपुर लक्सर	671/HDR/15
23	नव निर्माण अलहुजैफा किसान सेवा केन्द्र जैनपुर खुर्द	676/HDR/15
24	कृषि सहायता केन्द्र लक्सर	683/HDR/15
25	युवराज पेस्टीसाइड व सीडस हनुमान मन्दिर सुल्तानपुर	686/HDR/15
26	राजकुमार बीज भण्डार भोगपुर	690/HDR/15
27	चौधरी किसान सेवा केन्द्र लक्सर	694/HDR/15
28	देव बीज भण्डार रायसी	704/HDR/15
29	आइयु रावल पेस्टीसाइड एण्ड बीज भण्डार हुसैनपुर लक्सर	713/HDR/16
30	कुमार ट्रैडर्स रायसी	183/HDR/03
31	उत्तम कृषि सेवा केन्द्र सेठपुर	736/HDR/16
32	श्रीराम पेस्टीसाइड बालावाली रोड लक्सर	745/HDR/16
33	अंश बीज भण्डार भिक्कमपुर	753/HDR/16
34	चौधरी सीडस एण्ड पेस्टीसाइड स्टोर लक्सर	305/HDR/09
35	देव बीज भण्डार कुडी भगवानपुर	773/HDR/17
36	प्रगति कृषि सेवा केन्द्र सुल्तानपुर	779/HDR/17
37	कृषि सेवा केन्द्र रायसी	780/HDR/17
38	किसान कृषि सेवा केन्द्र गोरधनपुर रोड लक्सर	781/HDR/17
39	वाशु पेस्टीसाइड कुडी भगवानपुर रायसी रोड	782/HDR/17
40	आर्यक्ष किसान सेवा केन्द्र रायसी	792/HDR/17
41	श्रीबालाजी बीज भण्डार हरिद्वार रोड लक्सर	795/HDR/17
42	राय बहादुर शुगर मिल लक्सर बिकी केन्द्र कुडीभगवानपुर	828/HDR/18
43	प्रगति पेस्टीसाइड महाराजपुरकलां	830/HDR/18

44	श्रीबालाजी कृषि सेवा केन्द्र खंरजा कुतुबपुर	834/HDR/18
45	गर्ग ट्रैडर्स बसेडी लक्सर	568/HDR/14

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (निजी विक्रेता)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— भगवानपुर

क्रमसंख्या	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान बीज भण्डार चुड़ियाला	15/HDR/98
2	विशाल फर्टिलाइजर भगवानपुर	377/HDR/11
3	किसान खाद भण्डार चुड़ियाला तेज्जुपुर	381/HDR/11
4	किसान खाद बीज भण्डार भगवानपुर	386/HDR/12
5	महाशक्ति पेस्टीसाइड भलस्वागाज	340/HDR/10
6	भारत बीज भण्डार भगवानपुर	31/HDR/98
7	सैनी सीडस एण्ड पेस्टीसाइड भगवानपुर	4026/RKE/88
8	श्रीबालाजी ट्रैडर्स भगवानपुर	203/HDR/04
9	गर्ग ट्रैडर्स भगवानपुर	5000/HDR/96
10	ओरगेनिक किसान कृषि सहायता केन्द्र इमली रोड भगवानपुर	492/HDR/12
11	दुर्गा बीज भण्डार इमली रोड भगवानपुर	501/HDR/12
12	सैनी कीटनाशक केन्द्र हसनपुर मदनपुर	550/HDR/14
13	कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र डाढ़ाजलालपुर	553/HDR/14
14	राजेश पेस्टीसाइड इमली रोड भगवापुर	560/HDR/14
15	आर्यन पेस्टीसाइड मसाही कला	572/HDR/14
16	कृषि सेवा केन्द्र भगवापुर	44/HDR/99
17	किसान ट्रैडर्स हसनपुर मदनपुर	168/HDR/03
18	चौहान पेस्टीसाइड चौल्ली शाहबुद्दीनपुर	636/HDR/15
19	ज्योति कन्यूमर मार्केटिंग लिंग काशीपुरी रोड रुडकी	637/HDR/15
20	सैनी खाद भण्डार डाढ़ाजलालपुर	179/HDR/03
21	वंश पेस्टीसाइड भण्डार हसनपुर मदनपुर	716/HDR/16
22	किसान बीज भण्डार पुहाना चौक भगवानपुर	721/HDR/16
23	चौहान कृषि सेवा केन्द्र बुगगावाला	727/HDR/16
24	भारतीय किसान पेस्टीसाइड भगवानपुर	749/HDR/16
25	किसान कृषि सेवा केन्द्र तेज्जुपुर	750/HDR/16
26	हरिओम ट्रेडिंग कम्पनी भगवानपुर	755/HDR/17
27	कृष्णा पेस्टीसाइड औरंगजैबपुर	760/HDR/17
28	ईरशाद कृषि सेवा केन्द्र सिकरोढ़ा	180/HDR/03
29	दुर्गा बीज भण्डार तेज्जुपुर चुड़ियाला स्टेशन	328/HDR/09
30	किसान पेस्टीसाइड एवं खाद बीज केन्द्र मानक माजरा	784/HDR/17
31	किसान पेस्टीसाइड बीज एवं खाद भण्डार चौली शाहबुद्दीनपुर	786/HDR/17
32	संदीप पेस्टीसाइड डाढ़ा पट्टी	789/HDR/17
33	अनस पेस्टीसाइड सिकन्दरपुर भैसवाल	791/HDR/17
34	किसान सेवा केन्द्र मानकपुर आदमपुर	795/HDR/17
35	सैनी बीज भण्डार बुगगावाला	797/HDR/17
36	वासु बीज भण्डार बुगगावाला	798/HDR/17
37	देव भूमि किसान सेवा केन्द्र रायपुर भगवानपुर	800/HDR/17
38	श्रीराम बीज एवं खाद भण्डार चुड़ियाला स्टेशन	802/HDR/17
39	किसान खाद बीज भण्डार अकबरपुर कालसो	811/HDR/18
40	त्यागी किसान सेवा केन्द्र चुड़ियाला	835/HDR/18

क्र0सं0	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान बीज भण्डार इकबालपुर	415/HDR/13
2	सैनी सीडस एण्ड पेस्टीसाइड धनौरी	336/HDR/10
3	लक्ष्मी खाद भण्डार इकबालपुर	112/HDR/02
4	विजय बीज भण्डार धनौरी	281/HDR/08
5	नारायणदास खेमचन्द रुडकी	4067/RKE/89
6	श्रीराम एग्रो इण्डिया चावमण्डी दुकान न0–01 रुडकी	369/HDR/11
7	फसल सुरक्षा केन्द्र इकबालपुर	382/HDR/12
8	एडवांस फैसलिटी सर्विसेज रुडकी(पेस्ट कन्ट्रोल)	405/HDR/12
9	सैनी कृषि सेवा केन्द्र रुडकी	13/RKE/98
10	सैनी खाद भण्डार रुडकी	5022/HDR/96
11	कृषि सेवा केन्द्र रहमतपुर	291/HDR/08
12	सैनी कृषि सेवा केन्द्र इमलीखेडा	289/HDR/08
13	रबी खाद भण्डार रुडकी	5001/HDR/96
14	किसान फर्टिलाइजर रामपुर चुंगी रुडकी	33/HDR/98
15	विपिन ट्रैडर्स धनौरी	468/HDR/12
16	इफैविटव पेस्टकन्ट्रोल सर्विस रुडकी	125/HDR/02
17	अग्रवाल एजेन्सी सलेमपुर राजपुताना रुडकी	205/HDR/09
18	महबूब कृषि सेवा केन्द्र रहमतपुर	478/HDR/12
19	किसान कृषि सेवा केन्द्र धनौरी	494/HDR/12
20	श्रीबालाजी सैल्स कारपोरेशन रामपुर चुंगी रुडकी	186/HDR/03
21	अशोका फर्टिलाइजर रुडकी	4069/RKE/89
22	किस्टल कोप प्रोटेक्सन प्रा०लि०सैनिक कालोनी रुडकी	508/HDR/13
23	ज्योति लेबोट्रिज लि० डी०क०कोल्ड स्टोर कम्बाइड काशीपुरी रुडकी	142/HDR/02
24	एस०कुमार एण्ड कम्पनी रुडकी	4075/RKE/90
25	भगवती ट्रेडर्स रुडकी	04/RKE/97
26	शाकुम्बरी किसान सेवा केन्द्र इमलीखेडा	516/HDR/13
27	यूनिवर्सल पेस्ट कन्ट्रोल सोल्यूशन रेलवे रोड रुडकी	538/HDR/13
28	किसान खाद भण्डार भौरी	539/HDR/13
29	ओम ट्रेडिंग कम्पनी धनौरी	554/HDR/14
30	लक्ष्मी एजेन्सी सिविल लाईन रुडकी	558/HDR/14
31	भारतीय रिटेल लि० 44–नेहरुनगर रुडकी (घरेलू)	575/HDR/14
32	किसान ट्रैडर्स जसवावाला रोड धनौरी	94/HDR/01
33	सुभा कीटनाशक एवं बीज भण्डार कासमपुर	646/HDR/15
34	सैनी बीज भण्डार जसवावाला रुडकी	651/HDR/15
35	मुरारी ब्रदर्श रुडकी	657/HDR/15
36	इम्पलस पेस्ट कन्ट्रोल इन्डस्ट्रीज रुडकी	659/HDR/15
37	सैनी ट्रेडिंग कम्पनी रुडकी	668/HDR/15
38	श्रीराम पेस्टीसाइड बेलडा रुडकी	551/HDR/14
39	किसान सेवा केन्द्र भौरी डेरा	689/HDR/15
40	किसान खाद भण्डार भौरी	700/HDR/15
41	ओरियन्टल कोप केयर क० प्रा०लि० रुडकी	701/HDR/15
42	मंगलमय पेस्ट कन्ट्रोल सर्विस सुर्देशन प्लाजा रुडकी	702/HDR/15
43	जय किसान बीज भण्डार एवं कीटनाशक दवाईया इकबालपुर	706/HDR/15
44	पेस्ट कन्ट्रोल इंडिया प्रा०लि० पुहाना	707/HDR/15
45	दिव्य इंडियन पेस्ट कन्ट्रोल साउथसिविल लाईन रुडकी	719/HDR/16

46	गीतामनी लैबोट्रीज प्रा०लि० राजेन्द्रनगर रुडकी	729/HDR/16
47	कीधा कार्पोरेशन एण्ड इन्टिरयल रुडकी	732/HDR/16
48	किसान खाद भण्डार रामपुर चुंगी रुडकी	742/HDR/16
49	फ्यूचर रिटेल लि० मोहनपुरा रुडकी	752/HDR/16
50	अल्सि फेसीलिटी मेनेजमेन्ट प्रा०लि० आर्दशनगर रुडकी	754/HDR/16
51	अंकित खाद भण्डार धनौरी	756/HDR/16
52	यूएस कोप साईन सिस इण्डिया सलेमपुर राजपुताना रुडकी	762/HDR/17
53	अतुल सीड एवं पेरस्टीसाइड पनियाला रोड शिवपुरम रुडकी	766/HDR/17
54	डार्विम एग्रो कैमिकल्स लि० रुडकी	771/HDR/17
55	कृषि इम्पोरियम बडेढी राजपुताना रुडकी	785/HDR/17
56	त्यागी बीज भण्डार इकबालपुर	655/HDR/15
57	बिडलान कारपोरेट सोलूसन शति बिहार कालौनी रुडकी	801/HDR/17
58	किसान खाद एवं बीज भण्डार मिर्जापुर मुस्तफाबाद	806/HDR/18
59	चौधरी कृषि सेवा केन्द्र इमलीखेड़ा	808/HDR/18
60	यूनिवर्सल पेस्ट कन्ट्रोल शवित बिहार कालौनी रुडकी	809/HDR/18
61	न्यू नवाज कृषि सेवा केन्द्र मरगूबपुर	821/HDR/18
62	साई पेस्ट कन्ट्रोल गणेश चौक रुडकी	822/HDR/18
63	किसान ड्रैडर्स कुंजा रोड इकबालपुर	823/HDR/18

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (निजी विक्रेता)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— नारसन

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	रामा कृष्णा सैनी कृषि सेवा केन्द्र झाबरेडा	252/HDR/06
2	शिवम बीज भण्डार झाबरेडा	206/HDR/04
3	चौधरी खाद भण्डार झाबरेडा	4077/HDR/90
4	योगेश एण्ड ब्रदेश लंढौरा	360/HDR/10
5	तोमर पेरस्टीसाइड मंगलौर	4081/RKE/90
6	बजाज एजेन्सी झाबरेडा	367/HDR/11
7	कृषि विकास एजेन्सी मंगलौर	4065/RKE/89
8	मुंशीराम इन्द्रभान मंगलौर	4047/RKE/88
9	न्यू दुर्गा बीज भण्डार झाबरेडा	370/HDR/11
10	फसल बीज केन्द्र गुरुकुल नारसन	4083/RKE/90
11	श्रीबालाजी बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	295/HDR/08
12	श्रीराम बीज भण्डार झाबरेडा	5007/HDR/96
13	शिव बीज भण्डार झाबरेडा	4109/HDR/94
14	कृषि किसान सेवा केन्द्र लहबोली	191/HDR/04
15	श्री हनुमानजी बीज भण्डार झाबरेडा	361/HDR/10
16	उत्तम बीज स्टोर मंगलौर	461/HDR/12
17	काजल पेरस्टीसाइड हरचन्दपुर निजामपुर	233/HDR/06
18	उत्तम शुगर मिल्स पेरस्टीसाइड लिब्बरहेड़ी	471/HDR/12
19	राजेन्द्र बीज भण्डार लखनौता चौराहा	474/HDR/12
20	शॉह कृषि बीज भण्डार मंगलौर	477/HDR/12
21	किसान सीड स्टोर नारसन	500/HDR/12
22	भाटिया फर्टिलाइजर स्टोर मंगलौर	14/HDR/97
23	उत्तम फर्टिलाइजर स्टोर मंगलौर	162/HDR/03
24	मुकुल फर्टिलाइजर्स गुरुकुल नारसन	735/HDR/16

25	गायत्री पेस्टीसाइड लंढौरा	55/HDR/99
26	गौरव किसान सेवा केन्द्र गुरुकुल नारसन	506/HDR/13
27	करनाल फसल सुरक्षा केन्द्र गुरुकुल नारसन	510/HDR/13
28	जगदीश प्रसाद सुरेश कुमार मंगलौर	528/HDR/13
29	महाशक्ति ट्रैडर्स कुलचन्दी नारसन	532/HDR/13
30	महादेव पेस्टीसाइड झबरेडा	543/HDR/14
31	गणपति पेस्टीसाइड एण्ड बीज भण्डार लखनौता चौराहा	555/HDR/14
32	पंकज पेस्टीसाइड मुण्डलाना	556/HDR/14
33	किसान सेवा केन्द्र लण्ठौरा	559/HDR/14
34	श्रीबालाजी ट्रेडिंग कम्पनी झबरेडा	731/HDR/16
35	शिव ट्रेडिंग कम्पनी झबरेडा	738/HAD/16
36	गणपति कोप केयर गुरुकुल नारसन	751/HDR/16
37	गुरु कृपा किसान सेवा केन्द्र मुण्डलाना	757/HDR/17
38	शिव बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	758/HDR/17
39	श्रीबालाजी कृषि सेवा केन्द्र गाधारोणा	759/HDR/17
40	किसान बीज भण्डार कोटवाल आलमपुर	309/HDR/09
41	चौधरी किसान सेवा केन्द्र गुरुकुल नारसन	764/HDR/17
42	शाकुम्बरी बीज भण्डार झबरेडा	767/HDR/17
43	श्रीबालाजी पेस्टीसाईड मुण्डलाना	774/HDR/17
44	ओम किसान सेवा केन्द्र मंगलौर	778/HDR/17
45	कृषि सेवा केन्द्र थीथकी कवादपुर	783/HDR/17
46	प्रेम पेस्टीसाइडस गुरुकुलनारसन	790/HDR/17
47	रजत ट्रेडिंग कम्पनी लखनौता चौराहा	799/HDR/17
48	लक्ष्मी पेस्टीसाइड निजामपुर गुरुकुलनारसन	807/HDR/18
49	मांगेराम वर्मा पेस्टीसाइड बीज एवं खाद भण्डार गुरुकुलनारसन	810/HDR/18
50	देव किसान सेवा केन्द्र शेरपुर खेलमऊ	814/HDR/18
51	प्रतीक ट्रेडिंग कम्पनी लिब्बरहेडी	816/HDR/18
52	किसान खाद बीज भण्डार लहबोली	818/HDR/18
53	भारत ट्रैडर्स लक्सर रोड लंढौरा	820/HDR/18
54	गणपति बीज भण्डार गुरुकुल नारसन	825/HDR/18
55	श्रीनाथ पेस्टीसाइड एवं बीज भण्डार लाठरदेवाहुण	827/HDR/18
56	कालूराम एण्ड संस स्थित मोहल्ला लालवाडा मंगलौर	632/HDR/15
57	लक्ष्मी बीज भण्डार झबरेडा	89/HDR/05
58	किसान ट्रेडर्स गुरुकुल नारसन	313/HDR/09
59	मुंशीर बीज भण्डार लंढौरा	656/HDR/15
60	श्रीबालाजी बीज भण्डार लंढौरा	670/HDR/15
61	कृषक सेवा केन्द्र गुरुकुल नारसन	673/HDR/15
62	राईन बीज भण्डार मंगलौर	674/HDR/15
63	तपन ट्रैडर्स लाठरदेवाशेख	675/HDR/15
64	कृष्णा बीज भण्डार झबरेडा	91/HDR/01
65	शिव पेस्टीसाइड मंलौर	697/HDR/15
66	प्रणामी बीज भण्डार सढौली	698/HDR/15
67	शिव पेस्ट कन्ट्रोल सर्विस मंगलौर	699/HDR/15
68	किसान खुशहाली केन्द्र झबरेडा	725/HDR/16

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (निजी विक्रेता)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— खानपुर

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान कृषि सेवा केन्द्र गोरधनपुर	384/HDR/12
2	उत्तराखण्ड कृषि सेवा केन्द्र खानपुर	356/HDR/11
3	भारत सीडस स्टोर गोरधनपुर	491/HDR/12
4	सन्धू सीडस एण्ड पेस्टीसाइड स्टोर गोरधनपुर	255/HDR/06
5	पवॉर पेस्टीसाइड गोरधनपुर	546/HDR/14
6	कृष्णा विराट बीज भण्डार गोरधनपुर	661/HDR/15
7	हरि ओम किसान सेवा केन्द्र गोरधनपुर	682/HDR/15
8	गणपति किसान खाद बीज पेस्टीसाइड भण्डार गोरधनपुर	691/HDR/15
9	देव बीज भण्डार गोरधनपुर	740/HDR/16
10	किसान सेवा केन्द्र गोरधनपुर	744/HDR/16
11	किसान खाद भण्डार खानपुर	761/HDR/17
12	श्रीबालाजी बीज भण्डार गोरधनपुर	813/HDR/18
13	महादेव बीज भण्डार पुरकाजी रोड खानपुर	815/HDR/18
14	वर्षा पेस्टीसाइड माडाबेला	819/HDR/18
15	चौधरी किसान कृषि सेवा केन्द्र गोरधनपुर	831/HDR/18
16	आर.बी.एन.एस.शुगरमिल लक्सर केन्द्र खानपुर	832/HDR/18

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (सहकारिता विभाग)

वर्ष 2018–19 विकासखण्ड— लक्सर

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान सेवा सहकारी समिति लि० निरंजनपुर	708/HDR/16
2	किसान सेवा सहकारी समिति लि० दाबकीकलां	720/HDR/16
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० रायसी	726/HDR/16

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (सहकारिता विभाग)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— नारसन

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान सेवा सहकारी समिति लि० झबरेडा	747/HDR/16

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (सहकारिता विभाग)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— रुडकी

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान सेवा सहकारी समिति लि० पनियाला	113/HDR/02
2	भारापुर साधन सहकारी समिति लि०	717/HDR/16
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० नन्हेडा अन्नतपुर	746/HDR/16

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (सहकारिता विभाग)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— भगवानुपर

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान सेवा सहकारी समिति लि० खेलपुर	748/HDR/16

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (सहकारिता विभाग)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— बहादराबाद

क्र०सं०	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	किसान सेवा सहकारी समिति लि० जमालपुरकलां	812/HDR/18

2	गंगा कृषि उत्पादन एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि0 योगीपुरम कालौनी जमालपुरकला	833/HDR/18
---	---	------------

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (गन्ना विभाग)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— रुडकी

क्र0सं0	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 नन्हेडाअन्नतपुर	396/HDR/11
2	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 बडेढी राजपुताना	397/HDR/11
3	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 रेलवे रोड रुडकी	401/HDR/11
4	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 इकबालपुर	402/HDR/11
5	इकबालपुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 भारापुर	765/HDR/17
6	ठकबालपुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 किशनपुर	794/HDR/17

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (गन्ना विभाग) वर्ष 2018–19 विकासखण्ड— भगवानपुर

क्र0सं0	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 मानकपुर	392/HDR/11
2	“ “ “ “ “ हाल्लूमाजरा	393/HDR/11
3	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 भलस्वागाज	399/HDR/11
4	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 दयालपुर	400/HDR/11
5	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 सिरचन्दी	503/HDR/11

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (गन्ना विभाग)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— नारसन

क्र0सं0	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 जैनपुर	394/HDR/11
2	लहबोली सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 मंगलोर	387/HDR/11
3	लहबोली सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 लखनौता	389/HDR/11
4	लहबोली सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 गुरुकुलनारसन	387/HDR/11
5	लहबोली सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 मुण्डलाना	391/HDR/11

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (गन्ना विभाग)

वर्ष 2018–19

विकासखण्ड— बहादराबाद

क्र0सं0	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	इकबालपुर सहकारी गन्ना विसास समिति लि0 सोहलपुर	395/HDR/11
2	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 अलीपुर	788/HDR/17
3	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 बहादराबाद	2046/HDR/89
4	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 फेरुपुर	2047/HDR/89
5	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 सीतापुर	2044/HDR/89
6	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 लालढांग	227/HDR/05
7	ज्वालापुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 अहमदपुरग्रन्त	226/HDR/05

कीटनाशी विक्रेताओं की सूची (मैडिकल स्टोर)

वर्ष 2018–19

क्र0सं0	फर्म का नाम	लाईसेंस संख्या
1	भारत मैडिकल स्टोर अपर रोड हरिद्वार	664/HDR/15
2	गीता मैडिकल एजेन्सी रामनगर ज्वालापुर हरिद्वार	805/HDR/17
3	सिटी कैमिस्ट रानीपुर मोड हरिद्वार	564/HDR/14

4	वी०एस०इन्टर प्राइजेज बहादराबाद	557/HDR/14
5	आर०एस०ट्रैडर्स गोयल राईस मिल्स कम्पाउण्ड बहादराबाद	552/HDR/14
6	गंगामाता मेडिकल स्टोर रानीपुर हरिद्वार	566/HDR/14
7	संतोष कुमार उमेश कुमार चौक बाजार ज्वालापुर	569/HDR/14
8	अमित जनरल स्टोर पीठ बाजार ज्वालापुर	570/HDR/14
9	जय लक्ष्मी ट्रैडर्स चौक बाजार ज्वालापुर	571/HDR/14
10	नन्द जनरल स्टोर पीठ बाजार ज्वालापुर	581/HDR/12
11	गोयल सन्स मेडिकल स्टोर हरिद्वार	582/HDR/15
12	श्रीबालाजी मेडिकल स्टोर पुरानी सब्जीमंडी ज्वालापुर	583/HDR/15
13	चढ़ा मेडिकल स्टोर दक्ष रोड कनखल	584/HDR/15
14	सागर मेडिकोज अपर रोड हरिद्वार	585/HDR/15
15	गायत्री मेडिकोज आनन्दम हास्पिटल प्रसान्त विहार जगजीतपुर	586/HDR/15
16	लवली मेडिकोज पहाड़ी बाजार कनखल हरिद्वार	587/HDR/15
17	शिवम मेडिकल स्टोर नियर पुलिस स्टेशन हरिद्वार	588/HDR/15
18	आयुष मेडिकल स्टोर सप्तसरोवर मार्ग भूपतवाला हरिद्वार	589/HDR/15
19	श्याम मेडिकल हॉल रेलवे रोड हरिद्वार	590/HDR/15
20	हरि कृपा मेडिकल स्टोर कनखल हरिद्वार	591/HDR/15
21	वैदिक मेडिकल स्टोर कनखल हरिद्वार	592/HDR/15
22	खुशबू मेडिकल स्टोर प्रचीन राम मन्दिर भूपतवाला हरिद्वार	593/HDR/15
23	जय भगवती मेडिकल स्टोर मंमगई भवन भीमगोडा हरिद्वार	594/HDR/15
24	सुर्देशन मेडिकोज निकट काली माता मन्दिर ज्वालापुर	595/HDR/15
25	कृष्णा मेडिकोज स्टोर गंगा स्वरूप मार्ग निरंजन अखाडा हरिद्वार	596/HDR/15
26	देव मेडिकल होल निकट शिवमूर्ति जस्साराम रोड हरिद्वार	597/HDR/15
27	गणपति मेडिकोज जीडी अस्पताल रेलवे रोड हरिद्वार	598/HDR/15
28	कृसुम मेडिकोज ऋषिकुल हरिद्वार	599/HDR/15
29	रवि मेडिकल स्टोर श्रीनाथ नगर, रेलवेरोड ज्वालापुर	600/HDR/15
30	रवि फार्मा श्रीनाथ नगर गलीन०—१ रेलवे रोड ज्वालापुर	601/HDR/15
31	सप्तऋषि मेडिकल स्टोर सप्तऋषि आश्रम सप्त सरोवर हरिद्वार	602/HDR/15
32	दुर्गा मेडिकल हाल कृष्णा नगर कनखल हरिद्वार	603/HDR/15
33	महन्त मेडिकल स्टोर बाजार ज्वालापुर हरिद्वार	604/HDR/15
34	अरोश मेडिकल स्टोर दुर्गा मार्केट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर	605/HDR/15
35	शर्मा मेडिकोज ज्वालापुर हरिद्वार	606/HDR/15
36	जीत मेडिकल स्टोर जगजीतपुर	607/HDR/15
37	राज एण्ड कम्पनी रेलवे रोड हरिद्वार	608/HDR/15
38	चन्द्रा ट्रेडर्स रेलवे रोड हरिद्वार	609/HDR/15
39	कै०लाल एण्ड संन्स रेलवे रोड ज्वालापुर	610/HDR/15
40	साई मेडिकोज श्रीनाथनगर ज्वालापुर	611/HDR/15
41	शान्ता मेडिकल स्टोर सीतापुर ज्वालापुर	612/HDR/15
42	कान्हा मेडिकल स्टोर निर्मल संतपुरा कनखल	613/HDR/15
43	न्यू कान्ता मेडिकल स्टोर निकट देशरक्षक कनखल	614/HDR/15
44	गोयल मेडिकल स्टोर घासमंडी ज्वालापुर	615/HDR/15
45	लक्ष्मी मेडिकल स्टोर हनुमान गढ़ी दादूबाग कनखल	616/HDR/15
46	त्यागी मेडिकल एजेन्सी कनखल	617/HDR/15
47	शुगुन मेडिकल स्टोर कनखल	618/HDR/15
48	आनन्द मेडिकल स्टोर मुखिया गली राम मन्दिर हरिद्वार	619/HDR/15

49	न्यू अमित मेडिकल स्टोर खिचडीवाला आश्रम हरिद्वार	620/HDR/15
50	अजय मेडिकल स्टोर जयराम आश्रम भीगगोडा हरिद्वार	621/HDR/15
51	छीपाली मेडिकल स्टोर हरिद्वार	622/HDR/15
52	शिव मोहित मेडिकल स्टोर गांधी मार्केट ज्वालापुर	623/HDR/15
53	साई मेडिकल स्टोर पहाड़ी बाजार कनखल	625/HDR/15
54	पराशर मेडिकल स्टोर ईदगाह रोड ज्वालापुर	624/HDR/15
55	पूजा मेडिकल स्टोर रावली महदूद	626/HDR/15
56	प्रेम मेडिकोज रानीपुर मोड हरिद्वार	627/HDR/15
57	मनस्वी मेडिकल हाल रामधाम कालोनी शिकालिक नगर हरिद्वार	628/HDR/15
58	गोयल ब्रदेश मेडिकल हाल विष्णु काम्पलैक्स नाथनगर ज्वालापुर	629/HDR/15
59	कृष्णा मेडिकोज अपोजिट कातवाली ज्वालापुर	652/HDR/15

-:: मैनुअल-14 ::-

(किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों)

जनपद हरिद्वार में जनपद सृजन से अभी तक के अभिलेख कार्यालय भण्डार में रक्षित हैं जिसका अधिक से अधिक इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप तैयार किया गया हैं जिन अभिलेखों का इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप तैयार नहीं हो सकता वह अपने मूल रूप में कार्यालय में उपलब्ध हैं।

-:: मैनुअल-15 ::-

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घट्टे सम्मिलित हैं)

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार, रोशनाबाद विकास भवन में स्थित हैं जो लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय—मु0000040हरिद्वार), लोक सूचना अधिकारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार एवं रुडकी के अपीलीय अधिकारी भी हैं। जबकि लोक सूचना अधिकारी/विकास खण्ड प्रभारी एवं लोक सूचना अधिकारी/न्याय पंचायत प्रभारी के अपीलीय अधिकारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार/रुडकी है। कार्यालय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता है। कार्यालय के कक्षों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	विभाग का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय की स्थिति	कक्ष संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	श्री रमाकान्त त्रिपाठी	लोक सूचना अधिकारी कार्यालय—मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विकास भवन रोशनाबाद।	56
2	कृषि विभाग	श्री रमेश प्रसाद	लोक सूचना अधिकारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी स्थित—लन्दौरा।	—

3	कृषि विभाग	श्रीमति ऋद्धु कुकरेती जुयाल	लोक सूचना अधिकारी / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार स्थित— बहादराबाद।	-

15.1:- सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए की गयी व्यवस्था का विवरण:-

- 1— गोष्ठी— जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत, ग्राम स्तर तक साल में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में गोष्ठियों द्वारा।
- 2— अखबारों द्वारा:- विभिन्न कार्यक्रमों की निशुल्क जानकारी अखबारों द्वारा दी जाती है।
- 3— जिले में लगाने वाले विभिन्न मेलों द्वारा।
- 4— पम्पलेट, लीफलैट, बुकलेट प्रकाशित कर कृषकों को निशुल्क वितरित किया जाना, आदि।

—:: मैनुअल-16 ::—

(लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां)

क्र0सं0	विभाग का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 नम्बर	दूरभाष			पता
					कार्यालय	आवास	फैक्स	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि विभाग	श्री रमाकान्त त्रिपाठी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय—मु0०३० हरिद्वार	01334	239034	-	-	कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी विकास भवन रोशनाबाद, हरिद्वार (जनपद स्तर पर)
2		श्री रमेश प्रसाद	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी	-	-	-	-	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी स्थित— लन्छौरा।(इकाई स्तर पर)
3		श्रीमति ऋद्धु कुकरेती जुयाल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार	-	-	-	-	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार स्थित बहादराबाद विकास खण्ड परिसर (इकाई स्तर पर)
4		श्री बीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1					विकास खण्ड—बहादराबाद

5	श्री शेरपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1					विकास खण्ड-बहादराबाद
6	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	-	-	-	-	विकास खण्ड-खानपुर
7	श्री शेर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	-	-	-	-	विकास खण्ड-नारसन
8	श्रीमति पारुल चौधरी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	-	-	-	-	विकास खण्ड-रुडकी
9	श्री दिनेश कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	-	-	-	-	विकास खण्ड-भगवानपुर
10	श्री जयवीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत,नन्हेडा अन्नतपुर
11	श्री चैनपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, ताँशीपुर
12	श्री राजवीर सिंह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	खंजरपुर
13	श्री सहेन्द्रपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत,पनियाला
14	श्री कर्मन्द्र कुमार शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, भौरी
15	श्री राजेन्द्र कुमार सहरावत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, दौलतपुर
16	श्री अनिल कुमार मलिक	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत,इमलीखेडा
17	श्री सतेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत,खाताखेडी
18	श्री रमेश चन्द	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, बेलडा
19	श्री सुरेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत,भगवानपुर
20	श्री विनोद कुमार गौतम	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत,हवीबपुर निवादा,डाडाजलालपुर
21	श्री विनोद कुमार गौतम	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, डाजलालपुर

22	श्री देवेन्द्र सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्यायोपं खेडीसिकोपुर
23	श्री राजकुमार सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, नौकराग्रन्त
24	श्री गुलजार अली	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, सिकन्दरपुर भैसवाल
25	श्री सुखपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, चुडियाला
26	श्री गुलजार अली	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	भलस्वागाज
27	श्री सुखपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	सिखरोड़ा
28	श्री धर्म सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, नारसनकला
29	श्री ओमकार सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, मखदूमपुर
30	श्री राजबीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, गाधारोणा
31	श्री देवेन्द्र सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, मौहम्मदपुर जट्
32	श्री राजबीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	लाठादेवाहुड
33	श्री सतेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	लिब्बरहेडी
34	श्री सतेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	मुडलाना
35	श्री सतेन्द्र कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, ढन्डेरा
36	श्री राकेश कुमार	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	न्याय पंचायत, बहादराबाद
37	श्री महिपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	कोटामुरादनगर
38	श्री साहब राजराम	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	बादशाहपुर
39	श्री साहब राजराम	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	-	फेरूपुर

40	श्री यूपी०सिह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	रणसुरा
41	श्री बीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1	-	-	-	-	ओरंगावाद
42	श्री प्रमोद कुमार चौहान	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, सलेमपुर
43	श्री साहब राजराम	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, जमालपुरकलां
44	श्री वीरेन्द्र कुमार रमोला	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, लालढांग
45	श्री युद्धवीर सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, अकौड़ाकलां
46	श्री कर्मवीर सिंह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, मुण्डाखेड़ाकलां
47	श्री हरिओम सिंह यादव	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, निरंजनपुर
48	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, रायसी
49	श्री प्रमोद कुमार चौधरी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, बहादरपुर खादर
50	श्री सुभाषचन्द शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, सुल्तानपुर
51	श्री विजयपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, भिक्कमपुर जीतपुर
52	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, मोहम्मदपुर बुजुर्ग
53	श्री सुरेशपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, खानपुर
54	श्री सुरेशपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, पोडीवाली
55	श्री योगेन्द्र कुमार तोमर	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2	-	-	-	-	न्याय पंचायत, गोवर्धनपुर

—:: मैनुअल-17 ::-

(ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय)

इस अधिष्ठान में मैनुअल संख्या- 01 से 16 तक अध्यावधिक रूप से तैयार किये गये हैं जिसमें अधिक से अधिक विभागीय देय सुविधाओं/योजनाओं आदि का उल्लेख पूर्ण सावधानी से किया गया हैं तथा विभाग अन्य किसी भी राजकीय ढाँचे, व्यवस्था के त्वरित बदलाव के साथ-साथ कार्य करने के लिए तत्पर हैं।

₹0/-
(डॉ० विकेश कुमार सिंह यादव)
मुख्य कृषि अधिकारी
हरिद्वार